वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2014 - 15

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND
CREDIT GUARANTEE CORPORATION

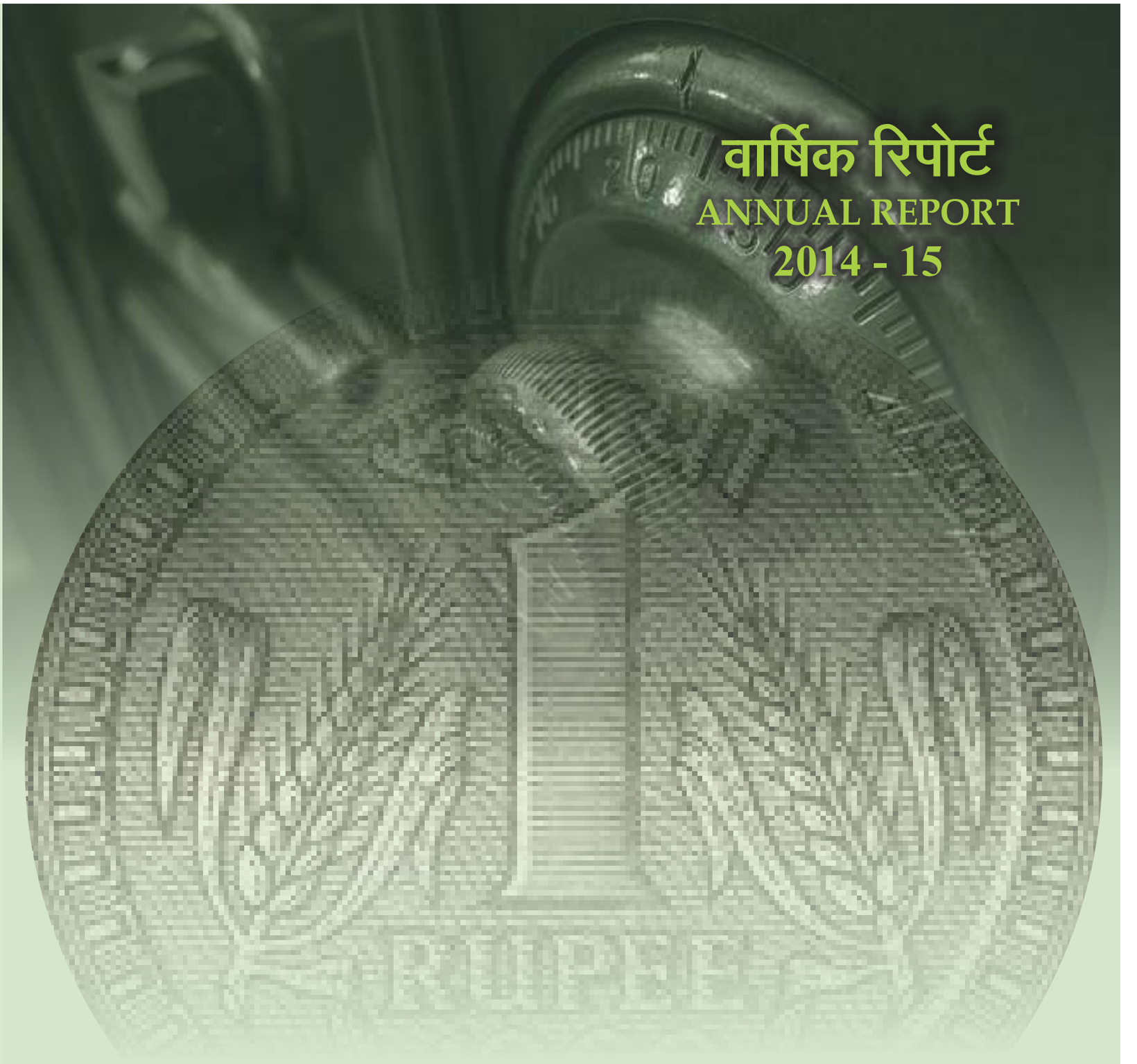

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2014-15

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

निदेशक बोर्ड की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र और लेखे

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न

एक सक्षम और प्रभावी निक्षेप बीमा प्रदाता के रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रेषण पत्र	iv-v
2.	निदेशक बोर्ड	vi
3.	संगठन तालिका	vii
4.	निगम में संपर्क सूत्र	viii
5.	निगम के प्रमुख अधिकारी	ix
6.	संक्षेपाक्षर	x-xi
7.	विशेषताएं	xii-xiv
8.	निबीप्रगानि का विहंगावलोकन	1-5
9.	प्रबंध चर्चा और विश्लेषण	6-13
10.	निदेशकों की रिपोर्ट	14-24
11.	निदेशकों की रिपोर्ट के संबंध में संलग्नक	25-55
12.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	57
13.	तुलन-पत्र और लेखे	58-71

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE RESERVE BANK OF INDIA)

निबीप्रगानि/सवि/1181/01.01.016/2015-16 25 जून 2015

प्रेषण पत्र

(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई - 400 001

महोदय,

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के

तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के तहत अपेक्षित (i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

3. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

एम. रामय्या

(एम. रामय्या)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE RESERVE BANK OF INDIA)

निबीप्रगानि/सवि/1182 /01.01.016/2015-16 25 जून 2015

प्रेषण पत्र

(भारत सरकार को)

सचिव,
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग
जीवनदीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के
तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियां भी इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

2. ऊपर उल्लिखित (i) और (ii) की सामग्री (अर्थात् तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं।

3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

एम. रामय्या

(एम. रामय्या)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, दूसरी मंज़िल, (मुंबई सेन्ट्रल स्टेशन के सामने), भायखला, मुंबई - 400 008.

HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, (opp. Mumbai Central Railway Station) Byculla, Mumbai - 400 008.
Phone : (022) 2301 9792 Fax: (022) 2301 5662, 2301 8165 E-mail: mramaiah@rbi.org.in, dicgc@rbi.org.in

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री आर. गांधी **उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (21.11.2014 से)

निदेशक

श्री जसबीर सिंह **कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (21.09.2012 से)
डॉ. शशांक सक्सेना **परामर्शदाता** **वित्त मंत्रालय** **वित्तीय सेवाएं विभाग** **भारत सरकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (12.06.2008 से)
डॉ. हर्ष कुमार भानवाला **अध्यक्ष,** **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (12.06.2014 से)
श्री आर. रामचंद्रन	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (19.09.2014 से)
श्री एच.एन.प्रसाद	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (07.01.2015 से)

संगठन तालिका

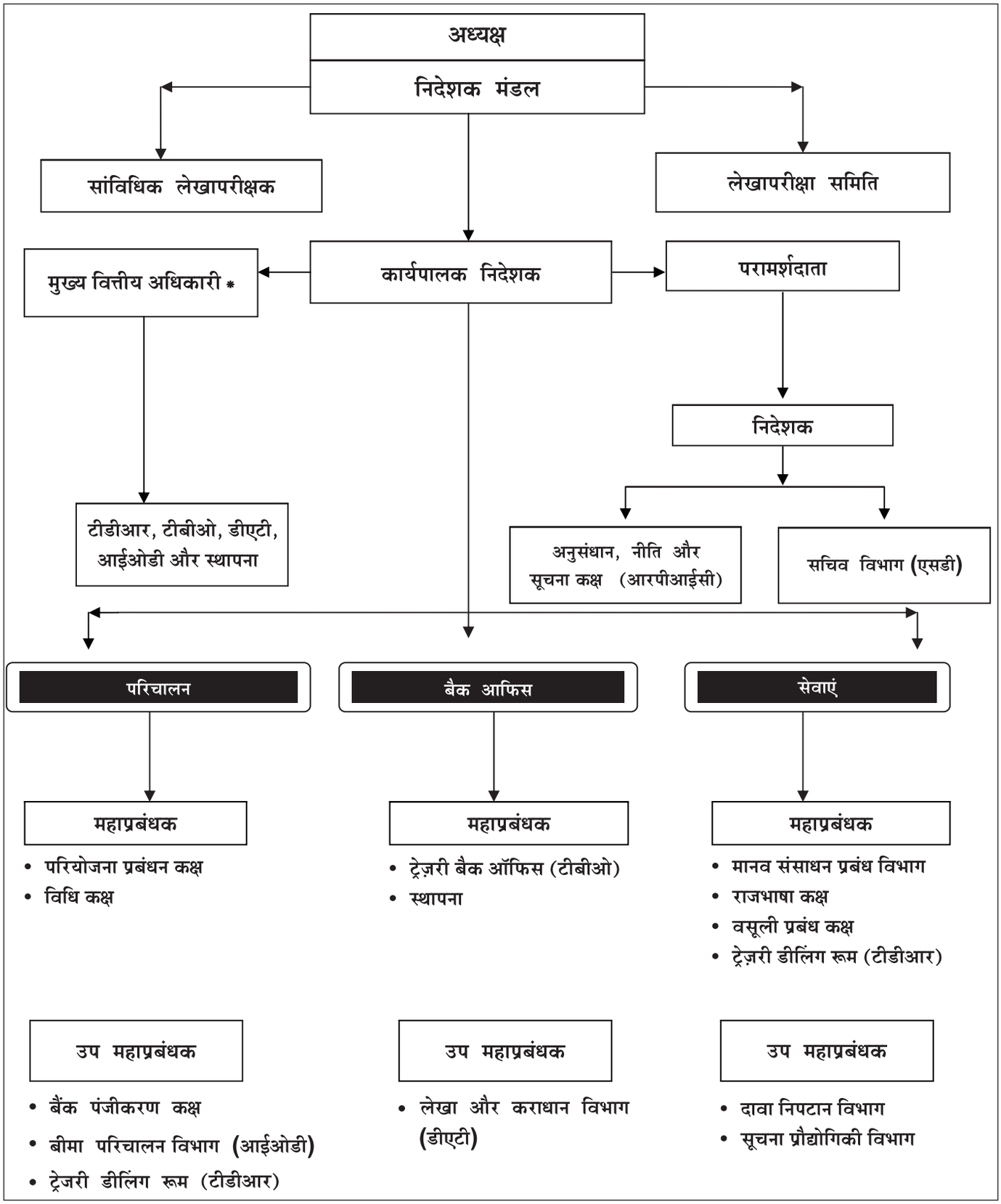

* 30 मई 2014 से

निगम में संपर्क सूत्र

फैक्स सं. **022 - 2301 5662**
022 - 2301 8165

टेलीफोन संख्या

022-2308 4121	सामान्य
022-2306 2161	प्रीमियम
022-2302 1143	दावे
022-2306 2163	आरएमसी
022-2301 9792	आरटीआई
022-2301 9570	ग्राहक सेवा कक्ष

प्रधान कार्यालय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

भारतीय रिज़र्व बैंक,
दूसरी मंज़िल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,
भायखला, मुंबई - 400 008.
भारत

(i)	कार्यपालक निदेशक	022-2301 9460
(ii)	परामर्शदाता	022-2302 1624
(iii)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	022-2301 9603
(iv)	महाप्रबंधक	022-2301 9645
(v)	महाप्रबंधक	022-2301 8840
(vi)	महाप्रबंधक	022-2301 9570
(vii)	उप महाप्रबंधक	022-2302 1150
(viii)	उप महाप्रबंधक	022-2302 1146
(ix)	उप महाप्रबंधक	022-2302 1149
(x)	निदेशक	022-2301 9792

ईमेल : dicgc@rbi.org.in
वेबसाईट : www.dicgc.org.in

निगम के प्रमुख अधिकारी

कार्यपालक निदेशक
श्री जसबीर सिंह

परामर्शदाता
श्रीमती जया मोहंती

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री संजोय सेठी*

महाप्रबंधक
श्रीमती मोलिना चौधरी
श्री. बी. के. पाण्डा
श्री द्विजराज सेठी

सचिव और निदेशक
श्री एम. रामय्या

उप महाप्रबंधक
श्री एम. कृपानन्दम
श्रीमती रिटा सरकार मोरिया
सुश्री लता राधाकृष्णन

मुख्य जन सूचना अधिकारी
श्री एम. रामय्या

बैंकर
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कर परामर्शदाता
मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
महावीर अपार्टमेंट,
तीसरी मंजिल, 598
एम.जी.रोड
सनसिटी सिनेमा के पास
विले पार्ले (पूर्व)
मुंबई - 400 057

सेवा कर परामर्शदाता
श्री एस.एस. गुप्ता
सनदी लेखाकार
1009- 1015, दसवीं मंजिल
टोपीवाला सेन्टर,
टोपीवाला थिएटर कम्पाउंड
रेल्वे स्टेशन के पास,
गोरेगांव (पश्चिम)
मुंबई - 400 104

लेखा परीक्षक
मेसर्स रे एंड रे
सनदी लेखाकार
305, ईस्टर्न कोर्ट
'सी' विंग, तेजपाल रोड,
विले पार्ले (पूर्व)
मुंबई - 400 057

बीमांकक
मेसर्स के.ए. पंडित
परामर्शदाता और बीमांकक
दूसरी मंज़िल,
चर्चगेट हाउस,
वीर नरीमन रोड,
फोर्ट, मुंबई - 400 001

* 30 मई, 2014 से

संक्षेपाक्षर

एपीआरसी	:	एशिया पैसिफिक रीजनल कमेटी
एएस	:	लेखांकन मानक
बीओई	:	बैंक ऑफ इंग्लैंड
बी.आर.एक्ट	:	बैंककारी विनियमन अधिनियम
सीए	:	सनदी लेखाकर
सीईएसटीएटी	:	सीमाशुल्क उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीजीसीआई	:	क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
सीजीएफ	:	ऋण गारंटी निधि
सीजीओ	:	ऋण गारंटी संगठन
सीएसएए	:	नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा
डीसीसीबी	:	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
डीईएएफ	:	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि
डीआईसी	:	निक्षेप बीमा निगम
डीआईसीजीसी	:	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ	:	निक्षेप बीमा निधि
ईओआई	:	अभिरूचि की अभिव्यक्ति
ईयू	:	यूरोपीय संघ
एफडीआईसी	:	फेडरल निक्षेप बीमा निगम
एफआईएमएमडीए	:	भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा व्युत्पन्न (डेरीवेटिव्स) संघ
एफआरए	:	वित्तीय समाधान प्राधिकरण
एफएसबी	:	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	:	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसएलआरसी	:	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
जीएफ	:	सामान्य निधि
जीओआई	:	भारत सरकार
आईएडीआई	:	जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ
आईसीएआई	:	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईएफआर	:	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि
आईआर	:	निवेश आरक्षित निधि
आईटी	:	सूचना प्रौद्योगिकी

एलएबी	:	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलटीयू	:	बड़े आयकरदाता इकाई
एनईएफटी	:	राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण
पीसीए	:	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
आरबीआई	:	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआईए	:	जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
आरसी		समाधान निगम
आरसीएस	:	सहकारी समितियों के पंजीयक
आरएफपी	:	प्रस्ताव का अनुरोध
आरआर	:	आरक्षित अनुपात
आरआरबी	:	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
एससी	:	अनुसूचित जाति
एसएलजीएस	:	लघु ऋण गारंटी योजना
एसएल- (एसएसआई) -जीएस	:	लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना
एसटी	:	अनुसूचित जनजाति
एसटीसीबी	:	राज्य सहकारी बैंक
टीएएफसीयूबी	:	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
यूसीबी	:	शहरी सहकारी बैंक
यूटी	:	केंद्रशासित प्रदेश

विशेषताएं - I : निक्षेप बीमा एक नज़र में

(₹ बिलियन में)

वर्ष के अंत में$	1962	1972	1982	1992-93	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1 पूँजी*	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 निक्षेप बीमा																							
(i) निक्षेप बीमा निधि**	0.01	0.25	1.54	3.12	2.99	20.22	31.07	33.10	37.06	42.50	55.14	59.08	78.18	91.03	109.79	133.62	161.55	201.52	247.04	300.93	361.20	406.18	504.53
(ii) बीमाकृत बैंक (संख्या में)	276	476	1683	1931	2296	2438	2583	2676	2728	2715	2629	2595	2547	2531	2392	2356	2307	2249	2217	2199	2167	2145	2129
(iii) निर्धारणीय जमाराशियाँ @	18.95	74.58	423.60	2443.75	4506.74	4923.80	6099.62	7040.68	8062.60	9687.52	12131.63	13182.68	16198.15	17909.19	23443.51	29847.99	33985.65	45879.67	49524.27	57674.00	66210.60	76166.40	84751.54
(iv) बीमाकृत जमाराशियाँ @	4.48	46.56	317.74	1645.27	3376.71	3705.31	4396.09	4985.58	5724.34	6740.51	8288.85	8709.40	9913.65	10529.88	13725.97	18050.81	19089.51	16823.97	17358.00	19043.00	21583.65	23791.52	26067.96
(v) कुल खातों की संख्या (मिलियन में)	7.7	34.1	159.8	354.3	435.1	410.9	464.2	441.7	446.2	481.7	600.2	544.0	649.5	537.3	716.9	1038.9	1348.9	1423.9	1051.6	1073.0	1481.75	1370.13	1456.36
(vi) पूर्णत: संरक्षित खाते (मिलियन में)	6.0	32.8	158.1	339.5	427.3	371.3	454.4	430.2	432.5	464.5	578.2	518.9	619.5	505.5	682.9	961.7	1204.0	1266.9	976.9	996.0	1393.08	1267.17	1345.09
(vii) योजना के प्रारंभ से प्रदत्त दावे_	–	0.01	0.03	1.78	1.94	1.96	2.09	2.25	2.62	6.77	8.63	10.44	14.85	20.50	25.94	27.55	29.84	36.38	40.17	43.05	45.05	46.08	49.29

* निगम की सामान्य निधि के तहत है।

** बीमांकिक और अधिशेष दोनों राशियाँ शामिल हैं।

@ 2009-10 से नए रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार आँकड़े दिए गए हैं।

$ 1992-93 से मार्च अंत तक

विशेषताएं - II : ऋण गारंटी एक नज़र में

(₹ बिलियन में)

वर्ष के अंत में$	1962	1972	1982	1992-93	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण गारंटी																								
(i) ऋण गारंटी निधि*	–	–	0.89	9.07	17.75	29.26	6.79	7.58	11.88	11.33	12.62	13.93	15.11	2.50	3.45	3.49	3.67	3.85	2.98	3.10	3.00	3.25	3.53	3.86
(ii) गारंटीकृत अग्रिम																								
क) छोटे उधारकर्ता	–	2.08	48.40	263.48	172.61	39.39	32.41	2.78	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न
ख) लघु उद्योग	–	–	38.22	155.03	112.71	33.76	28.13	0.39	0.05	0.01	0.01	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न
(iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)																								
क) छोटे उधारकर्ता	–	–	0.25	8.83	18.41	18.42	1.84	2.18	2.19	0.22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लघु उद्योग	–	–	0.30	2.60	5.24	2.70	1.20	0.34	0.26	0.14	0.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) निपटाए गए दावे (वर्ष के दौरान)																								
क) छोटे उधारकर्ता	–	–	0.15	5.66	10.31	4.03	4.01	11.88	11.95	1.71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लघु उद्योग	–	–	0.27	2.43	3.08	2.91	2.21	2.25	1.39	0.54	0.05	0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* बीमांकिक और अधिशेष दोनों शामिल हैं।

$ 1992-93 से मार्च अंत तक

ला.न. : योजनाओं के अंतर्गत एक भी ऋण संस्था सहभागी न होने के कारण लागू नहीं।

परिचालनगत विशेषताएं - III : निक्षेप बीमा

(₹ बिलियन में)

विवरण		2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
राजस्व विवरण							
प्रीमियम आय		82.29	73.12	57.18	56.40	48.44	41.55
निवेश आय		40.32	33.90	27.68	23.53	18.01	15.13
निवल दावे		(0.34)	(0.93)	4.20	3.57	1.71	4.07
कर पूर्व राजस्व अधिशेष		146.89	91.52	86.27	60.01	61.45	37.53
करोत्तर राजस्व अधिशेष		96.96	60.72	58.27	40.54	41.32	28.93
तुलन पत्र							
निधि शेष (बीमांकिक)		52.07	50.68	52.65	47.68	37.74	32.75
निधि अधिशेष		452.46	355.49	308.55	253.25	209.30	168.77
दावे संबंधी बकाया देयताएं		3.14	3.92	9.05	6.89	6.03	7.64
निष्पादन मैट्रिक्स							
1.	दावों की प्राप्ति और दावों के निपटान के बीच औसत दिन @	25	15	27	52	49	54
2.	बैंक का पंजीकरण रद्द करने और दावों (प्रथम दावा) के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या @	4,856	678	410	533	388	361
3.	कुल कारोबार (प्रीमियम आय) के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लागत	0.24	0.22	0.25	0.27	0.35	0.26
	(इसमें से: कुल प्रीमियम आय की तुलना में कर्मचारी लागत का प्रतिशत)	(0.12)	(0.12)	(0.13)	(0.14)	(0.15)	(0.14)

@ मामले से संबंधित राशि की स्वीकृति की तुलना में दिनों की संख्या के आधार पर औसत दिनों की वास्तविक संख्या निकाली गई है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का विहंगावलोकन

(1) परिचय

निबीप्रगानि के कार्य 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' (निबीप्रगानि अधिनियम) और उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961' के प्रावधानों के जरिए नियंत्रित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही है, अत: निगम ऐसी किसी योजना का संचालन नहीं कर रहा है और निक्षेप बीमा ही इसका प्रधान कार्य है।

(2) इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार जमाराशियों का बीमा करने का विचार बैंक के सामने आया। इसके एक वर्ष बाद 1949 में यह मामला पुन: विचार हेतु प्रस्तुत हुआ। परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को रोके रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने के उपरांत रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में गंभीर विचार प्रस्तुत किए। 21 अगस्त, 1961 को संसद में निक्षेप बीमा निगम (डीआईसी) बिल लाया गया। संसद द्वारा इसके पारित होने के उपरांत 7 दिसंबर, 1961 को इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 दिनांक 1 जनवरी, 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा योजना कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू की गयी। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं तथा वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया और निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत ''पात्र सहकारी बैंकों'' का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करके भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (11ए)(ए) के अंतर्गत केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान (सीजीओ) का नाम दिया गया जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को स्वीकृत किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य अबतक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं जैसे : निक्षेप बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई 1978 को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुन: इसे 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद 1 अप्रैल 1981 से निगम ने छोटे लघु उद्योगों को स्वीकृत

ऋण के लिए भी गारंटी सहायता प्रदान करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1989 से पूरे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया।

(3) संस्थागत कवरेज

(i) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी **वाणिज्य बैंक**, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

(ii) निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 2(जीजी) में यथापरिभाषित सभी पात्र **सहकारी बैंकों** को निक्षेप बीमा योजना के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्होंने निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपने सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया है कि वह राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की समितियों के रजिस्ट्रार को आदेश दे सके कि किसी सहकारी बैंक का समापन कर दे अथवा इसके प्रबंध समिति को अधिक्रमित करे और रजिस्ट्रार से अपेक्षित कर सके कि वह रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुन:निर्माण के लिए कोई कार्रवाई न करें, पात्र सहकारी बैंक समझे जाते हैं। वर्तमान में सभी सहकारी बैंक इस योजना में शामिल हैं। संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप तथा दादरा एवं नगर हवेली में कोई भी सहकारी बैंक नहीं है।

(4) बैंकों का पंजीकरण

(i) निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11ए के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

(ii) एक नए पात्र सहकारी बैंक से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराए।

(iii) जब किसी प्राथमिक सहकारी समिति की स्वाधिकृत निधियाँ ₹1 लाख हो जाएं तो बैंकिंग कारोबार करने हेतु उसे प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में लाइसेंस के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन करना होगा और लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से 3 महीनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराना होगा।

(iv) निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करनेवाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं के ब्यौरे अर्थात्, निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के ब्यौरे आदि शामिल होने चाहिए।

(5) बीमा कवरेज

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर 'समान क्षमता और समान अधिकार' में मूलत: ₹1500/- तक सीमित रखी गई थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह भी अधिकार देता है कि वह केंद्र

सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया है :

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा ₹
1 मई 1993	1,00,000/-
1 जुलाई 1980	30,000/-
1 जनवरी 1976	20,000/-
1 अप्रैल 1970	10,000/-
1 जनवरी 1968	5,000/-

(6) सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निबीप्रगानि (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियाँ; (ii) केंद्र / राज्य सरकारों की जमाराशियाँ; (iii) राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियाँ; (iv) अंतर बैंक जमाराशियाँ; (v) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि तथा (vi) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त किसी राशि को छोड़कर बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

(7) बीमा प्रीमियम

निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु निगम बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक(छमाही) आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष(छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें। प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

₹ 100 की प्रत्येक जमाराशि पर प्रीमियम की दर

तारीख से	प्रीमियम (₹ में)
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) पंजीकरण रद्द करना

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय संपूर्ण राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से चालू किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:- नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो; अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो; अथवा स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यत: उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो; अथवा इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो; अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता, व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो इसका पंजीकरण रद्द भी हो सकता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(9) बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

निगम को किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार है। निगम के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण/जाँच पड़ताल करे/करवाए।

(10) दावों का निपटान

(i) किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द

करने अथवा समापन या परिसमापन की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी समान क्षमता और समान अधिकार में रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के साथ पठित 16(3)] भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

(ii) जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निमाण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है और इस योजना में इसके लागू होने की तारीख तक पूरी जमाराशि के क्रेडिट के लिए जमाकर्ता पात्र नहीं होते हैं तो निगम पूरी जमाराशि अथवा उस समय लागू बीमा कवर की सीमा में, इसमें से जो भी कम हो और योजना के अंतर्गत वास्तव में उसे प्राप्त होने वाली राशि के बीच के अंतर की राशि अदा करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में समान क्षमता और समान अधिकार में जमाकर्ताओं की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ताओं को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16 (2) और (3)] निर्धारित किया जाता है।

(iii) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा निबीप्रगानि द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीनों के भीतर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रस्तुत की जानी है। (विशिष्ट दावा निपटान प्रक्रिया चार्ट 1 में दी गई है)

(iv) ऐसे बैंक के संबंध में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 18(1).से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है।

(v) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपेक्षित है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और सभी प्रकार से पूर्ण / सही हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले सनदी लेखाकारों के फर्म से करवाता है।

(vi) सामान्यत: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितरित करने के लिए पात्र राशि का भुगतान अंतरिती / बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी / परिसमापक को करता है। तथापि, अनट्रेसेबल जमाकर्ताओं को देय राशि, इसके संबंध में परिसमापक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत करने तक, रोक कर रखी जाएगी।

(11) निपटाए गए दावों की वसूली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि में से व्ययों के लिए प्रावधान करने के उपरांत हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से निबीप्रगानि को चुकौती करें।

(12) निधि, लेखे और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : अर्थात् (i) जमा बीमा निधि (डीआईएफ); (ii) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ); (iii) सामान्य निधि (जीएफ)। पहले दो निधियों का निर्माण क्रमश: बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹500 मिलियन है, जो पूर्णत: रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। सभी तीनों निधियों की

चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया

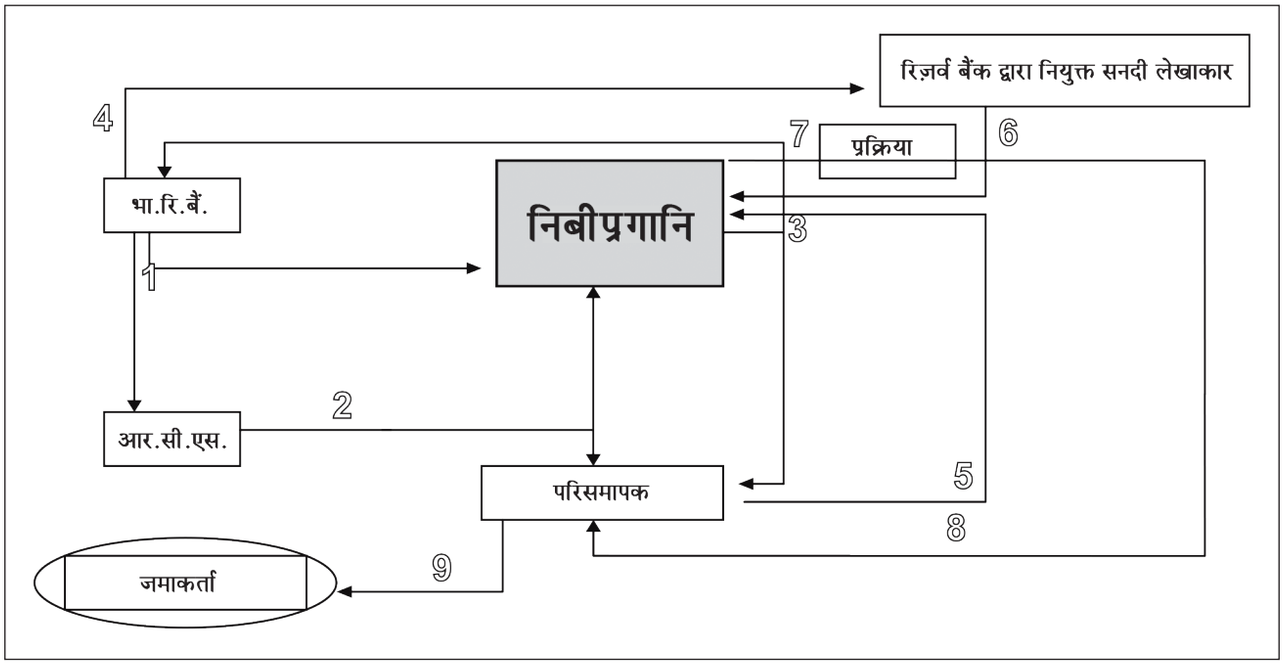

1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक लाइसेंस रद्द करता है / लाइसेंस अस्वीकार कर देता हे और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और निबीप्रगानि को इसकी सूचना देता है।
2. आरसीएस परिसमापित बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा निबीप्रगानि को सूचित करता है।
3. निबीप्रगानि बीमाकृत बैंक का पंजीकरण रद्द करता है और तीन महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने हेतु परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है और रि. जर्व बैंक से दावा सूची का आनसाइट सत्यापन करने के लिए बाह्य लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) नियुक्त करने का अनुरोध करता है।
4. रिज़र्व बैंक सनदी लेखाकार की नियुक्ति करता है और निबीप्रगानि दावा सूची की जॉच करने के लिए सनदी लेखाकार हेतु संक्षिप्त विवरण और ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करता है।
5. परिसमापक जमाकर्ताओं को भुगतान करने हेतु दावा सूची प्रस्तुत करता है (साफ्ट और हार्ड कापी दोनों रूप में)।
6. आनसाइट लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) दावा सूची संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
7. कंप्यूटर के माध्यम से दावा सूची का संसाधन किया जाता है और भुगतान सूची तैयार की जाती है।
8. समेकित भुगतान परिसमापक को जारी किया जाता है और अपूर्ण / संदिग्ध दावों के संबंध में जानकारी मांगी जाती है। निगम की वेबसाइट के जरिए दावा राशि जारी करने की घोषणा की जाती है।
9. परिसमापक जमाकर्ताओं को भुगतान राशि जारी करता है।

अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत अंतर-निधि अंतरण हेतु अनुमति प्राप्त है।

प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षित लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्य पद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के तीन महीनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भेजी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। सामान्यत: निगम व्यापारिक (मर्केण्टाइल) लेखांकन प्रणाली का उपयोग करता है और 1987 से देयताओं के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है।

निगम वित्तीय वर्ष 1987-88 से आयकर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 मे यथापरिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही निगम ने सेवाकर संबंधी पंजीकरण करा लिया है और 1 अक्तूबर 2011 से प्रीमयम आय पर उपचित सेवाकर अदा कर रहा है।

प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

एक निक्षेप बीमा प्रणाली का परिचालन: नैतिक खतरा, विभेदक प्रीमियम प्रणाली और निधियन

प्रस्तावना

बैंक उधारकर्ता को निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन से जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने के द्वारा एक वित्तीय बिचौलिये का काम करती हैं। बैंक बचतकर्ताओं को अपनी अधिशेष आय को भविष्य के लिए अंतरित करने और उधारकर्ता को अपनी भविष्य में अर्जित होने वाली आय को वर्तमान में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करती हैं। उक्त बचतकर्ता और उधारकर्ता बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से वास्तविक क्षेत्र के आर्थिक एजेंट बनते हैं और इसीलिए वे एक अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली, विकास और वृद्धि में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तथापि, एक उधारकर्ता लिए गए ऋणों की चुकौती करने में अपनी अक्षमता के कारण अथवा इरादतन ऋण न चुकाने के कारण ऋणदाता बैंक के लिए जोखिम का एक स्त्रोत भी बन जाता है। इस जोखिम का प्रभाव बचतकर्ता पर भी पड़ता है। बैंकिंग प्रणाली की गतिविधियों को संचालित करने और उस पर निगरानी रखने के लिए तथा एक हद तक जोखिम को कम करने के लिए हाल में कुछ समय से बैंकिंग प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित की गई है। जमाकर्ताओं को जोखिम से बचाने के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण पहले कदम के रूप में कार्य करते हैं। बचतकर्ताओं, खासकर छोटी जमापूंजी वाले बचतकर्ताओं का जोखिम कम करने के संदर्भ में अधिकतर अधिकार क्षेत्रों में निक्षेप बीमा प्रणालियाँ (डीआईएस) विनियमन और पर्यवेक्षण का अनुपूरक बनते हैं; इन सब को मिलाकर एक वित्तीय प्रणाली सुरक्षा कवच का महत्त्वपूर्ण घटक बन जाती है।

निक्षेप बीमा और नैतिक खतरा

1. निक्षेप बीमा मुख्यत: एक बीमा उत्पाद है। किसी भी बीमा उत्पाद की विशेषता के रूप में निक्षेप बीमा भी एक नैतिक खतरे का स्त्रोत है। देम्बे और बोडेन द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार ''नैतिक खतरा'' शब्द की परिभाषा की शुरुआत 17वीं शताब्दी से हुई थी और 19 वीं शताब्दी के अंत तक इसका प्रयोग इंगलिश बीमा कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से किया जाने लगा था। नैतिक खतरा एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक पक्ष जोखिम भरे कार्य में यह जानते हुए शामिल होता है कि जोखिम आने पर भी वह सुरक्षित रहेगा क्योंकि इसकी लागत की भरपाई अन्य पक्ष द्वारा की जानी है। पॉल क्रुगमैन ने नैतिक खतरे का वर्णन इस प्रकार किया है - ''ऐसी कोई स्थिति जिसमें एक व्यक्ति कितनी हद तक जोखिम उठाता है इसका निर्णय लेता है जबकि यदि स्थिति बिगड़ जाती है तो उसकी लागत की भरपाई अन्य कोई व्यक्ति द्वारा की जाएगी।'' निक्षेप बीमा के संदर्भ में नैतिक खतरे का वर्णन ऐसी स्थिति से किया गया है जहां बीमाकृत बैंकों को अधिक जोखिम स्वीकार करने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है जबकि जमाकर्ता जिन बैंकों में वह जमाराशियाँ धारित करता है उन बैंकों की अपनी जोखिम की निगरानी कम कर देता है - यह मानते हुए कि सामान्यत: निक्षेपी संस्था को विफल होने नहीं दिया जाएगा। दोनों यह मानते हैं कि अत्यधिक जोखिम से उभरी लागत की भरपाई निक्षेप बीमा प्रणाली (डीआईएस) अथवा राजकोष (एक्सचेकर) द्वारा की जाएगी।

2. इन समस्याओं के बावजूद निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने में भलाई है क्योंकि यह जमाकर्ताओं का बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखती है, बैंकिंग प्रणाली को अपने मध्यस्थता के कार्यों को चलाने में सहायता प्रदान करती है और इसके फलस्वरूप वित्तीय स्थिरता और समृद्धि में योगदान देती है। निक्षेप बीमा डेटाबेस (2014) विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ़) पेपर के अनुसार 31 दिसंबर 2013 की स्थिति के अनुसार सूची में दर्शाए गए 190 राष्ट्रों में से 112 राष्ट्रों में स्पष्ट निक्षेप बीमा प्रणालियाँ थीं; उनमें 14 देशों में स्पष्ट निक्षेप बीमा वर्ष 2008 से ही लागू थी। अत: अधिक से अधिक अधिकार क्षेत्रों में निक्षेप बीमा प्रणालियों का गठन जारी है, इसमें चीन नवीनतम सदस्य है।

3. अत: निक्षेप बीमा के महत्व को पहचानते हुए यह आवश्यक है कि नैतिक खतरे की समस्या को सुलझाया जाए। जमा बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) ने वर्ष 2002

में अपनी शुरुआत से नैतिक खतरे के विषय पर उल्लेखनीय कार्य किया है। ''प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन : नैतिक खतरे को कम करना'' विषयक पेपर में आईएडीआई ने उल्लेख किया है कि जमाकर्ताओं द्वारा निक्षेपी संस्थाओं की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए बाजार अनुशासन की ओर ध्यान देना नैतिक खतरे को कम करने का एक उत्तम उपाय है और यह मुख्यत: बड़े जमाकर्ताओं द्वारा किया जाएगा क्योंकि छोटे जमाकर्ताओं के पास न तो निक्षेपी संसथाओं में जोखिम भाँपने के लिए बाजार सूचना हेतु आवश्यक विशेषज्ञता होती है और न ही उस प्रकार की पहुँच। इसीलिए आईएडीआई ने जमाकर्ताओं द्वारा बाज़ार अनुशासन के अनुपालन के लिए एक महत्वपूर्ण अनुपूरक के रूप में विनियामक अनुशासन और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की पहचान की है। प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों (2014) के लिए आईएडीआई के मूल सिद्धान्त यह दर्शाते हैं कि एक सुदृढ़ सुरक्षा कवच वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में योगदान देती है; तथापि यदि रूपरेखा कमजोर है तो जोखिम बढ़ जाएगा और नैतिक खतरा उत्पन्न होगा। अत: निक्षेप बीमा की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए कि वह शेयरधारकों, बैंक प्रबंधकों और जमाकर्ताओं के व्यवहार को जान सके ताकि उन्हें नैतिक खतरे के प्रभाव से बचाया जा सके। मूल सिद्धान्त यह सुझाव देते हैं कि नैतिक खतरे को कम करने की दृष्टि से मूल रूपरेखा की विशेषताओं में (ए) निक्षेप बीमा का एक सीमित स्तर और दायरा (अधिकांश जमाकर्ताओं के लिए बीमा सुरक्षा रखी जाए किन्तु जमाराशियों की एक अच्छी मात्रा बाज़ार अनुशासन हेतु रखी जाए), (बी) विभेदक प्रीमियम (बीमाकृत बैंक के जोखिम प्रोफाइल से जोड़ा जाए) और (सी) जमा बीमाकर्ताओं और अन्य सुरक्षा नेट के सहभागियों अर्थात पर्यवेक्षकों और विनियामकों द्वारा समस्या वाली बैंक का समय पर हस्तक्षेप करना और समाधान करना उपलब्ध होना चाहिए। वित्तीय प्रणाली सुरक्षा नेट को भी नैतिक खतरे को कम करने के लिए विभिन्न उपायों जैसे (ए) अच्छे कॉर्पोरेट शासन को बढ़ावा देना, (बी) प्रत्येक बैंक में सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन, (सी) हानियों के लिए उत्तरदायी पक्षों को उनकी गलती के लिए जवाबदेह ठहराना, (डी) प्रभावी बाज़ार अनुशासन, (ई) मज़बूत विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण, और (एफ़) समाधान और उससे संबंधित कानून एवं नियम के माध्यम से नैतिक खतरे को कम करने के लिए उचित प्रोत्साहन का समर्थन करना चाहिए।

विभेदक - प्रीमियम के माध्यम से नैतिक खतरे का हल

4. सदस्य वित्तीय संस्थाओं से प्रीमियम एकत्र कर रहे निक्षेप बीमाकर्ता व्यावहारिक रूप से एक-समान प्रीमियम दर अपनाने का चयन करते हैं अथवा प्रत्येक बैंक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर विभेदक प्रीमियम का चयन करते हैं। हालांकि एक-समान प्रीमियम दर प्रणाली का यह लाभ है कि वह समझने और लागू करने में अपेक्षाकृत आसान है किन्तु वह बैंक द्वारा निक्षेप बीमा प्रणाली के समक्ष जोखिम के स्तर को ध्यान में नहीं लेती है। इसीलिए उसे अनुचित मान सकते हैं क्योंकि बैंकों की जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में लिए बगैर सभी बैंकों पर एक-समान प्रीमियम दर लागू किया जाता है (आईएडीआई, 2011)। नैतिक खतरे के संदर्भ में विभेदक प्रीमियम दर प्रणाली (डीपीएस) का अपनाया जाना एक महत्त्वपूर्ण घटक है। एक बैंक की जोखिम प्रोफाइल पर आधारित एक प्रीमियम प्रणाली बाज़ार अनुशासन ला सकती है और एक उच्च जोखिम वाली बैंक को अपनी जोखिम प्रोफाइल को सुधारने के लिए एक प्रोत्साहन उपलब्ध करा सकती है और इस तरह उसका निम्न प्रीमियम वाली श्रेणी में उन्नयन कर सकती है।

5. जोखिम आधारित प्रीमियम संबंधी लाभ को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1993 में अमरीका से शुरुआत करते हुए कई देशों ने अपने अधिकार क्षेत्रों में एक-समान प्रीमियम के स्थान पर जोखिम आधारित प्रीमियम को अपनाया है। वर्तमान में छब्बीस देशों द्वारा जोखिम आधारित प्रीमियम को अपनाए जाने का अनुमान है। तथापि एक-समान दर प्रीमियम जो अपेक्षाकृत लागू करने में आसान है उससे भिन्न जोखिम आधारित प्रीमियम को विकसित करने में निक्षेप बीमा के मूल्य निर्धारण की उचित पद्धति को तैयार करने की दृष्टि से कई चुनौतियाँ हैं।

जोखिम आधारित प्रीमियम का मापन

6. निक्षेप बीमा के मूल्य निर्धारण पर उपलब्ध साहित्य जोखिम आधारित प्रीमियम के निर्धारण के लिए मुख्य तौर पर दो विभिन्न दृष्टिकोण अर्थात मूल्य निर्धारण विकल्प मॉडल और अपेक्षित हानि मूल्य निर्धारण पद्धति की पहचान करता है। मूल्य निर्धारण विकल्प सिद्धांत का प्रयोग कंपनी द्वारा चूक की लाभप्रदता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अपेक्षित हानि मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण एक बैंक की अपेक्षित चूक की संभावना पर केन्द्रित है जिसका अनुमान

मूल सिद्धान्त, दर निर्धारण अथवा बाज़ार विश्लेषण के प्रयोग से किया जा सकता है। निक्षेप बीमा मूल्य निर्धारण पद्धति का मूल पहलू बैंक की आस्तियों के मूल्य के जोखिम का अनुमान लगाना है। बैंक जोखिम का अनुमान लगाने और निक्षेप बीमा प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए कई अधिकार क्षेत्रों में विनियामकों द्वारा सीएएमईएल (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन और चलनिधि) संकेतकों के साथ-साथ गुणात्मक संकेतकों का मिला-जुला प्रयोग किया जाता है।

मूल्य निर्धारण विकल्प मॉडल

7. ब्लैक -स्कौल्स (1973) के मूल्य निर्धारण विकल्प मॉडल के सिद्धान्त का प्रयोग मेरटन (1977) ने एक कंपनी द्वारा चूक की संभावना का अनुमान लगाने के लिए किया। एक कंपनी की चूक प्रक्रिया का निर्धारण उसकी आस्तियों के मूल्य और चूक के जोखिम से किया जाता है जो उस कंपनी की आस्तियों के मूल्य में उतारा-चढ़ाव का एक विशिष्ट कार्य है। मूल्य निर्धारण विकल्प दृष्टिकोण के अंतर्गत निक्षेप बीमा को निक्षेप बीमा करार और बैंक की आस्तियों के मूल्य को जोड़ते हुए बैंक की आस्तियों पर पुट ऑप्शन (विक्रय विकल्प) के रूप में लिया जाता है। मेरटन ने कंपनी ऋण को बैंक जमाराशियों के प्रतिनिधि के रूप में लिया और निक्षेप बीमा को जमाराशियों पर तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में माना, जहां गारंटी की भरपाई की बाध्यता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं थी। मेरटन ने दर्शाया कि इस गारंटी के लिए बैंक की अदायगी का ढांचा उसी तरह था जैसाकि बैंक की आस्तियों के मूल्य पर पुट ऑप्शन का जो बैंक के बीमाकृत जमाराशियों पर लागू मूल्य के समान था।

8. गारंटी देने वाले की लागत को मापने के लिए मेरटन (1977) ने पुट ऑप्शन और निक्षेप बीमा गारंटी के बीच एक समरूपता का प्रस्ताव रखा और उसके बाद निक्षेप बीमा का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए ब्लैक स्कौल्स फोर्मूला का प्रयोग किया। समरूपता दर्शाने का कारण यह था कि अवधि के अंत में यदि बैंक दिवालिया हो जाती है तो बीमाकर्ता को देयताएँ पूरी करने के लिए निधियों का प्रयोग करना पड़ता है।

9. मेरटन के कार्य के बाद निक्षेप बीमा के जोखिम के मूल्य निर्धारण के मापन संबंधी पहलू में सुधार के लिए कई अध्ययन शुरू हुए। मेरटन (1977) का प्रमुख उद्देश्य यह प्रमाण देना था कि क्या निक्षेप बीमा प्रीमियम का उचित आकलन किया गया है। मारकस और शाकेड (1984) ने दर्शाया कि अमरीका में लागू निक्षेप बीमा एफ़डीआईसी की लागत को लागू करने के बाद भी अत्यधिक था। तथापि, रॉन और वर्मा (1986) ने दावा किया कि निक्षेप बीमा कम मूल्य का था। इसका मुख्य कारण था कि मारकस और शाकेड (1984) ने विनियामक की सहनशीलता नीति को नज़रअंदाज़ किया गया था। पीन्नाच्ची (1987) यह तर्क देते हैं कि क्या निक्षेप बीमा कम या अधिक लागू किया गया है, इसका प्रमाण बीमाकर्ता का बैंकिंग उद्योग पर प्रभाव का स्तर (डिग्री) पर निर्भर होता है।

10. इन मूल्य निर्धारण विकल्प मॉडलों का अति महत्वपूर्ण दोष है कई ऋण संस्थाओं के पास बाज़ार सूचना का अभाव जो वास्तव में इन मॉडल को लागू करने में कठिनाई पैदा करते हैं। (पिलार गोमेज - फर्नांडिस - अगूआडो, 2014)

अपेक्षित हानि का मूल्य निर्धारण

11. ''अपेक्षित हानि का मूल्य निर्धारण'' निक्षेप बीमा मूल्य निर्धारण का और एक तरीका है। एक बैंक के अपेक्षित चूक की संभावना पर आधारित ऋण जोखिम मॉडल में आधारभूत अथवा बाज़ार विश्लेषण से अनुमान लगाया जा सकता है। सुविकसित पूंजी बाज़ारों वाले देश में निक्षेप बीमा के मॉडल के प्रयोग को पसंद करते हैं। अपेक्षित हानि के मूल्य निर्धारण के सिद्धान्त को निम्नलिखित फॉर्मूला से लागू किया जा सकता है :

*अपेक्षित हानि : अपेक्षित चूक संभावना * एक्सपोज़र * हानियुक्त चूक*

12. अपेक्षित हानि निक्षेप बीमाकर्ता को हानि की मात्रा बीमाकृत जमाराशियों के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करता है और निक्षेप बीमा की लागत का मूल्य निर्धारण करता है। अत: उसे हानि रहित करने के लिए निक्षेप बीमाकर्ता को चाहिए कि वह अपेक्षित हानि की कीमत के बराबर प्रति बीमाकृत जमाराशि प्रीमियम निर्धारित करना चाहिए। अपेक्षित चूक संभावना का अर्थ है अपेक्षित संभावना कि बैंक अपने ऋण में चूक करेगा और उसका अनुमान मूलभूत विश्लेषण, बाज़ार विश्लेषण अथवा दर निर्धारण विश्लेषण का प्रयोग करते हुए चूक के आंकड़ों के इतिहास (जहां उपलब्ध हो) के आधार पर लगाया जा सकता है। मूलभूत विश्लेषण सीएएमईएल दर निर्धारण के प्रयोग पर निर्भर है। बाज़ार विश्लेषण अंतर-बैंक

जमाराशियाँ, सहायक ऋण और डिबेंचरों जैसे गैर-बीमाकृत बैंक ऋण पर ब्याज दरों और प्रतिलाभ का प्रयोग करती है। दर निर्धारण विश्लेषण दर निर्धारण एजेंसियों के ऋण दर का प्रयोग करती हैं। उदाहरण के लिए 1934-2001 की अवधि के लिए अमरीका में बैंक चूक पर ऐतिहासिक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अमरीकी बैंकों के लिए औसत चूक संभावना 0.24 थी।

13. एक्सपोज़र देयताएँ वो हैं जिन्हें बैंक के विफल होने पर कवर किया जाना है। एक्सपोज़र एक निक्षेप बीमाकर्ता के लिए बीमाकृत जमाराशियों के बराबर की राशि होती है। चूक के कारण हुई हानि निक्षेप बीमाकर्ता को हानि की मात्रा का मापन कुल चूक हुए एक्सपोज़र के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करता है। हानियुक्त चूक का हिसाब उस बीमाकृत देयताओं से बैंक के समाधान से आस्तियों के वर्तमान मूल्य की वसूली का कुल जोड़ करके किया जाता है। अत: विफल आस्तियों पर वसूली दर जितना अधिक होता है उतना ही हानियुक्त चूक कम होती है। अमरीका में ऐतिहासिक औसत हानि दर का अनुमान बैंक आस्तियों का 25 प्रतिशत पर आँका गया था। बैंक आस्तियों की वसूली दर उन अधिकार क्षेत्रों में कम होगी जहां कम सक्षमता और कम तेज़ बैंक समाधान होते हैं। हालांकि निक्षेप बीमा निधि को बैंक के आनुपातिक अपेक्षित हानि के लिए अपेक्षित हानि का मूल्य निर्धारण के उक्त तीन घटक उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं किन्तु चूक संभावना के अनुमान पर अधिक ज़ोर दिया जाता है क्योंकि गैर-बीमाकृत जमाराशियों और निक्षेप बीमा निधि द्वारा हुई ऐतिहासिक हानियों पर बैंक -विशेषवार जानकारी उपलब्ध होने के कारण अन्य दोनों की गणना करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है (लूक लाइवेन, 2008)।

14. इस पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि इसे देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। अधिकतर देश जिन्होंने जोखिम आधारित प्रीमियम को अपनाया है वे जोखिम आधारित प्रीमियम निर्धारण में किसी न किसी प्रकार का अपेक्षित हानि मूल्य निर्धारण पद्धति का अनुपालन करते हैं।

15. हालांकि, हाल में पिछले कुछ समय से जोखिम आधारित प्रीमियम ने प्रमुखता प्राप्त की है। फिर भी बैंक जोखिम का मापन, विश्वसनीय एवं समयोचित आंकड़ों को प्राप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि दर निर्धारण के मानदण्ड पारदर्शी हैं और समस्या वाली बैंकों पर उच्च प्रीमियम लागू करने के कारण अस्थिरता पैदा करने वाले संभाव्य प्रभाव की जांच करना जैसे जोखिम समायोजित प्रीमियमों की एक-समान प्रणाली लागू करने संबंधी कतिपय समस्याएँ हैं। बैंक जोखिम के मापन में सामान्यत: सर्वाधिक प्रयोग में पूंजी पर्याप्तता, सीएएमईएल और पर्यवेक्षी दर निर्धारण शामिल है। केवल कुछ देश ही जोखिम का आकलन करने के लिए जटिल पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निक्षेप बीमा मूल्य निर्धारण के लिए विस्तृत दृष्टिकोण के विवरण की पृष्ठभूमि में चयनित अधिकार क्षेत्रों में अपनाई गई पद्धति निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत हैं।

जोखिम आधारित प्रीमियम - बहुराष्ट्रीय कार्यप्रणाली

16. वर्ष 1993 में अमेरिका से शुरुआत करते हुए अनेक देशों ने अपने अधिकार क्षेत्र में एक-समान प्रीमियम के बदले जोखिम आधारित प्रीमियम को अपनाया है। इसमें तेजी से वृद्धि हुई है और अनुमान है कि वर्तमान में इसे छब्बीस देशों में व्यवहार में लाया जा रहा है। चुनिंदा देशों की जोखिम आधारित प्रीमियम प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में प्रस्तुत की जा रही हैं। फेडरल निक्षेप बीमा निगम (एफ़डीआईसी) के लिए प्रीमियम दर . कानून द्वारा लागू की गई थी और उसे केवल अमेरिकी कांग्रेस की कार्रवाई से ही बदला जा सकता था। प्रीमियम दर को निर्धारणीय जमाराशियों के एक प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया था। वर्ष 1993 तक यह सभी बीमाकृत बैंकों से एक-समान दर पर बीमा प्रीमियम लेता था। 1980 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में बैंक विफलताओं में भारी उछाल ने चिंताएं बढ़ा दी और एक कानून पारित किया गया जिसके तहत एफ़डीआईसी ने जोखिम आधारित प्रीमियम की एक प्रणाली स्थापित की। एफ़डीआईसी ने 1 जनवरी 1993 की प्रभावी तारीख से विभेदक प्रीमियम प्रणाली लागू कर दी; 2010 में लागू वित्तीय सुधार कानून के अनुसरण में जोखिम संबंधित प्रीमियम प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए।

17. कनाडा ने सीडीआईसी की एक-समान प्रीमियम दर प्रणाली के स्थान पर एक ऐसी प्रणाली लाने के लिए 1995 में अपनी निक्षेप बीमा निगम (सीडीआईसी) अधिनियम में संशोधन किया जिसके अंतर्गत सदस्य संस्थाओं को विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाए ताकि उनके जोखिमों को व्यापक रूप से दर्शाया जा सके और इन श्रेणियों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रीमियम दर लागू किया जा सके। 1996 से 1999 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान सीडीआईसी की विभेदक प्रीमियम प्रणाली के डिजाइन, विकास

और परामर्श प्रक्रिया में एक विस्तृत बदलाव लाया गया। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रीमियम दरें रेटिंग स्केल के साथ-साथ ज्यामितीय अनुक्रम में बढ़ती हैं। कोलम्बियाई निक्षेप बीमा एजेंसी एफ़ओजीएएफ़आईएन ने स्थापना के समय से वर्ष 1998 तक अपने सभी सदस्य बैंकों पर एक-समान प्रीमियम दर लागू किया। वर्ष 1998 में एफ़ओजीएएफ़आईएन ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के आधार पर एक-समान प्रीमियम दर पर मार्कअप के रूप में प्रीमियम के जोखिम आधारित घटक को लागू किया। वर्तमान में, एफ़ओजीएएफ़आईएन के पास एक-समान दर प्रीमियम और सदस्य संस्थान के जोखिम प्रोफाइल पर आधारित परिवर्तनशील प्रीमियम घटक से बनी एक मिश्रित प्रीमियम योजना है। मलेशिया निक्षेप बीमा निगम (एमडीआईसी) ने एक पूर्व निधीयन दृष्टिकोण अपनाया था, जहां सदस्य संस्थानों पर लागू प्रीमियम सितंबर 2005 में निक्षेप बीमा प्रणाली की शुरूआत से एक-समान प्रीमियम दर प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रणाली के तहत 0.06% की वार्षिक प्रीमियम दर सभी सदस्यों पर लागू की गई थी। मलेशिया ने 2008 में एक-समान दर प्रणाली के स्थान पर डीपीएस को अपना लिया था। तथापि मलेशिया ने दोबारा अपनी प्रीमियम प्रणाली पर 2011 और हाल ही में 2015 में इस पर विचार किया और उसमें और अधिक सुधार लाया गया। एमडीआईसी प्रत्येक बैंक के आकलन के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक सामग्री दोनों के संयोजन का प्रयोग करता है। ताइवान के केंद्रीय निक्षेप बीमा निगम ने 1985 से 1999 के मध्य तक एक-समान प्रीमियम दर प्रणाली को अपनाया था। फिर जुलाई 1999 से उसने जोखिम आधारित प्रीमियम को लागू किया। जोखिम आधारित प्रीमियम प्रणाली के तहत प्रत्येक बीमाकृत संस्था के लिए प्रीमियम दर का निर्धारण प्रत्येक बीमित संस्था के जोखिम स्तर के आधार पर किया जाता है।

भारत

18. भारत में समय-समय पर बैंकों के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम लागू करने की सिफारिशें की गई है। बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर गठित नरसिंहम समिति की रिपोर्ट (1998) में संरचनात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक-समान प्रीमियम दर प्रणाली के स्थान पर जोखिम आधारित प्रीमियम प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई थी। भारत में निक्षेप बीमा में सुधार पर गठित कपूर समिति (आरबीआई, 1999) ने भी यही राय दोहराई थी। डीआईसीजीसी द्वारा क्रेडिट जोखिम मॉडल पर गठित समिति (2006) ने भी यह सिफ़ारिश की थी कि राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों से शुरुआत करते हुए जोखिम आधारित प्रीमियम प्रणाली लागू की जा सकती है। पूर्व की विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बावजूद, जोखिम आधारित प्रीमियम प्रणाली को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि अन्य बातों के साथ साथ, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (बीमाकृत बैंकों का 90% तक का भाग) का अब तक पुनर्गठन किया जा रहा है और सभी बीमाकृत बैंकों विशेष रूप से सहकारी बैंकों के लिए मजबूत पर्यवेक्षी मूल्यांकन का अभाव है जोकि मूल्यांकन मॉडल के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। तथापि निक्षेप बीमा कवर में रु. 0.1 मिलियन के मौजूदा स्तर में वृद्धि के लिए हितधारकों और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है। बीमाकृत बैंकों के जोखिम प्रोफाइल को प्रीमियम दरों की गणना के अनुरूप न रखने से और निक्षेप बीमा कवर में वृद्धि करने से केवल अंतर्निहित नैतिक खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। इसको देखते हुए यह महसूस किया गया है कि बीमा कवर को रु. 0.1 मिलियन की मौजूदा उच्चतम सीमा से बढ़ाने को सुविधाजनक बनाने के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखकर भारत में जोखिम आधारित प्रीमियम लागू करने पर सिफारिशें करने के लिए मार्च 2015 में बैंकों के लिए विभेदक प्रीमियम पर एक समिति (अध्यक्ष, श्री जसबीर सिंह) का गठन किया गया है।

निक्षेप बीमा के लिए निधीयन

19. निक्षेप बीमा प्रणाली के निधीयन के लिए तीन तरीके उपलब्ध हैं। वो हैं पूर्व, पश्चात और मिश्रित । पूर्व तरीके में बैंकों को विफलताओं से बचाने के लिए आवश्यक धन पहले से ही एकत्र कर लिया जाता है। निधि का स्त्रोत सदस्य संस्थाओं से एकत्र किया गया प्रीमियम और इन निधियों के निवेश से अर्जित प्रतिलाभ होता है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक स्थिति में निधीयन के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था भी पूर्व तरीके का एक भाग है। पश्चात तरीके में विफलता(एं) होने के बाद में बैंक आवश्यक धन को एकत्र करते हैं। मिश्रित तरीके में पूर्व और पश्चात दोनों तरीकों का मिश्रण होता है।

20. पूर्व और पश्चात तरीके का तुलनात्मक विश्लेषण पहले अर्थात पूर्व के पक्ष में है। सबसे पहले, पूर्व तरीका विभेदक प्रीमियम प्रणाली को अपनाने में सहायक होता है और इस प्रकार नैतिक खतरे

को कम करता है, क्योंकि उच्च प्रीमियम दर उच्चतर जोखिम को संतुलित कर देता है। दूसरा, पूर्व तरीके में विफलता की संभावना वाले बैंकों सहित सभी बैंक अपनी निर्धारणीय जमाराशियों पर लागू ब्याज दर से प्रीमियम का भुगतान करते हैं। इससे प्रतिसहायता में कमी आती है और इस प्रकार प्रणाली न्यायोचित होती है, क्योंकि पश्चात के तहत सबसे अधिक जोखिम वाले बैंक जो वास्तव में विफल होते हैं वे निधि में कभी भी सहायता नहीं देते हैं। तीसरा, पूर्व तरीका निधीयन प्रणाली की समर्थक चक्रीयता को घटा देता है। अच्छे समय में एकत्रित निधि संकट के समय में उपयोगी निधि में बदल जाती है और इसलिए जमा बीमा कंपनी को प्रतिकूल वित्तीय परिदृश्य में सदस्य बैंकों से अतिरिक्त धन जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, पूर्व निधीयन का एक सकारात्मक प्रभाव होता है और यह जमाकर्ताओं में एक विश्वास पैदा करता है कि बैंक के समस्या में जाने के दौरान डीआईए के पास युद्ध स्तर पर जमा पूंजी होती है जिसका सहारा लिया जा सकता है। दूसरी ओर पूर्व तरीके में अवसर मूल्य शामिल होता है क्योंकि उन संसाधनों को वैकल्पिक अच्छे, कुशल या अधिक लाभ देने वाले प्रयोजनों के लिए बैंकों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि इसमें शामिल निधीयन की अनिश्चित्ता को देखते हुए पूर्व तरीके से जमा की गई बीमा निधि के फायदे पश्चात तरीके को अपनाने से कहीं ज्यादा हैं। निक्षेप बीमा एजेंसियों द्वारा पूर्व प्रणाली को अपनाए जाने को यह सार्थक करता है।

21. जमाकर्ताओं की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक निक्षेप बीमा प्राधिकरण के पास पर्याप्त निधि होनी चाहिए जो हमेशा उपलब्ध रहे। निधि की अपर्याप्तता और उसकी उपलब्धता का अभाव जमाकर्ताओं के विश्वास को और उनकी जमाराशि की सुरक्षा को कम करता है। मूल सिद्धान्त यह कहते हैं कि निक्षेप बीमा प्रणाली का निधीयन सदस्य बैंकों की ज़िम्मेदारी है। निक्षेप बीमा निधि को बैंकिंग क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन इस निधि को इतना व्यापक भी नहीं समझा जाना चाहिए कि वह प्रणालीगत बैंकिंग संकट को सुलझा सके। निक्षेप बीमा कोष की पर्याप्तता को एक चलायमान लक्ष्य के संदर्भ में लिया जाना चाहिए। जमा देयताओं की गति को उपयुक्त अंतराल में जमा बीमा निधि की पर्याप्तता की निरंतर समीक्षा की आवश्यकता होती है।

22. धारित निक्षेप बीमा निधि की पर्याप्तता को लेकर अक्सर चिंताएं बनी रहती है क्योंकि कुछ अवसरों पर बीमा देयताओं को मुक्त करते समय निधि नकारात्मक हो गई होती है। आईएमएफ़ वर्किंग पेपर ने टिप्पणी की है कि कई निक्षेप बीमा प्रणालियों में विशेषकर बड़े वित्तीय प्रणाली वाले देशों में निधीयन कम प्रतीत होता है। निधीयन में अपर्याप्तता, निधियों की उपलब्धता के साथ-साथ दर्शाई गई कवर की राशि में भी देखी गई है। पेपर ने यह टिप्पणी भी की है कि हाल के वित्तीय संकट के दौरान निक्षेप बीमा कवरेज में तेजी से वृद्धि हुई और बाद में कम भी हो गई थी लेकिन औसत तौर पर, कवरेज का स्तर संकट पूर्व के स्तर से ऊपर बना रहा। ऊंचा कवरेज स्तर प्रणाली की प्रतिबद्धता पर बने रहने की क्षमता को दर्शाता है। तकनीकी रूप से निक्षेप बीमा निधि का आकार डीआईए के संभावित पोर्टफोलियो नुकसान को दर्शाता है और सामान्य रूप से बीमित देयताओं से यह कम होता है (बीमित जमाकर्ताओं को भुगतान करने के बाद डीआईए जमाकर्ता का स्थान ग्रहण करता है और बीमा देयताओं को मुक्त करने के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए विफल बैंक की संपत्ति पर प्रस्थापन (सब्रोगेशन) अधिकार प्राप्त करता है)। तथापि जमाकर्ताओं को भुगतान के माध्यम से नकद खर्च तत्काल हो जाता है जबकि वसूलियां कुछ समय की अवधि में उपचित होती हैं जिसके कारण नकदी प्रवाह में असमानता दिखती है। इस स्थिति से निपटने के लिए तथा निक्षेप बीमा प्रणाली की सफलता के लिए डीआईए को आपात कालीन निधि की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के समर्थन की सुविधा होनी चाहिए। मूल सिद्धान्त कहते हैं कि चलनिधि निधीयन की पूर्व-व्यवस्था और सुनिश्चित स्त्रोत सहित आपात कालीन निधीयन व्यवस्था स्पष्ट रूप से होनी चाहिए या कानून या नियम में इसकी अनुमति होनी चाहिए। इस स्त्रोत में सरकार,केन्द्रीय बैंक या बाज़ार ऋण के साथ निधीयन करार भी शामिल होना चाहिए। आईएमएफ़ ने इस संबंध में यह देखा कि केवल 38% अधिकार क्षेत्रों के पास ही प्रतिबद्ध स्त्रोतों के थोड़े बहुत समर्थन की सुविधा है।

23. अत: इस संदर्भ में एक निक्षेप बीमाकर्ता के लिए अनुकूलतम लक्ष्य निधि की मात्रा का निर्धारण करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त पद्धति का प्रयोग अति आवश्यक है। लक्ष्य निधि के स्तर का निर्धारण करने के लिए विश्वभर में निक्षेप बीमाकर्ताओं द्वारा विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं। आईएडीआई

सर्वेक्षण (2011) के अनुसार 33 संस्थाओं में से 9 निक्षेप बीमाकर्ता (कनाडा, हाँगकाँग, इन्डोनेशिया, नाइजीरिया, रूस, फिलीपींस, यूएसए, सिंगापोर और ज़िम्बाब्वे) निक्षेप बीमाकर्ता के संभावित नुकसान की गणना करने और इस तरह निधियों के लक्ष्य स्तर को प्राप्त करने के लिए बीमित संस्थाएं चूक की संभावना (पीडी) का उपयोग करती हैं। अन्य कुछ देश चूक की संभावना की गणना के लिए सांख्यिकीय पद्धतियाँ और बाहरी मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं और लक्ष्य का स्तर तय करने के लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। इंडोनेशिया मात्रात्मक मॉडल के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन का उपयोग करता है और फिर चूक की संभावना की गणना के लिए परिवर्तनीय ढांचे पर एक मॉडल तैयार किया जाता है। रूस बीमाकृत संस्थाओं द्वारा जारी बांडों के बाजार मूल्यों के आधार पर पद्धतियों और मॉडलों का उपयोग करता है।

24. निगम ने अब तक आरक्षित अनुपात के रूप में आरक्षित निधि के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। ऐसे कई अधिकार क्षेत्र हैं जिन्होंने अपने निक्षेप बीमा परिचालनों के लिए आरक्षित निधि के लक्ष्य तय किए हैं, जो न्यूनतम 0.25 %(हाँगकाँग) से अधिकतम 5 % (अर्जेन्टीना) के बीच है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य निधि के आकार का निर्धारण करने की प्रक्रिया के परिशोधन का कार्य अभी भी जारी है। आईएडीआई ने लक्ष्य निधि निर्धारित करने पर सदस्य बैंकों हेतु एक मार्गदर्शिका का निर्माण करने के लिए अपनी अनुसंधान और मार्गदर्शन समिति के अंतर्गत एक उपसमूह का गठन किया है। आज की स्थिति में, निगम अनौपचारिक रूप से 2.5% के आरक्षित अनुपात की ओर बढ़ रहा है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार आरक्षित अनुपात 1.93% था। पिछले 5 वर्षों में आरक्षित अनुपात की गति को चार्ट 1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1: आरक्षित अनुपात

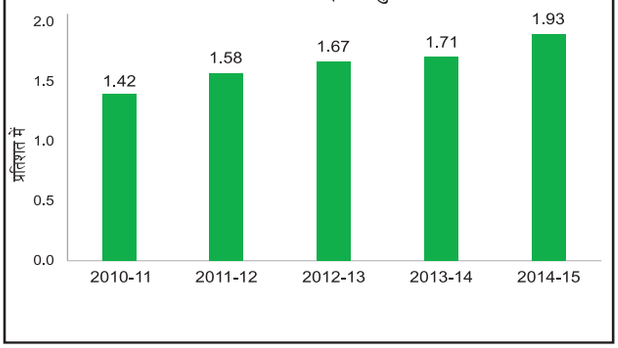

25. विफलताओं के पुराने रिकॉर्ड को देखने पर डीआईसीजीसी द्वारा संरक्षित निधि पर्याप्त प्रतीत होती है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यह निधि कुछ छोटे या मझौले आकार के वाणिज्यिक बैंकों की कल्पित विफलता पर उत्पन्न होने वाले दावों की भरपाई कर पाएगी। जैसा कि पहले कहा गया है, कोई भी निक्षेप बीमाकर्ता व्यापक वित्तीय संकट का सामना करने हेतु इतनी अधिक चलनिधि संरक्षित नहीं कर सकता है। बैंकों की प्रणालीगत रूप से विफलता की असाधारण स्थिति में यह अति आवश्यक है कि निक्षेप बीमाकर्ता के पास केन्द्रीय बैंक और/या सरकार से निधि की असीमित और त्वरित आपूर्ति का साधन हो ताकि वित्तीय स्थिरता खतरे में न पड़े। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2008 के संकट के दौरान इस प्रकार की व्यवस्था ने ही जमाकर्ताओं में मची हलचल को नियंत्रित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज की स्थिति में डीआईसीजीसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से सहायता की सुविधा के रूप में केवल रु.50 मिलियन की पात्रता है और अत: अंतरराष्ट्रीय मानकों के स्तर पर इस प्रकार की सहायता में संवर्धन करना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष

26. निक्षेप बीमा प्रणाली लागू करना अपने साथ विशिष्ट लाभों के अतिरिक्त वित्तीय प्रणाली में नैतिक खतरे की समस्या को भी साथ लाती है। इसे नियामक उपायों तथा निक्षेप बीमा एजेंसियों के सदस्य संस्थानों द्वारा जोखिम आधारित प्रीमियम लागू किए जाने सहित अन्य कई उपायों के माध्यम से संबोधित किए जाने की मांग की जा रही है। एक जोखिम आधारित विभेदक प्रीमियम प्रणाली लागू करने में निक्षेप बीमा का मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। निक्षेप बीमा मूल्य निर्धारण के लिए प्रमुख तौर पर दो दृष्टिकोण रहे हैं अर्थात मूल्य निर्धारण विकल्प मॉडल और संभावित हानि मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण विकल्प मॉडल पर उपलब्ध साहित्य काफी हद तक केवल शैक्षिक अनुभवजन्य कार्य तक ही सीमित है। मूल्य निर्धारण विकल्प मॉडल के आधार पर प्रीमियम को मापने में निहित सीमाओं और जटिलताओं के कारण और कार्यान्वयन से जुड़ी कठिनाइयों के कारण जोखिम आधारित प्रीमियम को अपनाने वाले किसी भी देश ने इस कार्यप्रणाली को नहीं अपनाया है। दूसरी ओर संभावित हानि मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण समझने में अपेक्षाकृत सरल है और विभिन्न मानदण्डों पर सरलता और आंकड़ों की उपलब्धता दोनों ही दृष्टि से गणना करने योग्य है। व्यावहारिक रूप से निक्षेप बीमा को मापने के लिए देश अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर संभावित हानि मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण के कोई न कोई प्रकार का

उपयोग करते हैं। बहुराष्ट्रीय कार्यप्रणाली यह दर्शाती है कि विभेदक प्रीमियम प्रणाली न्यायसंगत है और कार्यनिष्पादन व सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली को प्रोत्साहित करते हैं। तथापि विभिन्न देशों के बीच जोखिम के आकलन के लिए कोई एक-समान दृष्टिकोण नहीं है। जोखिम निर्धारण की प्रक्रिया कोलम्बिया, कनाडा और मलेशिया के जैसी सरल और यूएस जैसी कठिन होती है। इससे बड़े संस्थानों के लिए दूरंदेशी जोखिम उपाय की शुरुआत हुई है। चूक के मामले में निक्षेप बीमा देयताओं की पूर्ति करने के लिए प्रभावी निक्षेप बीमा हेतु मूल सिद्धांतों के रूप में निर्धारित निधीयन के लिए सरकार पर निर्भर रहे बिना निक्षेप बीमा निधि का निधीयन एक आवश्यक पहलू बन चुका है। इस संदर्भ में, कुछ देशों ने भी चूक के मामले में निक्षेप बीमा देयताओं की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त लक्ष्य निधि तैयार कर ली है।

संदर्भ

एसली देमिर्ग्यूक-कंट, एडवर्ड केइन, और ल्यूक लीवेन (2014), निक्षेप बीमा डाटाबेस, आईएमएफ वर्किंग पेपर सं.118

शेंग-फ़्यू ली, ऐलिस सी.ली और जॉन ली (2010) संस्करण -'' मात्रात्मक वित्त और जोखिम प्रबंधन की पुस्तिका'', स्प्रिंगर

डीआईसीजीसी (2006), ऋण जोखिम मॉडल पर समिति की रिपोर्ट।

डेम्बे, ए.ई और बोडेन, एल.आई (2000), नैतिक खतरा: नैतिकता का प्रश्न? नए समाधान, खण्ड 10 सं.3।

यूरोपीय आयोग (2008), यूरोपीय संघ की निक्षेप गारंटी योजना में जोखिम आधारित योगदान: मौजूदा प्रणालियाँ, संयुक्त अनुसंधान केन्द्र।

एफएसबी (2012), निक्षेप बीमा प्रणाली पर विषयगत समीक्षा, फरवरी।

ल्यूक लीवेन (2008), ''विश्वव्यापी निक्षेप बीमा: डिजाइन और कार्यान्वयन के मुद्दे'' में, निक्षेप बीमा मूल्य निर्धारण, संस्करण - एसली देमिर्ग्यूक-कंट और अन्य, एमआईटी प्रेस, विश्व बैंक।

आईएडीआई (2009), निक्षेप बीमा प्रणालियों के निधियन, -दिशानिर्देश पर पेपर, मई।

आईएडी आई (2011) एशिया - पसेफिक क्षेत्र में निक्षेप बीमा प्रणालियों की निधियन व्यवस्था - अनुसंधान पेपर, जुलाई।

आईएडीआई (2011), विभेदक प्रीमियम प्रणाली विकसित करने के लिए सामान्य मार्गदर्शन, अक्टूबर।

आईएडीआई (2011), जोखिम विश्लेषण के आधार पर निक्षेप बीमा कोष पर्याप्तता का मूल्यांकन,चर्चा पेपर।

आईएडीआई (2013), प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली के लिए संवर्धित मार्गदर्शन: निक्षेप बीमा कवरेज', मार्च।

आईएडीआई (2014), प्रभावी निक्षेप बीमा के लिए आईएडीआई मूल सिद्धांत', नवंबर।

मार्कस ए.जे और आई शाकेड (1984), विकल्प मूल्य निर्धारण अनुमान के प्रयोग से एफ़डीआईसी के निक्षेप बीमा का मूल्यांकन, मनी, क्रेडिट एण्ड बैंकिंग पत्रिका 16।

मेरटन, रॉबर्ट (1977), निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के मूल्य की विश्लेषणात्मक व्युत्पत्ति। बैंकिंग एण्ड फाइनेंस पत्रिका।

मेरटन आर सी (1978), जहां निगरानी लागत हैं वहाँ निक्षेप बीमा की लागत पर, बिज़नेस पत्रिका 51।

पेट्रीसिया ए मैककॉय (2007), निक्षेप बीमा पर नैतिक खतरे का प्रभाव : सिद्धांत और साक्ष्य, आईएमएफ़, फरवरी।

पॉल क्रुगमैन (2009), मंदीयुक्त अर्थशास्त्र की वापसी और 2008 का संकट।

पिन्नाच्ची, जी.जी (1987), निक्षेप बीमा का अधिक अथवा कम मूल्य निर्धारण की पुन: जांच - मनी, क्रेडिट एण्ड बैंकिंग पत्रिका 19।

पिलर गोमेज़ - फर्नांडीज - अगुआडो, एंटोनियो पारटा - उरेना और एंटोनिया त्रुज़िलिओ - पोंस (2014), यूरोपीय संघ में जोखिम आधारित निक्षेप बीमा की दिशा की ओर जाना : व्यावहारिक अर्थशास्त्र स्पेन का मामला, संख्या 13।

रॉन, एहूद और अविनाश वर्मा (1986), जोखिम -समायोजित निक्षेप बीमा का मूल्य निर्धारण: एक विकल्प आधारित मॉडल, वित्त की पत्रिका 41।

सुज़ान वाल्टर और मथायस स्कालर (2012), 'व्यावहारिक जोखिम आधारित प्रीमियम की गणना का एक वैकल्पिक तरीका, बैंकिंग, वित्तीय बाजार और विनियमन में नए मानदंड? संस्करण- मोर्टेन बॉलिंग और अन्य। एसयूईआरएफ़।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

भाग I: परिचालन और कार्य पद्धति

1.1 बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण / विपंजीकरण

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,129 है, जिसमें 92 वाणिज्यिक बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और 1,977 सहकारी बैंक शामिल हैं। 1962 में निक्षेप बीमा योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक पंजीकृत बैंकों की वर्षवार **संलग्नक *I*** में तथा सहकारी बैंकों की श्रेणीवार और राज्यंवार संख्या दर्शानेवाले विवरण **संलग्नक *II*** में दिए गए हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 3 वाणिज्यिक बैंकों को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया और 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 17 सहकारी बैंकों को विपंजीकृत किया गया, जिसके विवरण **संलग्नक *III*** में दिए गए हैं।

1.2 निक्षेप बीमा योजना का विस्तार

इस समय निगम द्वारा उपलब्ध निक्षेप बीमा के अंतर्गत सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों और सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में स्थित सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है। तथापि संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप तथा दादरा और नगर हवेली में कोई सहकारी बैंक नहीं है।

1.3 बीमाकृत जमाराशियाँ

वर्ष 2014-15 और 2013-14 के अंत तक निगम द्वारा बीमाकृत खातों की संख्या और जमाराशि की रकम तथा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की सीमा संबंधी ब्यौरा सारणी 1. में दिया गया है।

निक्षेप बीमा के प्रारंभ से जमाकर्ताओं को प्रदान की गई सुरक्षा की सीमा और पिछले तीन वर्षों के लिए बैंक श्रेणी-वार अलग-अलग आँकड़े क्रमश: **संलग्नक *IV*** और ***V*** में प्रस्तुत किए गए हैं। विभिन्न वर्षों में जमाकर्ताओं को दी गई सुरक्षा की सीमा संबंधी ब्यौरा चार्ट 1 में दिया गया है। 31 मार्च 2015 को ₹100,000 का वर्तमान बीमा कवर का स्तर प्रति व्यक्ति आय का 1.2 गुना था।

1.4 निक्षेप बीमा प्रीमियम

वर्ष 2014-15 और 2013-14 के दौरान बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित) का बैंक श्रेणीवार विवरण सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान बैंकों से प्राप्त प्रीमियम (सेवाकर को छोड़कर) में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारिणी 1: बीमाकृत जमाराशियाँ*

विवरण		वर्ष के अंत में	
		2014-15	**2013-14**
1	खातों की कुल सं. (मिलियन में)	1,456.36	1,370.13
2	पूर्णतया संरक्षित खाते (मिलियन में)	1,345.09	1,267.17
3	1 की तुलना में 2 का प्रतिशत	92.3	92.4
4	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	84,751.54	76,166.40
5	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	26,067.94	23,791.52
6	4 की तुलना में 5 का प्रतिशत	30.8	31.2

* वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमश: सितम्बर 2013 और सितम्बर 2014 के अंतिम कार्यदिवस के रिटर्नों पर आधारित।

चार्ट 1 : जमाकर्ताओं को दिए गए सुरक्षा का विस्तार

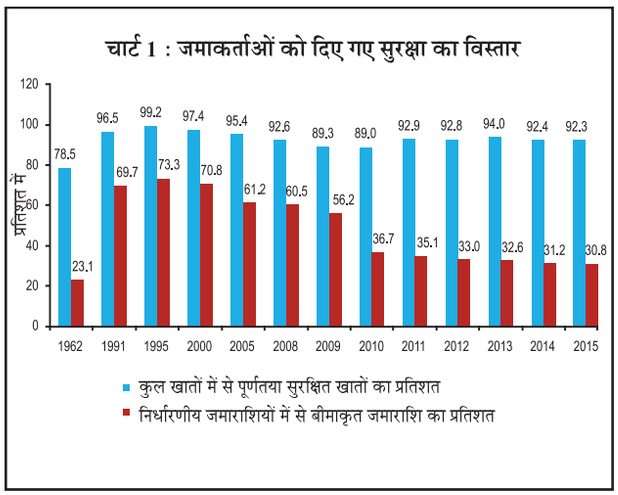

सारिणी 2 : प्राप्त प्रीमियम

(₹ मिलियन में)

वर्ष	स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2014-15	76,469	5,817	82,286
2013-14	68,025	5,103	73,128

1.4.1 विलंब से प्राप्त प्रीमियम पर दण्डात्मक ब्याज

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत से अनधिक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से निगम को ब्याज देना होगा। साथ ही, निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 की धारा 20 के अनुसार ब्याज की दर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत पर तय की गई है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक दर 2 बार संशोधित की गई। तदनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दंड स्वरूप ब्याज दर भी 2 बार संशोधित की गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर की गति संबंधी ब्यौरा सारणी 3 में प्रस्तुत किया गया है।

सारिणी 3 : बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर की गति

से	तक	बैंक दर (%)	दंड स्वरूप ब्याज दर (%)	चूककर्ता बैंको द्वारा देय ब्याज दर (%)
01.04.2014	14.01.2015	9.00	8	17.00
15.01.2015	03.03.2015	8.75	8	16.75
04.03.2015	31.03.2015	8.50	8	16.50

1.5 निक्षेप बीमा निधि

निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का प्रमुख स्रोत बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किया गया प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त कूपन आय (और इसके पुनर्निवेश से)है। इसके साथ ही इसमें परिसमापकों /प्रशासकों /अंतरिती बैंकों से वसूल की गई छोटी राशियों का अंतर्प्रवाह (इनफ्लो) भी होता है। इस प्रकार निगम प्रतिवर्ष व्यय से ज्यादा आय जिसमें मुख्य रूप से बीमाकृत जमाकर्ताओं को किए गए भुगतान शामिल है,को अंतरित करके अपनी निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)का निर्माण करता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन /पुनर्निमाण /समामेलन आदि के अधीन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि का आकार ₹452.4 बिलियन के अधिशेष के सहित (31 मार्च, 2014 के ₹406.2 बिलियन की तुलना में बढ़कर) ₹504.5 बिलियन हो गया है, जिसका आरक्षित अनुपात (बीमित जमाराशि की तुलना में निक्षेप बीमा निधि का अनुपात) 1.9 प्रतिशत है।2000-01 से निक्षेप बीमा निधि और आरक्षित अनुपात की स्थिति दर्शाने वाला चार्ट 2 नीचे प्रस्तुत है।

चार्ट 2 : निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और आरक्षित अनुपात (आरआर)

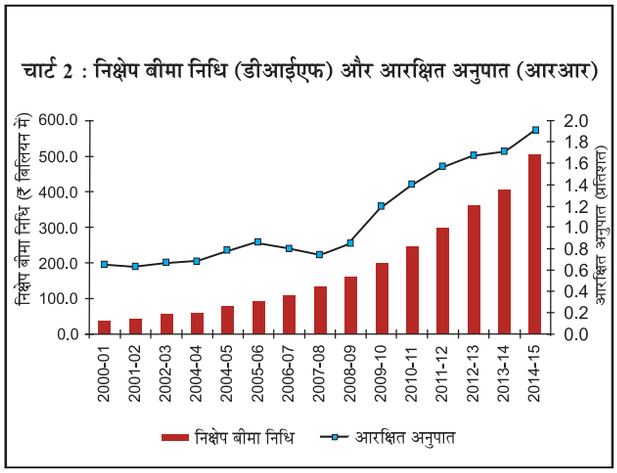

1.6 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

वर्ष 2014-15 के दौरान, निगम ने 30 सहकारी बैंकों (5 मूल दावे और 36 अनुपूरक दावे) जैसा कि ***संलग्नक VI*** में दर्शाया गया है से संबंधित ₹3,213 मिलियन के कुल दावों का निपटान किया । वाणिज्यिक बैंकों की ओर से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

2014-15 के दौरान विफल बैंकों की संख्या तथा राज्य-वार निपटाए गए दावों की राशि का विवरण चार्ट 3 में दर्शाया गया है। इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के बैंकों के दावों की संख्या अधिक है।

चार्ट 3 : 2014-15 के दौरान राज्य-वार निपटाए गए दावे और विफल बैंकों की संख्या

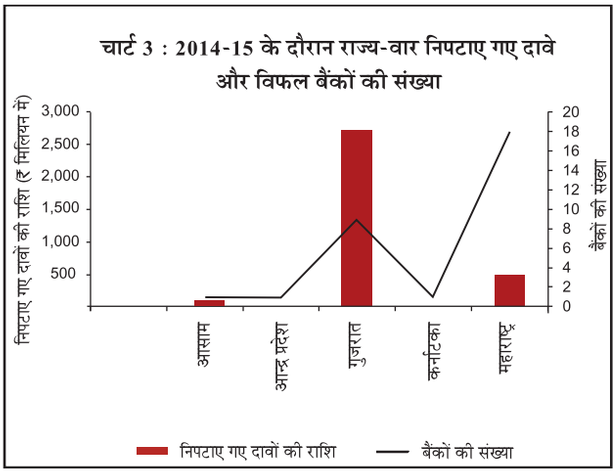

ऐसे 201 बैंकों के जमाकर्ताओं के संभाव्य दावों की देयताओं के लिए ₹4,523 मिलियन का प्रावधान किया गया है, जो समामेलन / समापनाधीन हैं तथा बैंकिंग कारोबार जारी रखने के लिए जिनका लाइसेंस / लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द /अस्वीकृत कर दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा निगम के पास दावे स्वीकृत किंतु संबंधित जमाकर्ताओं द्वारा दावा न किए जाने से शेष ₹1,824 मिलियन का प्रावधान था।

31 मार्च, 2015 को कुल 22 विचाराधीन दावे थे (जहाँ बैंकों को विपंजीकृत किया गया है किंतु निगम में दावा सूची प्रस्तुत नहीं की गई)। 31 मार्च, 2014 को कुल 25 विचाराधीन दावे थे। वर्ष 2014-15 के दौरान निगम ने लंबे समय से विचाराधीन दावों के निपटान हेतु, दावों का निपटान करने का प्रयास जारी रखा। दिसंबर 2002 में विपंजीकृत एक बैंक(सिलचर को-ऑपरेटिव बैंक लि.) का निपटान इस वर्ष किया गया। वर्ष के दौरान निगम ने दादासाहेब रावल को-ऑपरेटिव बैंक लि., (जनवरी 2011 में विपंजीकृत) जिसका नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि. में समामेलन किया गया है, के प्रावधान को रिवर्स कर दिया है। परिसमापनाधीन बैंकों का अवधि-वार विवरण, जहाँ परिसमापक द्वारा निगम को दावा सूची अभी प्रस्तुत करना शेष है, का विवरण सारणी 4 में दिया गया है। अवधि-वार विवरण में संघटक बदलाव देखा गया।

दावा निपटान की औसत अवधि में वृद्धि हुई और यह वर्ष 2013-14 में 15 दिनों से बढकर 2014-15 में 25 दिन हो गई (सारणी 5) किंतु निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 में निर्धारित 2 महिनों की अवधि के भीतर रही।

सारिणी 5 : दावों के निपटान में लगने वाली औसत अवधि

वित्तीय वर्ष	दावों के निपटान में लगने वाले औसत दिन
2014-15	25
2013-14	15
2012-13	27
2011-12	52
2010-11	49

1.7 निपटाए गए दावे / प्राप्त चुकौतियाँ (संचयी स्थिति)

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, निक्षेप बीमा के आरंभ से 27 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रदत्त और प्रावधानीकृत दावों की संचयी राशि ₹2,959 मिलियन थी। वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, परिसमापकों / अंतरिती बैंकों से कुल ₹1,485 मिलियन की संचयी चुकौतियाँ प्राप्त हुईं। वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी वाणिज्यिक बैंक से चुकौति प्राप्त नहीं हुई है।

योजना के प्रारंभ होने से 328 सहकारी बैंकों से ₹46,330 मिलियन की संचयी राशि (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ₹3,213 मिलियन की प्रदत्त राशि सहित) के दावे की राशि का भुगतान/ प्रावधान किया गया। सहकारी बैंकों के मामले में परिसमापकों / अंतरिती बैंकों से कुल ₹12,103 मिलियन (वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त ₹1,470 मिलियन सहित) की चुकौतियाँ प्राप्त हुईं। 31 मार्च, 2015 तक बैंकों के दावों के भुगतान / प्रावधान की गई राशि तथा बट्टे खाते में डाली गई राशि / प्राप्त चुकौतियाँ आदि के संबंध में स्थिति का ब्यौरा ***संलग्नक VII*** में दी गयी है।

सारिणी 4 : अवधि-वार अनिर्णीत दावों का विवरण

विचाराधीन दावे	अवधि-वार विवरण				
	10 वर्ष से अधिक पुराने	5-10 वर्ष पुराने	1-5 वर्ष पुराने	1 वर्ष से कम पुराने	दावों की कुल संख्या
मार्च 2015 की स्थिति	8	2	11	1	22
मार्च 2014की स्थिति	8	3	7	7	25

चार्ट 4 : निपटाए गए दावों तथा वसूली की संचयी राशि
(31 मार्च, 2015 की स्थिति)

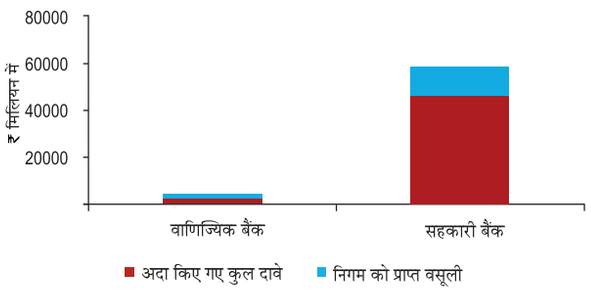

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बैंकों के निपटाए गए दावों के लिए किए गए प्रावधानों को **संलग्नक *VIII*** में दर्शाया गया है। 1999 से निपटाए गए दावों की राशि के साथ-साथ परिसमापित बैंकों की संख्या चार्ट 5 में दर्शाई गई है।

चार्ट 5 : पे-आउट और परिसमापित बैंकों की संख्या

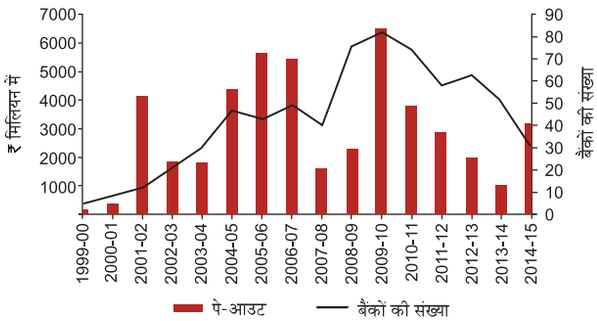

1.8 कोर्ट - मामले

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, निगम की निक्षेप बीमा गतिविधियों के संबंध में विभिन्न कोर्टों में विचाराधीन कोर्ट-मामलों की संख्या 196 है, जो पिछले वर्ष भी समान थी। 196 मामलों में से 32 मामले निगम की ओर से दायर किए गए हैं और 164 निगम के विरुद्ध दायर किए गए हैं। न्यायालय-वार अलग-अलग आँकड़े सारणी 6 में दिए गए हैं और चार्ट 6 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 6 : न्यायालय वार अलग-अलग मामले
(31 मार्च, 2015 की स्थिति)

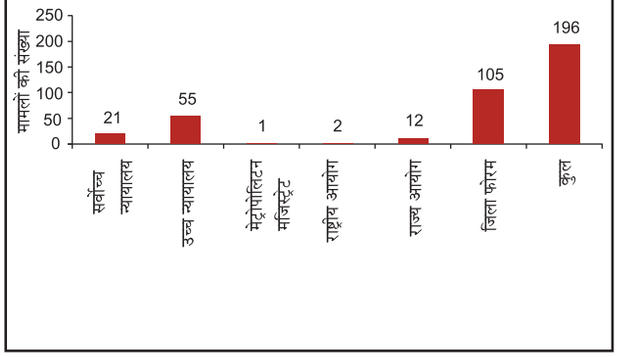

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत बड़ी संख्या में बैंकों को निदेशों के अंतर्गत रखने अथवा परिसमापन करने के परिणामस्वरूप अनिर्णीत कोर्ट मामलों की संख्या में वृद्धि होने तथा जमाराशियों को निकालने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण जमाराशि का भुगतान न मिलने पर असंतुष्ट जमाकर्ता उपभोक्ता न्यायालय में चले जाते हैं और मुकदमा चलाकर निगम को प्रतिवादियों में से एक प्रतिवादी बना देते हैं। कभी-कभी ऐसे मामले बैंकों का परिसमापन होने के पहले अथवा परिसमापक द्वारा दावा सूची प्रस्तुत करने के पहले, जहाँ जमाकर्ताओं को कोई भी राशि देने के लिए निगम उत्तरदायी नहीं है; दाखिल किए जाते हैं। मुख्यत: ये मामले निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य राशि से अधिक राशि अथवा निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 21 के साथ पठित निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 22 के अंतर्गत निगम के अधिमान्य चुकौती अधिकार के विरुद्ध विवाद और बैंकों को निदेश आदि के अंतर्गत रखे जाने की स्थिति में दावों के संबंध में दायर किए जाते हैं।

1.9 ऋण गारंटी योजनाएं

31 मार्च, 2015 तक कोई भी ऋण (क्रेडिट) संस्था निगम की ऋण गारंटी योजना में सहभागी नहीं थी, अत: निगम की किसी भी ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 2014-15 के दौरान कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया (**संलग्नक *IX***)।

सारिणी 6: कोर्ट मामलों की संख्या

मार्च के अंत में	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
मामलों की सं.	196	196	193	188	201	174	122	124	128	126	126	89	66

वर्ष 2014-15 के दौरान लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर पिछले वर्ष के ₹0.6 मिलियन की तुलना में ₹0.7 मिलियन की वसूली की गई। लघु ऋण (एसएसआई) गारंटी योजना, 1981 (एसएल-(एसएसआई)-जीएस 1981) के अंतर्गत पिछले वर्ष के ₹1.5 मिलियन के मुकाबले इस वर्ष ₹2.5 मिलियन की वसूली की गई।

भाग II:अन्य महत्वपूर्ण प्रयास / गतिविधियाँ

2.1 राज्य सरकार के सहकारी समितियों के पंजीयकों के साथ बैठकें और परिसमापकों के लिए कार्यशाला

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यपालक निदेशक की उन पाँच प्रमुख राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयकों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की गईं,जिनके अंतर्गत बडी संख्या में परिसमापित शहरी सहकारी बैंक आते हैं, जहाँ निगम ने जमाकर्ताओं के दावों का निपटान किया है। इन बैठकों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे : अवितरित राशि वापस न किए जाने, स्टेटमेंट / रिटर्न निगम को प्रस्तुत न करना / विलंब से प्रस्तुत करना, परिसमापन की धीमी प्रक्रिया और परिसमापित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा वसूली की राशि में से निगम के हिस्से की राशि की चुकौती न किए जाने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। इन बैठकों के साथ-साथ छह केंद्रों अर्थात अहमदाबाद, बंगलुरू, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल और पुणे में विफल हुई बैंकों के परिसमापकों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। जिनमें उन्हें अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने और निगम की उनसे अपेक्षाएं पर जानकारी दी गयी।

कार्यपालक निदेशक और पूर्वी अंचल के संबंधित राज्यों (असम,बिहार,झारखण्ड,उडीसा और पश्चिम बंगाल) के सहकारी समितियों के पंजीयकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। उसके बाद परिसमापकों के लिए कोलकाता में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इन प्रयासों के फलस्वरूप निगम ने वर्ष 2014-15 के दौरान रू1016.1 मिलियन की राशि की वसूली की।

2.2 विफल हुई बैंकों के नए नियुक्त परिसमापकों के लिए जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधा

परिसमापकों के लिए कार्यशाला आयोजित करने के अतिरिक्त निगम ने विफल हुई बैंकों के जमाकर्ताओं के हित में त्वरित प्रतिपूर्ति करने हेतु परिसमापकों को उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद निगम में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें दावा प्रस्तुत करने के विभिन्न पहलुओं पर निगम की अपेक्षाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सके। इसके फलस्वरूप परिसमापकों द्वारा सही रूप में कार्य शुरू करने तथा बिना किसी विसंगतियों के दावों को प्रस्तुत करने में कम समय लेने की अपेक्षा है।

2.3 अनुपूरक दावों का सीधा निपटान

जमाकर्ताओं को उनकी बीमाकृत निधियाँ और अधिक शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए निगम ने अब अनुपूरक दावों के संबंध में भी पात्र राशि का भुगतान परिसमापकों अथवा बैंकों के माध्यम से पैसा भेजने से बचते हुए। एनईएफटी/एनईसीएस के माध्यम से सीधे जमाकर्ताओं के खाते में जमा करने का निर्णय लिया है। परिसमापकों को 31 मार्च 2014 के बाद से अनुपूरक दावे प्रस्तुत करते समय जमाकर्ताओं के बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। निगम ने अनुपूरक दावों के संबंध में पात्र दावा राशि सीधे संबंधित जमाकर्ताओं के खातों में जमा करना शूरू कर दिया है। इस नयी पद्धति के अनुसार अनुपूरक दावों के संबंध में 2,983 जमाकर्ताओं को कुल ₹74.40 मिलियन राशि की प्रतिपूर्ति की गयी है।

2.4 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह की सदस्यता

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 निगम को विफल बैंकों की जमाराशि का भुगतान सीधे संबंधित जमाकर्ताओं को करने की अनुमति देता है। अब निगम ने अनुपूरक दावों के संबंध में जमाकर्ताओं को सीधे भुगतान करने की प्रक्रिया को अपनाया है। मुख्य दावों के संबंध में भी जमाकर्ताओं को सीधे भुगतान करने के लिए निगम में योग्यता विकसित करने के उद्देश्य से, निगम ने परिसमापकों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में दावा प्रस्तुत करने की तैयारियों के आधार पर चुनिंदा बैंकों के बड़े लेनदेन को संभालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) प्रणाली की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। इस योजना का उसके अंतर्गत आनेवाले अधिक से अधिक बैंकों को कवर करने के लिए उत्तरोत्तर विस्तार किया जाएगा।

2.5 बैंकों के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम पर समिति

भारत में बैंकों के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम लागू करने के लिए समय-समय पर सिफारिशें की गई है। बैंकिंग क्षेत्र

सुधार पर नरसिंहम समिति की रिपोर्ट (1998) ने संरचनात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समान दर प्रीमियम प्रणाली के एवज में जोखिम आधारित प्रीमियम प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की थी।''भारत में निक्षेप बीमा में सुधार''(1999) पर रिज़र्व बैंक की कपूर समिति द्वारा यह विचार प्रकट किया गया था। डीआईसीजीसी द्वारा ऋण जोखिम मॉडल (2006) पर गठित समिति ने भी शुरूआत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम शुरू करने की सिफारिश की है। इन समितियों की सिफारिशों के बावजूद अन्य कारणों सहित डाटा संबंधी मुद्दों के कारण जोखिम आधारित प्रीमियम को लागू करने का काम शुरू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, निक्षेप बीमा कवर में, ₹0.1 मिलियन के मौजूदा स्तर से वृद्धि के लिए हितधारकों और जनता के प्रतिनिधियों की लगातार मांग रही है। कवर किए गए बीमाकृत बैंकों की जोख़िम प्रोफाइल के अनुसार प्रीमियम दर की क्षमता तय किए बिना कवर में वृद्धि करना केवल अंतर्निहित नैतिक जोखिम को तीव्र कर देगा। इसे ध्यान में रखते हुए भारत में जोखिम आधारित प्रीमियम लागू करने हेतु सिफारिशों के लिए मार्च 2015 में बैंकों के लिए विभेदक प्रीमियम पर एक समिति (अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह) का गठन किया गया है।

2.6 समाधान निगम पर कार्यदल

आप को यह ज्ञात होगा कि वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफ़एसएलआरसी) ने एक समाधान निगम (आरसी) के गठन की सिफारिश की थी जो वित्तीय फर्मों के दिवालिया होने की स्थिति तक पहुँचने से पहले ही उनका समाधान करेगा। भारतीय वित्तीय संहिता के तहत आरसी के पास विस्तृत अधिकार होंगे जो उसे असफल वित्तीय कंपनियों के शीघ्र और व्यवस्थित समाधान करने के लिए कई वैकल्पिक रास्ते चुनने के लिए सक्षम बनाएगी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ़एसडीसी) की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आरसी के गठन हेतु रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।आरसी स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु 30 सितंबर, 2014 को भारत सरकार ने एक कार्यदल (अध्यक्ष- श्री दामोदरन) का गठन किया। अन्य शर्तों के साथ कार्यदल के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में निम्नलिखित शामिल हैं :

(ए) समाधान पर उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों की समीक्षा; (बी) आरसी के लिए एक संगठन रूपरेखा विकसित करना जो ड्राफ्ट/मसौदा भारतीय वित्तीय संहिता लागू करेगा; (सी) एक प्रशासनिक योजना विकसित करना जिसमें आरसी के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी सुविधा की रूपरेखा भी शामिल हो; (डी) पर्याप्त स्तर के विवरण सहित आरसी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की विशिष्टताओं को विकसित करना जिसे ऐसी प्रणाली के निर्माण के लिए सेवाप्रदाताओं के साथ एक औपचारिक अनुबंध के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है; (ई) आरसी के लिए एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करना - अपनी गतिविधियों से उभरने वाले जोखिमों का आकलन, निगरानी और उनको कम करने के लिए एक ढांचा; और (एफ) निक्षेप बीमा कार्य को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से आरसी में अंतरित करने के लिए एक योजना विकसित करना।

कार्यदल से एक वर्ष के भीतर अपना कार्य पूरा कर लेने की उम्मीद है।

भाग III: लेखा विवरण

3.1 बीमा देयताएं

(क) वर्ष 2014-15 के दौरान, बीमा दावों के रूप में ₹3,212.89 मिलियन (पिछले वर्ष ₹1,030.92 मिलियन)का भुगतान किया गया,जो 211.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया निक्षेप बीमा दावों के रूप में सुनिश्चित देयताएं ₹3,138.22 मिलियन (31 मार्च, 2014 को ₹3,921.26 मिलियन) अनुमानित की गई थीं,जो 19.97 प्रतिशत की कमी दर्शाती हैं। इन राशियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(ख) समीक्षाधीन वर्ष के अंत में निधिशेष (अर्थात् बीमांकिक देयता) अनुमोदित बीमांकक मेसर्स के.ए.पंडित एंड कं.के निर्धारण के अनुसार ₹52,075.40 मिलियन ₹50,683.40 मिलियन) रहा।

(ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई संभाव्य दावा देयता नहीं है।

3.2 वर्ष के दौरान राजस्व

(क) वर्ष 2014-15 के दौरान, निक्षेप बीमा निधि में कर-पूर्व राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष ₹91,523.37 मिलियन था, इसमें ₹55,367.63 मिलियन की वृद्धि हुई और अब

यह ₹146,891.00 मिलियन हो गया अर्थात् 60.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।इसका प्रमुख कारण प्रीमियम आय में ₹9,158.47 मिलियन की वृद्धि, निवेशों से होने वाली आय में ₹6,419.36 मिलियन की वृद्धि, राजस्व के रूप में प्रभारित निवल बीमांकिक देयता में ₹1,392.00मिलियन की वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से समायोजन करते हुए निवेशों के मूल्यह्रास के रूप में ₹23,821.19 मिलियन का प्रतिलेखन रहा है।

(ख) वर्ष 2014-15 के दौरान ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में कर-पूर्व राजस्व अधिशेष में पिछले वर्ष की तुलना में ₹368.88 मिलियन अर्थात् 302.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह पिछले वर्ष के ₹121.91 मिलियन की तुलना में ₹490.79 मिलियन हो गया। यह वृद्धि प्रमुख रूप से निवेशों में निवेशों के मूल्यह्रास के रूप में ₹174.17 मिलियन के प्रतिलेखन के कारण हुई ।

(ग) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्य निधि में कर-पूर्व राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष के ₹218.38 मिलियन के राजस्व अधिशेष की तुलना में बढ़कर ₹377.07 मिलियन रहा। यह वृद्धि प्रमुख रूप से निवेशों में निवेशों के मूल्यह्रास के रूप में ₹193.23 मिलियन (पिछले वर्ष के ₹85.03 मिलियन) के उच्च प्रतिलेखन और प्रतिभूतियों की बिक्री/ मोचन पर ₹83.03 मिलियन (पिछले वर्ष के ₹158.30 मिलियन) की कम हानि के कारण हुई है।

3.3 संचित अधिशेष

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में संचित अधिशेष / रिज़र्व (कर के बाद) क्रमश: ₹452,458.59 मिलियन (₹355,495.85 मिलियन), ₹3,863.89 मिलियन (₹3,539.92 मिलियन) तथा ₹4,906.29 मिलियन (₹4,657.39 मिलियन) था।

3.4 निवेश

वर्ष के अंत में तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेशों का बही मूल्य (लागत पर) क्रमश: ₹521,388.81 मिलियन (₹444,775.61 मिलियन), ₹4,393.47 मिलियन (₹4,200.63 मिलियन) और ₹5,646.64 मिलियन (₹5,559.99 मिलियन) रहा है। 31 मार्च, 2015 को उक्त तीनों निधियों की दिनांकित प्रतिभूतियों का संचित मूल्यह्रास क्रमश: ₹2,926.06 मिलियन(₹26,747.25 मिलियन); ₹411.19 मिलियन(₹585.36 मिलियन) तथा ₹188.24 मिलियन (₹381.48 मिलियन) था। निवेशों के मूल्यह्रास के प्रतिलेखन के कारण निवेश रिज़र्व में गिरावट आई है।

3.5 कराधान

3.5.1 आयकर

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के अग्रिम आयकर खाते में संचित शेष क्रमश: ₹111,985.18 मिलियन (₹108,880.77 मिलियन), ₹378.14 मिलियन (₹375.38 मिलियन) और ₹448.62 मिलियन (₹365.90 मिलियन) है। इसी तारीख को निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के कराधान खाते में प्रावधान के लिए संचित शेष क्रमश: ₹109,030.11 मिलियन (₹98,987.92 मिलियन); ₹328.53 मिलियन (₹279.92 मिलियन) तथा ₹332.11 मिलियन (₹258.46 मिलियन) था।

3.5.2 सेवाकर

भारत सरकार ने निगम द्वारा एकत्रित प्रीमियम पर सितंबर 2011 से सेवाकर लगाया है। निगम ने यह कहते हुए सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था कि निगम पर सेवाकर नहीं लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में मार्च 2012 में अंतिम स्पष्टीकरण यह प्राप्त हुआ कि निगम सेवाकर अदा करने के लिए बाध्य है। तदनुसार सेवाकर संबंधी पंजीकरण कराया गया तथा निगम ने 1 अक्तूबर, 2011 से देय प्रीमियम पर सेवाकर अदा करना प्रारंभ कर दिया है। सरकार को अदा किए गए अधिक सेवाकर की राशि को सेवाकर वापसी योग्य (रिफंडेबल) खाते में प्रदर्शित किया गया है। सेवाकर विभाग से वित्तीय वर्ष 2011-12 और उससे आगे की अवधि के लिए वापसी योग्य कुल राशि ₹1115.54 मिलियन रही। विभाग द्वारा उसमें से कुल ₹494.70 मिलियन की राशि अर्थात् की गयी ब्याज मांग (₹384.80 मिलियन) तथा ₹109.90 मिलियन की

[1] कोष्टक में दिए गए आँकडे पिछले वर्ष के हैं।

वापसी दावे की अस्वीकृति को समायोजित किया गया है। इन पर अपील की गयी है। 18 अप्रैल 2015 को ₹338.24 मिलियन की राशि प्राप्त हुई है और ₹267.31 मिलियन की वापसी का अनुरोध किया गया है।

भाग IV: खजाना परिचालन

4.1 डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम अपनी अधिशेष (सरप्लस) राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। 31 मार्च, 2015 को निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार ₹531.43 बिलियन रहा। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹76.89 बिलियन (16.92 प्रतिशत) की कुल वृद्धि प्रदर्शित हुई। वर्ष के दौरान पोर्टफोलियों प्राप्तियाँ 17.37 प्रतिशत रही। प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा पोर्टफोलियों में वृद्धि का था। वृद्धि को समायोजित करते हुए प्राप्तियों की राशि 8.81 प्रतिशत है।

4.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नीसंघ (फिम्डा) द्वारा प्रकाशित मॉडल मूल्यों के आधार पर किया जाता है। यद्यपि मूल्यवृद्धि (ऐप्रीसिएशन) को नजरंदाज कर दिया गया है तथापि मूल्यह्रास के लिए पूरी तरह प्रावधान किया गया है तथा इसे निवेश आरक्षित निधि (आईआर) के अंतर्गत बुक किया गया है। 31 मार्च, 2015 को निवेश आरक्षित निधि (आईआर) का शेष (बैलेंस) ₹3.53 बिलियन था। साथ ही, निगम बाजार जोखिम से बचाव के लिए निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि(आईएफआर) अनुरक्षित करता है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) के जोखिम मूल्य (वीएआर)(₹11.37 बिलियन) और मानकीकृत अवधि पद्धति (₹22.70 बिलियन) दोनों से परिकलित बाजार जोखिम की मात्रा 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) से उच्चतर होने के कारण ₹28.96 बिलियन की राशि अनुरक्षित थी।

भाग V: संगठनात्मक मामले

5.1 निदेशक मंडल

निगम की सामान्य निगरानी, निदेश तथा कार्यों और कारोबार का प्रबंधन निदेशक बोर्ड में निहित है, जो सभी अधिकारों का प्रयोग करता है और ऐसे सभी कार्य व कारोबार करता है,जो निगम कर सकता है।

5.1.1 निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह सामान्यत: प्रति तिमाही एक बैठक करे। 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.1.2 निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति

गवर्नर महोदय ने उप गवर्नर श्री आर गांधी को 21 नवंबर 2014 से निगम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। श्री आर रामचंद्रन को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अधीन 19 सितंबर 2014 से निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री एच.एन.प्रसाद को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ई) के अधीन 7 जनवरी 2015 से निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

निगम के निदेशक मंडल में निदेशक तथा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री कमलेश विकमसे का कार्यकाल पूर्ण होने पर वे 4 सितंबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए। प्रो. जी. शिवकुमार निगम के निदेशक मंडल में निदेशक की पद से 19 सितंबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए और श्री बी.एल.पटवर्धन निगम के निदेशक मंडल में निदेशक तथा लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में 11 अक्तूबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए।

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन हुआ:

1.	डॉ. हर्ष कुमार भानवाला	अध्यक्ष
2.	डॉ. शशांक सक्सेना	भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक
3.	श्री आर.रामचंद्रन	निदेशक
4.	श्री जसबीर सिंह	निदेशक

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.2.1 सूचना प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी स्वीकरण एवं विकास के

लिए दिसंबर 2011 में एक समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च 2015 को जिसकी संरचना निम्नानुसार है :

1.	प्रो. जी.शिवकुमार	अध्यक्ष
2.	श्री कमलेश विकमसे	सदस्य
3.	श्री जसबीर सिंह	सदस्य
4.	श्री संजोय सेठी	सदस्य
5.	श्री पी.पार्थसारथी	आमंत्रित

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान आईटी समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.3 आंतरिक नियंत्रण

5.3.1 बजट नियंत्रण

निगम ने अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। निगम द्वारा निक्षेप बीमा निधि और सामान्य निधि के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बज़ट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है जैसे कि बीमाकृत बैंकों का लाईसेंस रद्द करना/परिसमापन करना, स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान आदि। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्तियाँ, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। बज़ट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय/प्राप्ति की हर तिमाही में समीक्षा की जाती है। बोर्ड के समक्ष छमाही समीक्षा भी प्रस्तुत की जाती है।

5.3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए))

भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग ने 17 जून 2013 से 3 जुलाई 2013 तक निगम का जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) 2013 का आयोजन किया। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निगम द्वारा किए जा रहे कार्य के साथ-साथ सूचना प्रणाली के संबंध में टिप्पणी थी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल उच्च (एच),मध्यम(एम),निम्न (एल) और सकारात्मक स्थिति (एपी) से संबंधित टिप्पणियों को शामिल किया गया था। जोखिम आधारित लेखापरीक्षा के 54 पैराग्राफों को कार्यात्मक श्रेणी में और 11 पैराग्राफों को सूचना प्रणाली से संबंधित श्रेणी में रखा गया। कार्यात्मक क्षेत्र और सूचना प्रणाली से संबंधित लेखापरीक्षा के सभी पैराग्राफों का अनुपालन किया गया। प्रसंगवश 9 अप्रैल 2015 से 23 अप्रैल 2015 तक निगम का जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) 2015 का आयोजन किया गया। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 11 पैराग्राफों को निम्न(एल) जोखिम और 15 पैराग्राफों को मध्यम(एम) जोखिम की श्रेणी में रखा गया है।

5.3.3 समवर्ती लेखापरीक्षा

निगम ने अपने सभी परिचालनों के लिए वर्ष 2004-05 से सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा (ऑनसाइट) की प्रणाली प्रारंभ की है। लेखापरीक्षा के मासिक निष्कर्ष बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। मेसर्स जैन चौधरी एण्ड सन्स को वर्ष 2015-16 के लिए निगम के समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

5.3.4 नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए)

निगम ने अतिरिक्त रूप से एक नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) फॉर्मेट (समकक्ष समीक्षा) प्रारंभ की है, जिसके द्वारा निगम के अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे ऐसे क्षेत्रों में,जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा जाँच करें और महाप्रबंधक को इस की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

अपने मानव संसाधन कौशल को अद्यतन रखने हेतु निगम अपने स्टाफ को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त करता है। इन कार्यक्रमों को मुख्यत:भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत और विदेश में विख्यात प्रशिक्षण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) और अन्य विदेशी निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2014-15 के दौरान 47 अधिकारी, 19 श्रेणी III के स्टाफ और 8 श्रेणी IV के स्टाफ सहित कुल 74

कर्मचारियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और भारत में बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया गया। इसके आलावा अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) तथा अन्य निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम / सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

5.5 स्टाफ संख्या

निगम में मुख्य वित्तीय अधिकारी(सीएफओ)को छोड़कर संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है। सीएफओ को 30 मई 2014 से तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति पर लिया गया है। निगम के कुल स्टाफ की संख्या 31 मार्च, 2014 के 79 की तुलना में 31 मार्च, 2015 को 81 हो गई है। उनका श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है :

कुल स्टाफ में, श्रेणी I में 65.43 प्रतिशत, श्रेणी III में 18.51 प्रतिशत और शेष 16.04 प्रतिशत श्रेणी IV में था। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ में 18.51 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.40 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है (सारिणी 7)।

सारिणी 7: स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

श्रेणी	संख्या	जिसमें		प्रतिशत %	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	53	10	05	18.86	9.43
श्रेणी III	15	01	-	6.66	-
श्रेणी IV	13	04	01	30.76	7.69
कुल	81	15	06	18.51	7.40

अजा -अनसूचित जाति अजजा - अनुसूचित जनजाति

5.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार ने जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। यह अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुआ। अधिनियम में परिभाषित सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते निगम जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 35 अनुरोधों का निपटान किया गया जिसमें से 3 मामलों को अपीलीय प्राधिकारी के अंतर्गत निपटाया गया।

5.7 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष 2014-15 के दौरान, निगम ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का अपना प्रयास जारी रखा। निगम द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। निगम के प्रधान कार्यालय को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। निगम हिंदी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। निगम प्रतिवर्ष सितम्बर महीने में "हिंदी पखवाड़ा" का भी आयोजन करता है। सितम्बर 2014 के दूसरे सप्ताह से आयोजित "हिंदी पखवाड़ा" में प्रतियोगिताओं सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए और हिंदी दिवस का समापन समारोह कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। निगम के दैनिक कार्यकलाप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसकी निगरानी के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित तिमाही बैठकें होती हैं।

5.8 निगम में ग्राहक सेवा कक्ष

निगम एक सार्वजनिक संस्था है और इस का मुख्य कार्य विफल हुई बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करना है। निगम के विरुद्ध जनता से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के लिए निगम में एक ग्राहक सेवा कक्ष स्थापित किया गया है।

5.9 आईएडीआई में भूमिका

5.9.1 निगम ने आईएडीआई में अपनी सदस्यता जारी रखी है। कार्यपालक निदेशक आईएडीआई के अंतर्गत कार्यपालक समिति जो एक निर्णय लेनेवाली और कार्यान्वयन इकाई है,उसके सदस्य (चुनाव द्वारा) है। श्री जसबीर सिंह, कार्यपालक निदेशक ने अक्तूबर 2014 के दौरान पोर्ट आफ स्पैन , त्रिनीदाद में संपन्न आईएडीआई की वार्षिक सामान्य बैठक तथा वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही जून तथा अक्तूबर 2014 और मार्च 2015 को आयोजित कार्यपालक काउन्सील समिति की बैठकों में भी भाग लिया।

5.9.2 निगम आईएडीआई को उनके द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों में भाग लेकर सहयोग प्रदान करता रहा है।

5.10 लेखापरीक्षक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के से मेसर्स रे एंड रे, सनदी लेखाकार, कोलकाता को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

परिचालनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए बोर्ड निगम के स्टाफ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

मुंबई

दिनांक:24 जून, 2015

(रा. गांधी)
अध्यक्ष

संलग्नक I

निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित बैंकों की संख्या

वर्ष/अवधि	वर्ष/अवधि के प्रारंभ में	वर्ष/अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष/अवधिके दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			वर्ष/अवधि के अंत में (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	7	16	13	29	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 से 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 से 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 से 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 से 1975	83	544	0	16	16	611
1966 से 1970	109	1	5	22	27	83
1963 से 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* पिछले वर्षों में 60 बैंक विपंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया।

संलग्नक - II

ए. बीमाकृत बैंक - श्रेणीवार

वर्ष (माह मार्च की समाप्ति पर)	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	स्थानीय क्षेत्र बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2014-15	92	56	4	1,977	2,129
2013-14	89	58	4	1,994	2,145
2012-13	89	67	4	2,007	2,167
2011-12	87	82	4	2,026	2,199

आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एलएबी: स्थानीय क्षेत्रों के बैंक

बी. बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार
(मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र	शीर्ष	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1	22	101	124
2	असम	1	0	8	9
3	अरुणांचल प्रदेश	1	0	0	1
4	बिहार	1	22	4	27
5	छत्तीसगढ़	1	6	12	19
6	गोवा	1	0	6	7
7	गुजरात	1	18	226	245
8	हरियाणा	1	19	7	27
9	हिमांचल प्रदेश	1	2	5	8
10	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
11	झारखंड	0	8	2	10
12	कर्नाटक	1	21	265	287
13	केरल	1	14	60	75
14	मध्य प्रदेश	1	38	51	90
15	महाराष्ट्र	1	28	510	539
16	मणिपुर	1	0	3	4
17	मेघालय	1	0	3	4
18	मिजोरम	1	0	1	2
19	नागालैंड	1	0	0	1
20	उड़ीसा	1	17	8	26
21	पंजाब	1	20	4	25
22	राजस्थान	1	29	37	67
23	सिक्किम	1	0	1	2
24	तमिलनाडु	1	24	129	154
25	त्रिपुरा	1	0	1	2
26	उत्तर प्रदेश	1	50	67	118
27	उत्तराखंड	1	10	5	16
28	पश्चिम बंगाल	1	16	43	60
संघशासित क्षेत्र					
1	एनसीटी दिल्ली	1	0	15	16
2	अंदमान और नीकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
3	दमन और दीव	0	0	0	0
4	पुडुचेरी	1	0	1	2
5	चंडीगढ़	1	0	0	1
कुल		**31**	**367**	**1,579**	**1,977**

संलग्नक - III

वर्ष 2014-15 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक

बैंक का प्रकार/राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
ए. **पंजीकृत(05)**		
वाणिज्यिक बैंक (03)	1	भारतीय महिला बैंक लि.,
	2	दोहा बैंक क्यूएससी
	3	कोरिया एक्सचेंज बैंक
सहकारी बैंक(0)	कुछ नहीं	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (02)	1	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक,रोहतक,हरियाणा
	2	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
बी. **विपंजीकृत(21)**		
वाणिज्यिक बैंक(0)	कुछ नहीं	
सहकारी बैंक(17)		
आंध्र प्रदेश(01)	1	वसावी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
गुजरात (03)	1	सूरत नागरिक सहकारी बैंक लि.
	2	को-आपरेटिव बैंक ऑफ बड़ौदा
	3	अंकलेश्वर उद्योगनगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
महाराष्ट्र (05)	1	नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
	2	बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
	3	वर्धा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
	4	श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि.
	5	मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि
ओड़ीसा (02)	1	दी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., भुवनेश्व र
	2	दी बारीपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
राजस्थापन (01)	1	अजमेर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.
पश्चिम बंगाल (02)	1	दी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
	2	बड़ानगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
उत्तर प्रदेश (02)	1	दी मिर्ज़ापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
	2	यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
कर्नाटक (01)	1	कर्नाटक राज्य काइगारिका सहकारिता बैंक नियमित्त
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (04)	1	गुड़गांव ग्रामीण बैंक, हरियाणा
	2	हरियाणा ग्रामीण बैंक, हरियाणा
	3	मरुधरा ग्रामीण बैंक, राजस्थान
	4	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, राजस्थान

संलग्नक - IV
जमाराशि की सुरक्षा की सीमा

वर्ष	पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या (मिलियन में) *	खातों की कुल संख्या (मिलियन में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णत: संरक्षित खातों का प्रतिशत	बीमित जमाराशियाँ* (बिलियन ₹ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	कुल जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2014-15	1,345	1,456	92.3	26,068	84,752	30.8
2013-14	1,267	1,370	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	1,393	1,482	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	962	1,039	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-2000	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	6	7	78.5	4	17	23.1

* खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹1,500; 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹5,000; 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹10,000; 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹20,000; 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹30,000 तथा 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 से अधिक नहीं थीं।

नोट : 2009-10 से प्रदर्शित आँकड़े नए फार्मेट के अनुसार हैं।

संलग्नक - V

जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : बैंक श्रेणीवार

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंक (संख्या)	बीमाकृत जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
2014-15	I वाणिज्यिक बैंक (i से v)	96	21,360	76,544	27.9
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	5,885	17,376	33.9
	ii) सरकारी क्षेत्र	21	12,110	39,872	30.4
	iii) विदेशी बैंक	45	138	3,636	3.8
	iv) निजी बैंक	20	3,222	15,642	20.6
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	5	18	27.8
	II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	56	1,486	2,299	64.6
	III सहकारी बैंक	1,977	3,222	5,909	54.5
	कुल (I+II+III)	**2,129**	**26,068**	**84,752**	**30.8**
2013-14	I. वाणिज्यिक बैंक (i से v)	93	18,783	67,810	27.7
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	5,325	15,436	34.5
	ii) सरकारी क्षेत्र	20	10,183	35,855	28.4
	iii) विदेशी बैंक	43	217	3,179	6.8
	iv) निजी बैंक	20	3,052	13,326	22.9
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	6	14	42.9
	II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	58	1,888	2,998	63.0
	III सहकारी बैंक	1,994	3,120	5,358	58.2
	कुल (I+II+III)	**2,145**	**23,791**	**76,166**	**31.2**
2012-13	I वाणिज्यिक बैंक (i से v)	89	17,635	59,707	29.5
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	5,365	13,513	40.0
	ii) सरकारी क्षेत्र	20	9,286	31,521	29.5
	iii) विदेशी बैंक	43	235	2,851	8.0
	iv) निजी बैंक	20	2,749	11,822	23.0
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	5	12	41.0
	II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	67	1,324	1,889	70.0
	III सहकारी बैंक	2,007	2,619	4,602	57.0
	कुल (I+II+III)	**2,167**	**21,584**	**66,211**	**33.0**

संलग्नक - VI

2014-15 के दौरान निपटाए गए निक्षेप बीमा दावे

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावे/ अनुपूरक दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	दावे की राशि (₹ हजार में)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	असम (01)			
1	सिल्चरअर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	2,707	6,999.75
	कुल (असम)	**मुख्य (1)**	**2,707**	**6,999.75**
	आंध्र प्रदेश (01)			
2	दी श्रीकाकुलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.	मुख्य	7,077	10,444.41
	कुल (आंध्र प्रदेश)	**मुख्य (1)**	**7,077**	**10,444.41**
	गुजरात (09)			
3	सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	4	39.90
4	दी प्रांतिज सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	23.66
5	दी सुरेन्द्रनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	80.37
6	अहमदाबाद पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	2	57.75
7	श्रीविट्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	20.11
8	अनोन्या को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (2)	7	282.54
9	श्री भद्रण मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	3	124.68
10	गुजरात इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	मुख्य , अनुपूरक (3)	124,586	2,713,842 .46
11	चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	21.00
	कुल (गुजरात)	**मुख्य (1), अनुपूरक(12)**	**124,606**	**2,714,492 .47**
	कर्नाटक (01)			
12	रायचूर जिला महिला पट्टाना सहकारी बैंक नियमित	अनुपूरक (2)	37	328.90
	कुल (कर्नाटक)	**अनुपूरक (2)**	**37**	**328.90**

संलग्नक - VI *(जारी)*

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावे/ अनुपूरक दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	दावे की राशि (₹ हजार में)
1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र (18)			
13	दी कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि.	मुख्य	28,759	301,759.34
14	सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	10	107.68
15	दी नागपुर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	3	37.18
16	दी आकोटअर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	3	159.84
17	भूसावल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	20.7
18	इंदिरा श्रमिक महिला नागरी सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक(1)	1	7.09
19	स्वामीसमर्थ सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	168	5314.91
20	श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि.	मुख्य	20,401	157,616.06
21	अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	95.62
22	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	12	1,445.53
23	श्रीलक्ष्मी सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	18	499.14
24	राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	9	173.96
25	कृष्णावेली को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (1)	404	3,465.45
26	विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	16	1,695.98
27	अभिनव सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (2)	1,644	7,355.55
28	दी इचलकरंजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक (3)	8	272.41
29	पी.के.अण्णा पाटिल सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक (1)	15	506.51
30	गोरेगांव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.	अनुपूरक (1)	1	93.38
	कुल (महाराष्ट्र)	**मुख्य (2), अनुपूरक(22)**	**51,474**	**480,626.30**
	कुल (सभी राज्य)	**मुख्य (5), अनुपूरक(36)**	**178,824**	**3,212,891.85**

नोट: कोष्टक में दिए गए आंकडे दावों की संख्या दर्शाते है।

संलग्नक - VII

निपटाए गए बीमा दावे तथा वसूल की गई चुकौतियाँ -
31 मार्च 2015 तक परिसमापित / समामेलित /पुनर्निमित सभी बैंक

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I	वाणिज्यिक बैंक				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (ए)				
	1) बैंक ऑफ चायना, कोलकाता (1963)		925.00	925.00	-
	2) श्री जड़ेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*		11.51	11.51	-
	3) बैंक ऑफ बिहार लि., पटना (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
	4) कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)*		704.06	704.06	-
	5) लेतीं क्रिश्चयन बैंक लि.,एर्णाकुलम (1964)*		208.50	208.50	-
	6) बैंक ऑफ कराड़ लि.,मुंबई (1992)		370,000.00	370,000.00	-
	7) मिराज स्टेट बैंक लि., मिराज (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
	कुल 'ए'		**391,139.79**	**391,139.79**	**-**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (बी)				
	8) यूनिटी बैंक लि., चेन्नई 1963)*		253.35	137.77 (115.58)	-
	9) उन्नाव कमर्शियल बैंक लि.,उन्नाव (1964)*		108.08	31.32 (76.76)	-
	10) चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*		18.28	14.55 (3.74)	-
	11) मेट्रोपॉलीटन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964) *		880.08	441.55 (438.53)	-
	12 सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*		734.28	372.93 (361.35)	-
	13) बैंक ऑफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*		27.60	18.07 (9.53)	-

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	14) हबीब बैंक लि.,मुंबई (1966)*		1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	15) नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*		99.26	88.12 (11.13)	-
	16) परूर सेंट्रल बैंक लि., नॉर्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*		26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-
	17) यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*		350,150.63	32,631.51 (3,17,519.13)	-
	कुल 'बी'		**380,018.32**	**58,605.47 (321,412.86)**	**-**
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (सी)				
	18) नेशनल बैंक ऑफ लाहोर लि.,दिल्ली (1970)*		968.92	968.92	-
	19) बैंक ऑफ कोचीन लि., कोचीन (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.38)
	20) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बैंगलोर *		334,062.25	91358.30	242,703.95
	21) हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि.,दिल्ली (1988)*		219,167.10	105,374.96	1,13,792.14
	22) ट्रेडर्स बैंक लि.,दिल्ली (1990)*		30,633.77	13,482.20	17,151.57
	23) बैंक ऑफ थण्जवूर लि., थण्जवूर, तमिलनाडु (1990)*		107,836.01	103,755.98	4,080.03
	24) बैंक ऑफ तमिलनाड लि., तिरूनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	25) पूर्बांचल बैंक लि.,गुवाहाटी (1990)*		72,577.39	9,760.37	62,817.02
	26) सिक्किम बैंक लि., गैंगटोक (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27) बनारस स्टेट बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2002)*		1,056,442.08	518,649.11	537,792.97
	कुल 'सी'		**2,187,371.62**	**1,035,525.63**	**1,151,845.99**
	कुल (ए+बी+सी)		**2,958,529.74**	**1,485,270.89 (321,412.86)**	**1,151,845.99**

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
II	**को-ऑपरेटिव बैंक**				
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (डी)				
	1) मालवण को-ऑपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)		184.00	184.00	-
	2) बॉम्बे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	3) दाधीच सहकारी बैंक लि.,मुंबई (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	4) रामदुर्ग अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)		218.99	218.99	-
	5) बॉम्बे कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1976)		573.33	573.33	-
	6) मेट्रोपॉलीटन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7) हिंदूपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)		121.97	121.97	-
	8) वसुंधरा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		629.80	629.80	-
	कुल 'डी'		**17,137.55**	**17,137.55**	**-**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ई)				
	9) घाटकोपर जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1977)		276.50	-	-
			-	(276.50)	-
	10) भद्रावती टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., भद्रावती (1994)		26.10	-	-
			-	(26.10)	-
	11) आरे मिल्क कॉलोनी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,मुंबई (1978)		60.31	-	-
			-	(60.31)	-
	12) आरमूर को-ऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		708.44	527.64	-
			-	(180.80)	
	13) रत्नागिरी अर्बनको-ऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी, महाराष्ट्र (1978)*		4,642.36	1,256.95	-
			-	(3,385.41)	
	14) दी नीलगिरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		2,114.71	549.18	-
			-	(1,565.53)	
	कुल 'ई'		**7,828.42**	**2,333.77 (5,494.65)**	**-**

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (एफ)				
	15) विश्वकर्मा को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	16) प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*		701.51	412.14	289.37
	17) कलाविहार को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	18) वैश्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर, कर्नाटक (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	19) कोल्लूर पार्वती को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)		1,395.93	707.86	688.08
	20) आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लि.., मैसूर, कर्नाटक (1985)		274.30	65.50	208.80
	21) कुर्डूवाड़ी मर्चेंट्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र (1986)*		484.89	400.91	83.99
	22) गडग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., कर्नाटक (1986)		2,285.04	1,341.05	943.99
	23) मनिहाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)		961.85	227.60	734.25
	24) हिन्द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)		1,095.23	-	1,095.23
	25) येल्लम्मन चिल्ली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1990)		436.10	51.62	384.48
	26) वसावी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुर्ज़ाला, आंध्र प्रदेश (1991)		388.82	48.56	340.26
	27) कुंदरा को-ऑपरेटिव बैंक लि., केरला (1991)		1,736.62	963.02	773.60
	28) मनोली श्री पंचलिंगेश्वर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., कर्नाटक (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	29) सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि.,बड़ोदा, गुजरात (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
	30) बेलगाम मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	31) भिलोदा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)		1,983.68	102.37	1,881.31

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	32) सिटिज़ेनस अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (1994)		22,020.57	1,727.77	20,292.80
	33) चेतना को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	34) बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., हुबली , कर्नाटक (1996)		2,413.42	1,474.44	938.99
	35) पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)		36,545.52	-	36,545.52
	36) स्वस्तिक जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1998)		22,662.97	-	22,662.97
	37) कोल्हापूर जिल्हा जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	38) धारवाड़ इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1998)		915.79	915.79	0.00
	39) दादर जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	40) विकार सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1999)		18,067.90	-	18,067.90
	41) त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि.,पुणे, महाराष्ट्र (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94
	42) आवामी मर्सेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	43) रविकिरण अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
	44) गुदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	45) अन्नाकपाले को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
	46) इंदिरा सहकारी बैंक लि.,मुंबई ,महाराष्ट्र (2000)		157,012.94	53,783.98	103,228.96

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	47) नांदगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)		2,242.01	-	2,242.01
	48) सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	49) शोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2000)		27,494.76	16,100.00	11,394.76
	50) दी सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)		2,017.30	-	2,017.30
	51) अहिल्या देवी महिला नागरिक सहकारी , कलमनूरी, महाराष्ट्र (2001)		1,696.09	-	1,696.09
	52) नागरिक सहकारी बैंक लि. सागर,मध्य प्रदेश (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
	53) इंदिरा सहकारी बैंक लि, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
	54) नागरिक को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित, बिलासपुर,मध्य प्रदेश (2001)		26,135.83	15,000.00	11,135.83
	55) इचालकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)		5,068.09	3,358.92	1,709.18
	56) परिषद को-ऑपरेटिव बैंक लि, नई दिल्ली (2001)		3,946.61	3,781.44	165.18
	57) सहयोग को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		30,168.26	3,265.44	26,902.82
	58) माधवपुरा मर्सेन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., अहमदाबाद, गुजरात (2001,2013)@#	3,160	4,015,185.54	5,785.54	4,009,400.00
	59) कृषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2001)		232,429.22	40,858.33	191,570.89
	60) जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., (विपंजीकृत),मध्य प्रदेश (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	61) श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि.., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		140,667.57	24,339.29	116,328.28
	62) मराठा मार्केट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2002)		37,959.73	-	37,959.73

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	63) लातूर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)		3,048.95	2.00	3,046.95
	64) श्री लक्ष्मी महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक , (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)		7,821.24	-	7,821.24
	65) फ्रेंड्स को-ऑपरेटिव बैंक लि..,मुंबई , महाराष्ट्र (2002)		48,456.66	120.02	48,336.64
	66) भाग्यनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. विपंजीकृत, आंध्र प्रदेश (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
	67) अस्का को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजीकृत), उड़ीसा (2002)		7,032.61	-	7,032.61
	68) दी वीरावल रत्नाकर को-ऑपरेटिव बैंक लि.., (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		26,553.64	32.91	26,520.73
	69) श्री वीरावाल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक (विपंजीकृत), गुजरात (2002)		25,866.18	-	25,866.18
	70) श्रव्य को-ऑपरेटिव बैंक लि.., आंध्र प्रदेश (2002)		74,376.82	2,421.29	71,955.53
	71) मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
	72) मीरा भायंदर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)		22,448.41	-	22,448.41
	73) श्री लाभ को-ऑपरेटिव बैंक लि..,मुंबई , महाराष्ट्र (2003)		47,507.25	341.41	47,165.84
	74) खेड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		46,368.34	1,000.00	45,368.34
	75) जनता सहकारी बैंक मर्यादित.,देवास,मध्य प्रदेश (2003)		71,741.71	66,141.14	5,600.57
	76) निज़ामाबाद को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	77) दी मेगासिटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	78) कुरनूल अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		47,432.57	46,556.10	876.46
	79) यमुना नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., हरियाणा (2003)		30,046.64	2,800.00	27,246.64

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	80) प्रजा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	81) चारमीनार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)#		1,432,344.30	852,344.30	580,000.00
	82) राजमपेट को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		16,345.12	7,325.00	9,020.12
	83) श्री भाग्यलक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		34,033.48	3,600.00	30,433.48
	84) आर्यन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		46,781.03	43,631.77	3,149.27
	85) दी फर्स्ट सिटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	86) कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		48,880.14	25.00	48,855.14
	87) अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		33,329.35	955.83	32,373.53
	88) थेनी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)		33,177.94	6.98	33,170.96
	89) दी मंदसौर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मध्य प्रदेश (2003)		141,139.81	140,798.15	341.66
	90) मदर टेरेसा हैदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक ., आंध्र प्रदेश (2003)		57,245.59	1,400.00	55,845.59
	91) धन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	92) अहमदाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2003)		37,343.88	2,203.57	35,140.31
	93) दी स्टार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	94) दी जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,अहमदाबाद, गुजरात (2003)		41,281.62	6,922.64	34,358.98
	95) मणिकान्त को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	96) भावनगर वेल्फेयर को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2003)		35,508.21	-	35,508.21

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	97) नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)		3,038.47	2,521.79	516.67
	98) पीथमपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)		7,697.97	7,691.33	6.64
	99) श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)		42,971.17	30,815.27	12,155.90
	100) संतराम को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)		115,872.42	2,818.21	113,054.22
	101) पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.61
	102) नायक मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)		25,531.20	-	25,531.20
	103) जनरल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2004)		715,200.69	23,359.41	691,841.28
	104) वेस्टर्न को-ऑपरेटिव बैंक लि..,मुंबई , महाराष्ट्र (2004)		44,086.21	57.31	44,028.90
	105) चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)		2,064,852.52	302,913.73	1,761,938.79
	106) प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)		34,192.33	21,229.00	12,963.33
	107) विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.,गुजरात (2004)		3,846,162.46	38,723.44	3,807,439.02
	108) नरसरावपेट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		1,794.45	130.00	1,664.45
	109) भंजनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., उड़ीसा (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	110) दी साई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)		10,170.18	6,170.18	4,000.00
	111) दी कल्याण को-ऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		13,509.83	900.00	12,609.83
	112) ट्रिनिटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		19,306.12	6,198.81	13,107.31
	113) गुलबर्ग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., कर्नाटक (2005)		25,441.21	1,018.11	24,423.10
	114) विजया कोऑपरेटि व अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		12,224.74	9,500.00	2,724.74

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	115) श्री सत्यसाई को-ऑपरेटिव बैंक लि.., आंध्र प्रदेश (2005)		7,387.17	2,000.00	5,387.17
	116) श्री गंगानगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., राजस्थान (2005)		4,787.55	4,787.55	(0.00)
	117) सितारा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2005)		3,741.01	-	3,741.01
	118) महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2005)		41,999.65	394.50	41,605.15
	119) माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि.,अकोला, महाराष्ट्र (2005)		13,351.57	3,000.00	10,351.57
	120) पारतुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र (2005)		15,836.61	500.00	15,336.61
	121) सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र (2005)		107,561.91	24,447.83	83,114.08
	122) बड़ोदा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		584,048.60	22,063.73	561,984.87
	123) दी को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेठ लि., गुजरात (2005)		49,437.88	2,924.37	46,513.51
	124) श्री पाटनी को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2005)		86,530.52	2,604.19	83,926.34
	125) क्लासिक को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2005)		5,725.86	500.00	5,225.86
	126) साबरमति को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2005)		318,925.24	32,730.58	286,194.65
	127) मातर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		30,892.41	4,388.28	26,504.13
	128) डायमण्ड जुबिली को-ऑपरेटिव बैंक लि.., सूरत, गुजरात (2005)		606,403.31	606,403.31	-
	129) पेटलाद कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2005)		74,035.72	8,296.04	65,739.68
	130) नाड़ियाद मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2005)		299,340.86	12,578.31	286,762.55
	131) श्री विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2005)		223,150.28	10,256.27	212,894.01

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	132) टेक्सटाइल प्रोसेसर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2005)		53,755.25	2,554.76	51,200.49
	133) प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2005)		130,437.03	16,314.57	114,122.46
	134) उजवर को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		15,706.37	-	15,706.37
	135) सुनाव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		17,573.42	719.22	16,854.20
	136) संसकारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)		3,031.51	-	3,031.51
	137) सिटिज़ेन को-ऑपरेटिव बैंक लि., दमोह, मध्य प्रदेश (2005)		8,501.09	-	8,501.09
	138) दरभंगा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)		18,999.84	-	18,999.84
	139) बेल्लमपल्लि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)		7,503.14	500.00	7,003.14
	140) श्री विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		80,214.81	5,759.72	74,455.09
	141) सूर्यपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		579,896.95	32,783.03	547,113.93
	142) श्री सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		10,898.73	162.00	10,736.73
	143) पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)		24,741.48	4,088.97	20,652.51
	144) रघुवंशी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2005)		120,659.85	100.00	120,559.85
	145) सोलापुर मर्चेण्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र (2005)		30,697.47	-	30,697.47
	146) औरंगाबाद पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)		29,932.80	13,432.80	16,500.00
	147) अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.टेहरी, उत्तरांचल (2005)		16,479.04	1,913.89	14,565.15
	148) श्रीनाथजी को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)		40,828.18	727.69	40,100.49

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	149) दी सेंचूरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		67,739.63	7,399.13	60,340.50
	150) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि.,रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)		181,637.44	-	181,637.44
	151) मधेपुरा सुपौल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि..,बिहार (2006)		65,053.51	-	65,053.51
	152) नवसारी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2006)		301,592.15	28,337.47	273,254.68
	153) सेठ भगवानदास बी.श्रोफ बलसार पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., वलसाड, गुजरात (2006)		266,452.45	52,636.90	213,815.55
	154) महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि.,मध्य प्रदेश (2006)		304,703.46	28,027.51	276,675.95
	155) मित्र मण्डल सहकारी बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2006)		145,661.51	67,986.80	77,674.71
	156) छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि..,बिहार (2006)		82,529.98	-	82,529.98
	157) श्री वीतरग को-ऑपरेटिव बैंक लि.., सूरत, गुजरात (2006)		92,989.37	1,746.86	91,242.50
	158) श्री स्वामीनारायण को-ऑपरेटिव बैंक लि.., वड़ोदरा , गुजरात (2006)		434,217.98	21,637.39	412,580.59
	159) जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि.., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		323,292.67	37,629.70	285,662.97
	160) नटपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		552,716.70	23,166.76	529,549.94
	161) मेट्रो को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		120,686.51	212.98	120,473.53
	162) दी रॉयल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., सूरत,गुजरात (2006)		91,577.38	1,131.49	90,445.89
	163) जय हिन्द को-ऑपरेटिव बैंक लि..,मुंबई , महाराष्ट्र (2006)		118,895.88	95,819.17	23,076.71
	164) मदुरई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., तमिलनाडु (2006)		257,956.99	186,562.29	71,394.70

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	165) कर्नाटक कॉन्ट्रेक्टरस सहकारी बैंक नियमित्त, बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		29,757.64	2,182.55	27,575.09
	166) आनंद पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2006)		371,586.77	37,835.43	333,751.34
	167) कोटागिर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2006)		25,021.00	12,480.19	12,540.81
	168) दी रिलीफ़ मर्सेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., अहमदाबाद, गुजरात (2006)		11,614.90	217.05	11,397.85
	169) कावेरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ., बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		4,846.70	-	4,846.70
	170) बड़ौदा मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2006)		12,825.48	612.28	12,213.20
	171) दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)		165,896.38	4,603.90	161,292.48
	172) धनसुरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2006)		58,798.44	5,398.44	53,400.00
	173) समस्त नगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र (2006)		116,051.52	15,236.66	100,814.86
	174) प्रूडेंशियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		755,959.06	490,959.06	265,000.00
	175) लोक विकास अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., जयपुर, राजस्थान (2007)		6,606.11	200.00	6,406.11
	176) नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम,मध्य प्रदेश (2007)		20,393.50	-	20,393.50
	177) सिंधम कर्न्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		103,903.73	18,700.00	85,203.73
	178) श्रीराम सहकारी बैंक लि.,नासिक, महाराष्ट्र (2007)		323,215.02	295,856.18	27,358.84
	179) परभणी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र (2007)		367,807.52	47,520.48	320,287.04
	180) पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2007)		47,576.03	17,825.70	29,750.33

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	181) यशवंत सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2007)		5,938.96	5,937.81	1.15
	182) दी कनयका परमेश्वरी म्यूच्युली एईडड सीयूबीएल, कुक्कटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)		29,749.48	765.66	28,983.82
	183) महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगोन,मध्य प्रदेश (2007)		4,305.77	442.19	3,863.58
	184) करमसड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., आनंद, गुजरात (2007)		124,758.68	1,875.54	122,883.14
	185) भारत मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2007)		31,232.28	276.97	30,955.31
	186) लॉर्ड बालाजी को-ऑपरेटिव बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2007)		27,287.76	560.00	26,727.76
	187) वसुंधरम महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि.., वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)		2,304.21	-	2,304.21
	188) बेगूसराय अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2007)		5,937.89	-	5,937.89
	189) दतिया नागरिक सहकारी बैंक .,मध्य प्रदेश (2007)		1,486.00	-	1,486.00
	190) आदर्श महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि.., मेहसाणा, गुजरात (2007)		12,974.81	76.52	12,898.29
	191) उमरेठ पीपुल्स को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात (2007)		22,078.93	259.24	21,819.69
	192) सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., वीसनगर, गुजरात (2007)		160,286.13	697.69	159,588.44
	193) श्री को-ऑपरेटिव बैंक लि.., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2007)		2,476.52	-	2,476.52
	194) ओणेक ओबावा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि.., चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)		54,847.11	158.36	54,688.75
	195) दी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि.., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		10,262.36	344.00	9,918.36
	196) श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)		11,238.00	6,097.16	5,140.84

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	197) आनंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2008)	3,793	184,558.65	203.86	184,354.80
	198) राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,600	68,218.16	4,009.30	64,208.85
	199) सेवालाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,माण्डरूप, महाराष्ट्र (2008)	678	666.32	-	666.32
	200) नगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., असम (2008)	12,804	6,130.96	-	6,130.96
	201) सर्वोदय महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि..,बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)	4,117	8,391.32	-	8,391.32
	202) चेतक अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008)	7,240	7,442.90	7,442.90	0.00
	203) बसावाकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि.,बसागंज, कर्नाटक (2008)	1,787	2,673.13	177.00	2,496.13
	204) इण्डियन को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ,उत्तर प्रदेश (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
	205) तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	5,718	24,522.91	1,037.00	23,485.91
	206) चल्लाकेरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., कर्नाटक (2008)	5,718	32,641.34	223.44	32,417.90
	207) डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	1,865	6,375.13	1,587.85	4,787.28
	208) जिला सहकारी बैंक लि., गोण्डा,उत्तर प्रदेश (2008)	67,098	454,367.84	255.92	454,111.91
	209) मराठा को-ऑपरेटिव बैंक लि.., हुबली, कर्नाटक (2008)	30,483	185,521.69	66,713.74	118,807.95
	210) श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,राधानपुर, गुजरात (2008)	8,841	47,517.84	1,094.67	46,423.18
	211) परिवर्तन को-ऑपरेटिव बैंक लि..,मुंबई , महाराष्ट्र (2008)	11,350	184,735.21	38,652.98	146,082.23
	212) इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि., रायपुर , छत्तीसगढ़ (2008)	20,793	164,573.59	32,868.99	131,704.61
	213) इचालकरंजी जीवेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	2,602	24,167.12	23,449.87	717.25

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	214) किट्टूर रानी च्चम्मा महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	22,849.90	721.82	22,128.08
	215) भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,779	99,668.73	28,151.46	71,517.27
	216) हरूगेरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., कर्नाटक (2009)	5,605	36,446.49	4,436.43	32,010.07
	217) वरद को-ऑपरेटिव बैंक लि.., हवेरी, करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	25,242.02	5,377.72	19,864.30
	218) रवि को-ऑपरेटिव बैंक लि.., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	25,627	169,225.78	10,726.52	158,499.26
	219) श्री बालासाहेब सतभई मर्चेण्ट्स को-ऑ परेटिव बैंक लि.., कोपेरगांव, महाराष्ट्र (2008)	16,723	268,254.02	186,590.00	81,664.02
	220) जय लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि..,दिल्ली (2008)	16,467	1,242.00	1,242.00	-
	221) अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि..,सिद्धपुर, कर्नाटक (2009)	19,141	112,933.28	42,713.28	70,220.00
	222) श्री बी.जे. खटल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	79,008.26	65,758.22	13,250.04
	223) श्री कमलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., होले - अलूर, कर्नाटक (2009)	3,256	25,288.48	2,000.00	23,288.48
	224) दी लक्ष्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	67,660.45	3,000.00	64,660.45
	225) प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर,महाराष्ट्र (2009)	11,129	65,792.83	24,201.77	41,591.06
	226) श्री स्वामी ज्ञानानन्द योगीश्वर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुत्तूर, आंध्र प्रदेश (2009)	679	3,625.81	-	3,625.81
	227) अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	10,030.16	2,700.73	7,329.43
	228) फिरोज़ाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2009)	514	4,015.07	-	4,015.07
	229) सिद्धपुरे कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2009)	8,512	37,184.46	2,591.76	34,592.70

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	230) नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (2009)	21,603	128,916.02	29,462.21	99,453.81
	231) भावनगर मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात (2009)	35,466	374,582.84	169,295.62	205,287.22
	232) संत जनबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	16,092	101,964.31	28,963.81	73,000.50
	233) श्री एस.के.पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि.., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	9,658	133,059.30	6,896.56	1,26,162.75
	234) श्री वर्धमान को-ऑपरेटिव बैंक लि.,भावनगर , गुजरात (2009)	13,521	51,821.99	29,985.78	21,836.21
	235) ध्यानोपासक अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,परभणी, महाराष्ट्र (2009)	4,746	16,670.80	8,151.16	8,519.64
	236) अचेलपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र (2009)	4,641	53,127.98	21,027.76	32,100.22
	237) रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहे, महाराष्ट्र (2009)	38,913	370,674.45	36,019.05	334,655.40
	238) साउथ इंडियन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2009)*	56,816	359,773.78	26,829.28	332,944.50
	239) अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	26,364	238,314.86	164,908.02	73,406.85
	240) अजीत को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	26,286	292,978.03	99,748.12	193,229.91
	241) श्री सिद्धि वेंकटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242) हीरेकरूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., कर्नाटक (2009)	16,539	1,37,345.44	-	137,345.44
	243) श्री पी.के.अण्णा पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नांदुरबार , महाराष्ट्र (2009)	67,791	566,173.61	10,021.55	556,152.06
	244) चालिसगांव पीपुल्सको-ऑपरेटिव बैंक लि.., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	21,503	300,915.66	246,118.10	54,797.56
	245) दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खण्डवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	97,541.55	32,096.16	65,445.39
	246) सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	19,584.61	12,895.04	6,689.57

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	247) वसंतदादा शेतकारी सहकारी बैंक लि., सांगली , महाराष्ट्र (2009)	141,317	1,672,059.89	1,140,355.48	531,704.41
	248) दी हलियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,684	43,375.25	35,246.17	8,129.08
	249) मिराज अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,763	420,266.21	189,657.60	230,608.61
	250) फ़ैज़पुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	33,463.64	28,561.40	4,902.24
	251) डेल्टनगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	93,927.24	53.33	93,873.91
	252) इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	125,438.26	10,885.55	114,552.71
	253) दी आकोट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,352	144,067.26	36,385.28	107,681.98
	254) गोरेगांव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (2010)	43,934	4,36,184.64	89,156.53	347,028.11
	255) अनुभव को-ऑपरेटिव बैंक लि., बसावकल्याण, कर्नाटक (2010)	10,590	8,748.57	-	8,748.57
	256) यशवंत अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	116,808.19	47,543.83	69,264.36
	257) प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	11,446	70,182.85	32,822.06	37,360.79
	258) सुरेन्द्रनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., गुजरात, (2010)	56,768	487,087.84	179,734.46	307,353.38
	259) बेल्लाट्टी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	56	58.72	-	58.72
	260) श्री परोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र , (2010)	5,289	51,243.07	7,686.88	43,556.19
	261) साधना को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र , (2010)	3,386	15,629.02	3,778.19	11,850.83
	262) प्राइमेरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	3,710	64,921.83	7,338.10	57,583.73
	263) श्री कामदार सहकारी बैंक लि.,भावनगर , गुजरात, (2010)	14,263	54,165.54	-	54,165.54

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	264) सिटिज़न को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2010)	27,123	232,261.93	232,261.93	-
	265) यशवंत सहकारी बैंक लि.,मिराज, महाराष्ट्र, (2010)	21,235	115,186.90	101,990.02	13,196.88
	266) अर्बन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., असम, (2010)	2,400	4,314.54	-	4,314.54
	267) अहमदाबाद पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	36,652	448,117.96	202,736.63	245,381.33
	268) सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	44,393	260,370.86	102,014.25	158,356.61
	269) काटकोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	39,912	146,202.60	36,405.85	109,796.75
	270) श्री सिननार व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	35,219	403,741.10	153,741.10	250,000.00
	271) नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	54,034	476,597.62	293,973.44	182,624.18
	272) राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	3,424	25,845.79	4,163.44	21,682.35
	273) बहदारपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	4,866	49,312.44	6,951.39	42,361.05
	274) श्री संपीज सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक , (2010)	3,479	49,352.46	655.71	48,696.75
	275) विजयानगरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2010)	6,948	71,141.10	26,062.14	45,078.96
	276) अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश, (2010)	5,289	23,839.86	1,376.98	22,462.88
	277) अन्नासाहेब पाटिल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	6,296	27,996.78	10,275.28	17,721.50
	278) कुपवाड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	12,948	114,105.44	73,729.74	40,375.70
	279) राहूरी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	13,833	167,648.97	164,139.34	3,509.63
	280) रायबाग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	281) चंपावती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	14,811	145,596.66	133,805.66	11,791.00

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	282) श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित , महाराष्ट्र , (2011)	9,208	84,041.98	55,562.91	28,479.07
	283) रजवाड़े मण्डल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र , (2011)	26,422	133,960.02	4,241.66	1,29,718.36
	284) श्री चामराजा को-ऑपरेटिव बैंक लि.., कर्नाटक, (2011)	174	179.27	-	179.27
	285) अन्योन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात,2011	71,262	591,664.24	261,615.68	330,048.56
	286) केमबे हिन्दू मर्सेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	9,336	86,764.47	5,593.14	81,171.34
	287) रबकावि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	10,462	67,393.38	34,835.21	32,558.17
	288) श्री मौनेश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	1,640	2,569.75	-	2,569.75
	289) श्री चदचन श्री संगमेशवर अर्बन को-ऑ परेटिव बैंक लि.,कर्नाटक (2011)	6,075	38,149.77	13,751.77	24,398.00
	290) दी परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	54,925	403,178.78	139,538.88	2,63,639.90
	291) समता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	33,500	422,834.49	44,144.98	378,689.51
	292) हीना शाहीन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	9,798	112,964.84	181.29	112,783.55
	293) श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	2,337	35,973.20	1,925.71	34,047.49
	294) दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	16,324	199,311.58	41,090.58	158,221.00
	295) विदर्भ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र (2011)	11,322	160,023.77	24,318.84	135,704.93
	296) इचालकरंजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र (2011)	43,821	557,603.91	220,198.22	337,405.69
	297) सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
	298) आसनसोल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.., पश्चिम बंगाल (2011)	1,012	4,158.75	1,136.33	3,022.42
	299) श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	7,596	22,002.44	-	22,002.44
	300) रायचूर जिला महिला पाट्टन सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	6,058	11,488.33	6,901.82	4,586.51

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	301) चोपड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.., महाराष्ट्र (2012)	10,264	71,269.83	64,882.49	6,387.34
	302) दी सिधपुर नागरी सहकारी बैंक लि., गुजरात (2012)	6,712	33,560.01	5,431.20	28,128.81
	303) श्री बालाजी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	927	9,476.72	9,476.72	-
	304) सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	18,509	243,448.39	-	243,448.39
	305) बोरियावी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)	5,408	45,494.11	30,077.57	15,416.54
	306) मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)*	85,990	237,520.12	82,817.00	154,703.12
	307) नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2012)	3,042	4,317.79	-	4,317.79
	308) भण्डारी को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	42,553	548,927.62	286,187.54	262,740.08
	309) भारत अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	5,696	20,904.79	6,879.40	14,025.39
	310) इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	6,951	32,018.71	16,309.55	15,709.16
	311) श्री भद्रण मर्सेंटाइल बैंकलि.,गुजरात (2012)	6,599	45,780.63	25,258.61	20,522.02
	312) ढेंकानल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,उड़ीसा 2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	313) भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	3,437	4,102.06	-	4,102.06
	314) भूसावल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	12,201	101,665.47	52,643.03	49,022.44
	315) सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	64,684	459,649.45	134,859.89	3,24,789.56
	316) वासो को-ऑपरेटिव बैंक लि.,गुजरात (2012)	34,672	72,219.38	12,446.00	59,773.38
	317) कृष्णा वेली को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	-
	318) अभिनव सहकारी बैंक लि. (2013)	12,449	25,307.40	2,344.45	22,962.95
	319) अग्रसेन को-ऑपरेटिव बैंक लि. (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
	320) स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि. (2014)	11,463	91,738.28	60,782.93	30,955.35
	321) अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	3,530	61,654.61	8,601.30	53,053.31
	322) विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	6,134	42,156.92	5,820.89	36,336.03

संलग्नक - VII *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	323) वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	40,373	727,615.26	727,615.26	-
	324) सिल्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
	325) गुजरात इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	124,587	2,713,842.46	-	2,713,842.46
	326) दी श्रीकाकुलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (2014)	7,077	10,444.41	7,820.53	2,623.88
	327) श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	20,401	157,616.06	138,002.37	19,613.69
	328) दी कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि. (2015)	28,759	301,759.34	301,759.34	-
	कुल 'एफ'	**46,304,980.46**	**12,083,485.02**	**34,221,495.44**	
	कुल (डी+ई+एफ)	**46,329,946.42**	**12,102,956.34**	**34,221,495.44**	
			(5,494.65)		
	कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**49,288,476.16**	**13,588,227.23**	**35,373,341.44**	
			(326,907.51)		

* समामेलन और पुनर्गठन की योजना

\# पुनर्निर्माण की योजना

@ परिसमापित बैंक के निपटाए गए दावे।

नोट:

1. मूल दावों के निपटान करने से संबंधित वर्षों को कोष्ठक में दिया गया है।
2. चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े 31 मार्च 2015 तक बट्टे खाते डाले गई राशि है।
3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है।
4. जमाकर्ताओं के दावों की संख्या 2008 से दी गई है।
5. जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

संलग्नक - VIII

निक्षेप बीमा दावों के लिए प्रावधान - अवधि-वार विश्लेषण (31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	बैंक के विपंजीकरण / परिसमापन की तारीख	बैंक का नाम	राशि (₹ मिलियन में)	ऐसे बैंक जो अधिक समय वाले भाग (बकेट) में चले गए हैं (31 मार्च 2014 के संबंध में)
1	2	3	4	5
क	**10 वर्ष से अधिक पुराने**			
1	अगस्त 3, 1999	झारग्राम पिपल्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि.	29.23	
2	मई 27, 2002	मधेपुरा अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि.	0.54	
3	जुलाई 22, 2002	नालंदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	6.86	
4	अगस्त 6, 2002	प्रणवानन्दा को-ऑपरेटिव बैंक लि.	225.71	
5	सितंबर 23, 2002	मणिपुर इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	18.13	
6	सितंबर 28, 2002	फेडरल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	13.69	
7	जून 3, 2003	लमका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	0.27	
8	जून 19, 2003	सिब सागर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	188.67	
	कुल (क)	**(8 बैंक)**	**483.10**	**0**
ख	**5 से 10 वर्ष के मध्य के पुराने**			
1	दिसंबर 29, 2006	गुवाहाटी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.	82.43	
2	अप्रैल 10, 2007	रोहुता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	145.68	
	कुल (ख)	**(2 बैंक)**	**228.12**	**0**
ग	**1 से 5 वर्ष के मध्य के पुराने**			
1	मार्च 31, 2010	धनश्री महिला सहकारी बैंक लि.	26.60	
2	अप्रैल 9, 2010	राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि.	26.29	
3	जून 17, 2010	रामकृष्णपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.	750.24	
4	दिसंबर 16, 2010	गोलघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	5.22	
5	जुलाई 23, 2012	प्रीमियर ऑटोमोबाइलस एम्प्लोइस को-ऑपरेटिव बैंक	39.25	
6	अगस्त 30, 2012	राजीव गांधी सहकारी बैंक लिमिटेड	16.96	√
7	नवंबर 15, 2012	गाज़ियाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव	402.00	√
8	जून 7, 2013	वैशाली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	164.13	√
9	अगस्त 24, 2013	महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.	127.68	√
10	सितंबर 6, 2013	कसुंदिया को-ऑपरेटिव बैंक लि.	432.76	√
11	फरवरी 3, 2014	मुनिसिपाल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	280.18	√
	कुल (ग)	**(11 बैंक)**	**2,271.31**	**6**
घ	**1 वर्ष से कम पुराने**			
1	जुलाई 15, 2014	वसावी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हैदराबाद	155.69	
	कुल (घ)	**(1 बैंक)**	**155.69**	**0**
	कुल योग (क+ ख +ग +घ)	**(22 बैंक)**	**3,138.22**	**6**

संलग्नक - IX

ऋण गारंटी शुल्क/अदा किए गए दावे

(₹ मिलियन में)

वर्ष	ऋण गारंटी शुल्क	ऋण गारंटी दावे	अदा किए गए ऋण गारंटी दावे	अंतर (2)-(3)	अंतर (2)-(4)
1	2	3	4	5	6
1991-92	5,659	6,272	4,623	(-) 614	(+) 1,036
1992-93	7,028	11,433	6,436	(-) 4,405	(+) 692
1993-94	8,461	14,908	8,900	(-) 6,447	(-) 439
1994-95	8,291	17,268	11,790	(-) 8,977	(-) 3,499
1995-96	7,046	23,652	10,423	(-) 16,606	(-) 3,376
1996-97	5,640	21,124	3,786	(-) 15,484	(+) 1,854
1997-98	1,649	4,973	3,714	(-) 3,324	(-) 2,065
1998-99	1,232	2,522	6,019	(-) 1,290	(-) 4,787
1999-2000	220	2,455	4,031	(-) 2,235	(-) 3,811
2000-01	0.7	361	473	(-) 360	(-) 473
2001-02	0.2	12.4	13.3	(-) 12.2	(-) 13.1
2002-03	2.1	2.6	1.4	(-) 0. 5	(-)0.7
2003-04	0.2*	-	-	-	-
2004-05 से 2014-15	-	-	-	-	-

* नोट: वर्तमान में निगम द्वारा परिचालित और संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं में कोई संस्था भाग नहीं ले रही है। अत: वर्ष 2003-04 के बाद से गारंटी दावों से संबंधित कोई गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसे किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है।

RAY & RAY
CHARTERED ACCOUNTANTS

305, Eastern Court, "C" Wing, Tejpal Road,
Vile Parle (East), Mumbai - 400 057.INDIA.
E-mail : admln@raynraymumbai.com
Tel.:26146080/2815 0621 Fax :26131586

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक बोर्ड
निक्षेप बीमा और प्रत्यरय गारंटी निगम

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम("निगम") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2015 को निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के तुलन पत्र तथा निगम की उक्त तीनों निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखे और नकदी प्रवाह तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी

निगम का निदेशक बोर्ड इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") में उल्लिखित जानकारी के लिए जिम्मेदार है जोकि भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादनों और नकदी प्रवाहों का सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में तीनों निधियों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उसका कार्यान्वयन करना; उचित एवं न्याय संगत निर्णय लेना और अनुमान लगाना;लेखांकन रिकार्ड की यथार्थता एवं संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जोकि सही और उचित अभिमत देते हैं और किसी धोखाधडी अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त है,के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी डिजाइन बनाना, उसका कार्यान्वयन करना और अनुरक्षण करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना अभिमत देना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों और उसके लिए बनाए गए नियमों के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने योग्य विषयों को लिया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणियाँ महत्वपूर्ण दोष से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गयी राशियाँ और किए गए प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का कार्यनिष्पादन करना शामिल है। तत्संबंधी प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणियों में किसी धोखाधडी अथवा त्रुटिवश होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानी संबंधी जोखिमों का आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों का आकलन करते समय लेखापरीक्षक द्वारा परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त ढंग से लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने, जो सत्य और सही विचार प्रकट करते हो , से संबंधित निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को ध्यान में रखा जाता है। किंतु इसका प्रयोजन इस अभिमत को दर्शाने के लिए नहीं होता है कि क्या निगम के पास ऐसे नियंत्रणों की वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रभावी परिचालन के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है या नहीं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और निगम के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की योग्यता तथा वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमने प्राप्त किए लेखा परीक्षा के साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पर्याप्त और यथोचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

अभिमत

हमारे विचार से और हमारी अधिकतम जानकारी से तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि 31 मार्च 2015 को निगम की तीनों निधियों की स्थिति और उनके अधिशेष तथा उक्त् दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए उनके नकदी प्रवाहों के संबंध में भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमें मांगी गयी सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं;

ख) हमारे विचार से निगम की लेखा बहियों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ विधि के अपेक्षानुसार उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं;

ग) रिपोर्ट में उल्लिखित तीनों निधियों के तुलन पत्र, राजस्व लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण सभी खाता बहियों के अनुरूप हैं;

घ) हमारे विचार से, उक्त वित्तीय विवरणों को यथा लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है;

ड.) निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित कोर्ट के मामलों के प्रभाव का उल्लेख किया है - वित्तीय विवरण की टिप्पणी। देखें।

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 301072ई

अनिल वर्मा
भागीदार
सदस्यता सं.090408

मुंबई
24 जून 2015

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च, 2015 को कारोबार की समाप्ति
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और

पिछला वर्ष		देयताएं	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
50,683.40	-	**1. निधि :**(वर्ष के अंत में शेष)		52,075.40		
		2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष :				
308,553.81	3,250.95	वर्ष के प्रारंभ में शेष	355,495.85		3,539.92	
	0.00	जोड़ें : अन्य निधियों को / से अंतरित	0.00			
46,942.04	288.97	जोड़ें : राजस्व खाते को / से अंतरित	96,962.74		323.97	
355,495.85	3,539.92	वर्ष के अंत में शेष		452,458.59		3,863.89
		3. (क) निवेश रिज़र्व				
5,226.96	406.56	वर्ष के प्रारंभ में शेष	26,747.25		585.36	
21,520.29	178.80	घटाएं : राजस्व खाता से अंतरित	(23821.19)		(174.17)	
26,747.25	585.36	वर्ष के अंत में शेष		2,926.06		411.19
		(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व				
14,543.39	278.99	वर्ष के प्रारंभ में शेष	28,322.00		278.99	
13,778.61	-	राजस्व खाता से अंतरित	0.00		0.00	
28,322.00	278.99	वर्ष के अंत में शेष		28,322.00		278.99
4,154.50		**4. सूचित और प्राप्त परंतु अदा न किए गए दावे**		1,384.66		
2,780.19		**5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं**		2,024.38		
1,141.07		**6. विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ**		1,113.83		
1,670.28		**7. दावा न की गई बीमित जमाराशियाँ**		1,823.45		
		8. अन्य देयताएं				
375.76	0.00	(i) फुटकर लेनदार	322.71			
98,987.92	279.92	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	109,030.11		328.53	
124.97	0.00	(iii) फुटकर जमाराशियाँ खाता	0.00			
0.00	0.00	(iv) सेवाकर देय खाता	0.00			
49.99	0.00	(v) रिवर्स रिपो के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ खाता	39.90			
99,538.64	279.92			109,392.72		328.53
570,533.18	**4,684.19**	**कुल**		**651,521.11**		**4,882.60**

कृते मेसर्स रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 301072ई

अनिल वर्मा
अनिल पी. वर्मा
भागीदार (सदस्य सं.090408)

मुंबई
24 जून 2015

रा. गांधी
रा. गांधी
अध्यक्ष

आर. रामचंद्रन
आर. रामचंद्रन
निदेशक

जसबीर सिंह
जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

संजोय सेठी
संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र
ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष		आस्तियाँ	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
281.79	0.07	**1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि**		32.86		0.66
		2. मार्गस्थ नकदी				
		3. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)				
607.46	0.00	खजाना बिल	95.38		0.00	
444,168.15	4,200.63	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	521,293.43		4393.47	
444,775.61	4,200.63			521,388.81		4,393.47
442,491.55	3,995.34	अंकित मूल्य	525,955.01		4,125.26	
418,269.67	3,615.26	बाजार मूल्य	529,985.56		3,904.96	
8,987.83	103.87	**4. निवेशों पर उपचित ब्याज**		9,927.29		110.33
		5. अन्य आस्तियाँ				
1,285.32	4.24	(i) फुटकर देनदार	0.00		0.00	
108,880.77	375.38	(ii) अग्रिम आयकर / टीडीएस	111,985.18		378.14	
50.04		(iii) प्राप्त होने वाले रिवर्स रेपो / रिवर्स रेपो ब्याज	39.92			
49.99		(iv) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ	39.90			
982.43		(v) वापसी योग्य सेवाकर खाता	1,115.54			
5,239.40		(vi) सेवा कर से प्राप्य राशियां	5,712.52			
0.00		(vi) विवादित सेवा कर / ब्याज भुगतान खाता	1,279.09			
116,487.95	379.62			120,172.15		378.14
570,533.18	**4,684.19**	**कुल**		**651,521.11**		**4,882.60**

शशांक सक्सेना
डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

हर्ष कुमार भानवाला
डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
निदेशक

संजय सेठी
संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

एम. कृपानंदम
एम . कृपानंदम
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और
(फार्म
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और

पिछला वर्ष		व्यय	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि				
राशि	राशि		राशि		राशि
		1. दावे :			
1,030.92	-	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त		3,212.89	
3,167.16	-	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गए		(2769.84)	
		(ग) सूचित परंतु स्वीकृत न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयता			
2,780.19		वर्ष के अंत में	2,024.38		
(7912.22)		घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में	(2780.19)		
(5132.03)		(घ) विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ		(755.80)	
1141.07	-	वर्ष के अंत में	1,113.83		
(1141.07)	-	घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में	(1141.07)		
0.00			(27.24)		
(933.95)		निवल दावे		(339.99)	
50,683.40		**2. वर्ष के अंत में निधि शेष** (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)		52,075.40	
21,520.29	178.80	**3. निवेश**	0.00		0.00
		निवेश रिज़र्व में जमा			
0.00	0.00	**4. प्रदत्त सेवाकर**		16.15	0.00
91,523.37	121.91	आगे ले जाया गया निवल अधिशेष		146,890.99	490.79
162,793.11	**300.71**	**कुल**		**198,642.56**	**490.79**
		कराधान के लिए प्रावधान			
31,108.79	41.44	वर्तमान वर्ष		49,928.25	166.82
0.00	0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)		0.00	0.00
13,778.61	0.00	उच्चावचन रिज़र्व निवेश (आईएफआर)		0.00	0.00
46,942.04	288.97	अधिशेष खाते में ले जाया गया		96,962.74	323.97
91,829.44	**330.41**	**कुल**		**146,890.99**	**490.79**

कृते मेसर्स रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 301072ई

अनिल वर्मा
अनिल पी. वर्मा
भागीदार (सदस्य सं.090408)

मुंबई
24 जून 2015

रा. गांधी
अध्यक्ष

आर. रामचंद्रन
निदेशक

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रत्यय गारंटी निगम
'बी')
के लिए राजस्व लेखा
ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष		आय		
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
52,649.60	0.00	**1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा**	50,683.40	0.00
73,128.01	0.00	**2. निक्षेप बीमा प्रीमियम के द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)**	82,286.48	0.00
0.00	0.00	**3. गारंटी शुल्क के द्वारा (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)**	0.00	0.00
873.77	4.24	**4. अग्रिम कर की वापसी पर प्राप्त व्याज द्वारा**	56.15	1.85
2,239.29	2.21	**5. प्रदत्त / निपटाए गए दावों संबंधी वसूलियों के द्वारा (अतिदेय चुकौती पर ब्याज सहित)**	1,470.22	3.27
0.00	0.00	**6. प्रतिलेखित दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान द्वारा (प्रतिपक्षी)**	3.32	0.01
		7. निवेशों पर आय के द्वारा		
33,497.77	294.65	(क) निवेशों पर ब्याज	40,548.61	311.79
295.58	(0.39)	(ख) प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन पर लाभ (हानि)	(388.86)	(0.30)
109.09	0.00	(ग) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	162.05	0.00
33,902.44	294.26		40,321.80	311.49
0.00	0.00	8. निवेश रिजर्व में अंतरित प्रतिलेखित निवेशों के मूल्यह्रास द्वारा	23,821.19	174.17
162,793.11	**300.71**	**कुल**	**198,642.56**	**490.79**
91,523.37	121.91	आगे से लाया गया निवल अधिशेष द्वारा	146,890.99	490.79
306.07	208.50	पिछले वर्षों के आयकर वापसी के द्वारा	0.00	0.00
0.00	0.00	अधिशेष खाते से अंतरित शेष के द्वारा	0.00	0.00
91,829.44	**330.41**	**कुल**	**146,890.99**	**490.79**

शशांक सक्सेना
डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

हर्ष कुमार भानवाला
डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
निदेशक

संजय सेठी
संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

एम. कृपानंदम
एम . कृपानंदम
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च, 2015 को कारोबार की समाप्ति
II. सामान्य

पिछला वर्ष	देयताएं		
राशि		राशि	राशि
500.00	**1. पूँजी : (प्राधिकृत, जारी और प्रदत्त) निक्षीप्रगानि (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी) के अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) द्वारा प्रावधानीकृत**		500.00
	2. रिज़र्व		
	क) सामान्य रिज़र्व		
4,573.30	वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,657.39	
0.00	जोडें: ऋण गारंटी निधि को / से अंतरित	0.00	
84.09	जोडें (घटाएं) - राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष / (घाटा)	248.90	
4,657.39			4,906.29
	ख) निवेश रिज़र्व		
466.78	वर्ष के प्रारंभ में शेष	381.47	
(85.30)	राजस्व खाते से अंतरित	(193.23)	
381.48			188.24
	ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व		
304.90	वर्ष के प्रारंभ में शेष	356.02	
51.12	सामान्य निधी के निवेश उच्चावचन रिज़र्व से / को अंतरित	0.00	
356.02			356.02
	3. वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
0.00	बकाया कर्मचारी लागत	0.00	
11.88	बकाया व्यय	11.95	
0.44	फुटकर लेनदार	4.23	
258.46	आयकर के लिए प्रावधान	332.11	
0.00			
270.78			348.29
6,165.67	**कुल**		**6,298.84**

कृते मेसर्स रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 301072ई

अनिल वर्मा
अनिल पी. वर्मा
भागीदार (सदस्य सं.090408)

मुंबई
24 जून 2015

रा. गांधी
रा. गांधी
अध्यक्ष

आर. रामचंद्रन
आर. रामचंद्रन
निदेशक

जसबीर सिंह
जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

संजोय सेठी
संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रत्यय गारंटी निगम
निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र
निधि (जीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष	आस्तियाँ		
राशि		राशि	राशि
	1. नकद		
0.01	(i) हाथ में	0.00	
3.59	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	2.90	
3.60			2.90
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
0.00	खजाना बिल	0.00	
5,105.71	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	5,195.63	
454.28	सीसीआईएल में जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ	451.01	
5,559.99	(अंकित मूल्य 4500)		5,646.64
5,385.84	अंकित मूल्य :	5,408.47	
5,178.51	बाजार मूल्य :	5,433.96	
157.77	**3. निवेशों पर उपचित ब्याज**		121.82
	4. अन्य आस्तियाँ		
4.17	फर्नीचर, जुड़नार और उपस्कर (मूल्यह्रास काटकर)	2.02	
0.95	लेखनसामग्री का स्टाक / लाउंज कूपन	1.11	
5.45	फुटकर देनदार	0.56	
3.01	स्टाफ अग्रिम पर उपचित ब्याज	3.37	
14.06	स्टाफ अग्रिम	14.84	
	अग्रिम आयकर / स्त्रोत पर टीडीएस		
365.90	लंबित अंतिम आंकलन / समायोजन	448.62	
50.00	सीसीआईएल में जमा मार्जिन जमाराशि	50.00	
0.77	प्राप्य सेवा कर	1.78	
0.00	परियोजना लागत	5.18	
444.31			527.48
6,165.67	**कुल**		**6,298.84**

शशांक सक्सेना
डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

हर्ष कुमार भानवाला
डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
निदेशक

संजय सेठी
संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

एम. कृपानंदम
एम . कृपानंदम
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फार्म 'ख')
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष	व्यय		पिछला वर्ष	आय		
राशि		राशि	राशि		राशि	
86.94	**स्टाफ लागत का भुगतान / प्रतिपूर्ति**	97.21		**निवेशों से आय**		
0.15	**निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क**	0.08	448.95	(क) निवेशों पर ब्याज	454.10	
0.11	**निदेशकों / समिति के सदस्यों की यात्रा और अन्य भत्ते / व्यय**	0.23	(158.13)	(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन से लाभ (हानि)	(83.03)	
9.82	**किराया, कर, बीमा, बिजली आदि**	10.02	290.82			371.07
37.01	**स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते**	38.53	85.30	प्रतिलेखित निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास		193.23
1.76	**मुद्रण, लेखनसामग्री और कंप्यूटर उपभोग्य सामग्री**	13.68		विविध प्राप्तियाँ		
2.27	**डाक, तार और टेलीफोन**	2.88		भारत सरकार के तहत वसूली का भाग-ऋण		
0.31	**लेखापरीक्षकों का शुल्क**	1.65		गारंटी योजना -एसएसआई	0.00	
4.95	**विधि प्रभार**	5.46	0.69	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	0.78	
0.87	**विज्ञापन**		0.03	जड़ वस्तु की बिक्री पर लाभ (निवल)	0.03	
	निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		4.59	आयकर की वापसी पर ब्याज	6.08	
	विविध व्यय	0.00	0.00	अन्य विविध प्राप्तियाँ	0.12	
			5.31			7.01
0.62	व्यावसायिक प्रभार	0.27				
3.73	सेवा करार / अनुरक्षण	3.32				
0.37	पुस्तकें, समाचारपत्र, आवधिक पत्रिकाएं	0.42				
0.31	पुस्तक अनुदान	0.55				
0.26	कार्यालय परिसंपत्ति - जड़वस्तु की मरम्मत	0.20				
2.85	लेनदेन प्रभार - सीसीआईएल	3.90				
7.72	अन्य	13.69				
15.86		**22.35**				
3.00	मूल्यह्रास	2.16				
218.38	वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को आगे ले जाया गया	377.07	0.00	वर्ष के लिए आय की तुलना से अधिक व्यय के शेष को नीचे लाया गया		0.00
381.43	**कुल**	**571.31**	**381.43**	**कुल**		**571.31**
	आय की तुलना से अधिक व्यय को - आगे लाया गया		218.38	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में अधिक आय के शेष को आगे लाया गया		
0.00	**आयकर के लिए प्रावधान**					377.07
8.94	पिछले वर्ष		0.00	पिछले वर्ष के आयकर की वापसी		0.00
74.23	वर्तमान वर्ष	128.17				
51.12	**निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)**	0.00				
84.09	**सामान्य रिज़र्व खाता**	248.90	0.00	सामान्य रिज़र्व खाता द्वारा		0.00
218.38	**कुल**	**377.07**	**218.38**	**कुल**		**377.07**

कृते मेसर्स रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 301072ई

अनिल पी. वर्मा
भागीदार (सदस्य सं.090408)

मुंबई
24 जून 2015

रा. गांधी
अध्यक्ष

डॉ. हर्ष कुमार भानवाला
निदेशक

संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

आर. रामचंद्रन
निदेशक

एम . कृपानंदम
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) तथा ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

पिछले वर्ष					
निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)	ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)			निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)	ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)
राशि	राशि			राशि	राशि
		परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
91523.37	**121.91**	व्यय की तुलना में अधिक आय	**(क)**	**146890.99**	**490.79**
		परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान के लिए समायोजन :			
(33606.85)	(294.65)	निवेशों पर ब्याज		(40710.65)	(311.79)
(295.58)	0.39	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		388.86	0.30
(1966.20)	0.00	निधि शेष में वृद्धि (बीमांकित मूल्यांकन)		1392.00	0.00
21520.29	178.80	निवेश रिज़र्व को अंतरित		(23821.19)	(174.17)
0.00	0.00	कर		0.00	0.00
(14348.34)	**(115.46)**		**(ख)**	**(62750.98)**	**(485.66)**
		परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :			
		आस्तियाँ :			
		कमी (वृद्धि)			
(31183.12)	(33.09)	अग्रिम आयकर में वृद्धि और टीडीएस		(42990.47)	(120.97)
(1039.36)	(4.04)	फुटकर देनदार		1285.32	4.24
(5239.40)	0.00	सेवा कर से प्राप्त राशियाँ		(473.12)	0.00
(705.06)	0.00	अन्य आस्तियाँ		(1391.99)	0.00
(38166.94)	(37.13)		**(ग)**	(43570.26)	(116.73)
		देयताएं :			
		वृद्धि (कमी)			
(1964.88)	0.00	सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयताएं		(3552.88)	0.00
229.68	0.00	अदावी जमा		153.17	0.00
(165.75)	0.00	फुटकर लेनदार		(53.05)	0.00
83.05	0.00	फुटकर जमा खाते		(124.97)	0.00
0.00	0.00	सेवाकर देने योग्य खाते		0.00	0.00
0.00	0.00	रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ		(10.09)	0.00
(1817.90)	0.00		**(घ)**	(3587.82)	0.00
37190.19	(30.68)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग+घ)**	**(क)**	36981.93	(111.60)
		निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
32294.16	289.42	निवेशों पर प्राप्त ब्याज		39771.21	305.33
295.58	(0.39)	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		(388.86)	(0.30)
0.00	0.00	सामान्य निधी को अंतरित		0.00	0.00
		कमी (वृद्धि)			
(69783.55)	(258.76)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि		(76613.20)	(192.84)
(37193.81)	30.27	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ख)**	(37230.86)	112.19
0.00	0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(ग)**	0.00	0.00
(3.62)	(0.41)	**नकदी में निवल वृद्धि / कमी**	**(क+ ख+ग)**	(248.93)	0.59
285.41	0.48	वर्ष के प्रारंभ में नकदी शेष		281.79	0.07
281.79	**0.07**	**वर्ष के अंत में नकदी शेष**		**32.86**	**0.66**

कृते मेसर्स रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन,301072ई

अनिल वर्मा
अनिल पी. वर्मा
भागीदार (सदस्य सं.090408)

मुंबई
24 जून 2015

जसबीर सिंह
जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

एम. कृपानंदम
एम . कृपानंदम
उप महाप्रबंधक

संजोय सेठी
संजोय सेठी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
II. सामान्य निधि
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

पिछला वर्ष राशि			राशि
	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
218.38	व्यय की तुलना में अधिक आय	(क)	377.07
	शुद्ध नकदी के परिचालन से व्यय से अधिक आय के सामन्जस्य के लिए समायोजन		
3.00	मूल्यह्रास		2.16
(448.95)	निवेशों पर ब्याज		(454.10)
158.13	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ / (हानि)		83.03
(85.30)	निवेश रिज़र्व को अंतिरत		(193.23)
0.00	प्रतिलेखित अधिक प्रावधान		0.00
(0.69)	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		(0.78)
(0.03)	जड़वस्तु की बिक्री से लाभ / (हानि)		0.03
4.59	अन्य - विविध प्राप्तियाँ		0.12
0.00	आयकर		0.00
(369.25)		(ख)	**(562.77)**
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :		
	आस्तियाँ :		
	कमी (वृद्धि)		
(0.17)	लेखनसामग्री / अधिकारी लाउंज के कूपनों का स्टाक		(0.16)
(0.77)	पूर्वदत्त व्यय / प्राप्य सेवा कर		(1.01)
0.16	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय / भत्ते संबंधी अग्रिम		(0.78)
(10.99)	अग्रिम आयकर		(136.94)
0.00	सीसीआईएल के पास मार्जिन जमा		0.00
0.32	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		(0.36)
0.00	परियोजना लागत		(5.18)
(4.58)	फुटकर देनदार		4.89
(16.03)		(ग)	**(139.54)**
	देयताएं :		
	वृद्धि (कमी)		
0.00	कर्मचारी बकाया लागत		0.00
3.19	बकाया व्यय		0.07
(0.11)	फुटकर लेनदार		3.79
0.00	अन्य जमा / टीडीस		(0.30)
3.08		(घ)	**3.56**
(163.82)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह: (क+ख+ग+घ)**	(क)	**(321.68)**
	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
432.81	निवेशों से प्राप्त ब्याज		490.04
(158.13)	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		(83.03)
0.69	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.78
0.00	निक्षेप बीमा निधि से प्राप्त निधियाँ		0.00
(4.56)	अन्य		(0.12)
	कमी (वृद्धि)		
(1.47)	अचल आस्तियाँ		(0.04)
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश:		
0.00	खजाना बिल		0.00
(98.70)	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(89.92)
(6.28)	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ		3.27
164.36	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	(ख)	**320.98**
0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	(ग)	**0.00**
0.54	**नकदी में निवल वृद्धि**	(क+ख+ग)	(0.70)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष		
0.01	हाथ में		0.01
3.05	भारिबैं के पास		3.59
3.60	**वर्ष के अंत में नकदी शेष**		**2.90**

कृते मेसर्स रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. एफआरएन 301072ई

अनिल वर्मा
अनिल पी. वर्मा
भागीदार (सदस्य सं.090408)

मुंबई
24 जून 2015

जसबीर सिंह
जसबीर सिंह
कार्यपालक निदेशक

एम. कृपानंदम
एम . कृपानंदम
उप महाप्रबंधक

संजोय सेठी
(संजोय सेठी)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखाकंन पद्धति (भारतीय जीएएपी), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और भारत में प्रचलन के अनुसार हैं। जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए निगम में उपचय आधारित लेखांकन पद्धति और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि वे आस्तियों, देयताएं, व्यय, आय का अनुमान और पूर्वानुमान करें और विशेषत: उस तारीख के वित्तीय विवरण के निक्षेप बीमा दावों से संबंधित आकस्मिक देयताएं प्रकट करें। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान और पूर्वानुमान तर्क संगत और यथोचित है। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में लेखांकन अनुमानों को संशोधित किया जाता है।

3. राजस्व का निर्धारण

जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।

(ख) यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त रसीदों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमाकृत बैंकों के लिए यदि कोई अनुमान किया गया है तो जमा न किए गए प्रीमियम आय के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रीमियम भुगतान में देर के लिए दण्ड ब्याज की गणना वास्तविक रसीदों के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

(क) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) दावा देयताओं के लिए प्रावधान सरकारी परिसमापक से दावा सूची प्राप्त होने पर किया जाता हैं।

(ग) निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अधीन जिस परिसमापित बैंक का निगम द्वारा निपटान किया जाना है, उसके लिए निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार निगम द्वारा वास्तविक संपूर्णत: निपटान होने तक अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, निक्षेप बीमा दावे संबंधी देयताओं हेतु प्रावधान किया जाता है।

(घ) पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अधीन, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए अथवा अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को परिसमापक द्वारा इसकी पुष्टि करने संबंधी सूचना वाले वर्ष में ही हिसाब में लिया जाता है। निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली / समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है।

(iv) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है ।

(v) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ / हानि को सौदे के निपटान की तारीख को ही हिसाब में लिया जाता है।

4. निवेश

(i) सभी निवेश चालू निवेश हैं। इनका मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर स्क्रिपवार किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा निर्धारित दरों को बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है। खजाना बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।

(ii) प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, परंतु लेखा विवरण (स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट्स) के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निवेश आरक्षित खाता (इन्वेस्टमेंट रिज़र्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

(iii) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले ह्रास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) रखी जाती है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाज़ार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाती है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय का विनियोग के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) में जमा किया जाता है।

(iv) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण, अंतरण की तारीख को बही मूल्य पर किया जाता है।

(v) रिपो / रिवर्स रिपो संबंधी लेनदेनों को सहमत शर्तों पर पुन: खरीद वेक करार के अनुसार संपार्श्विकृत उधार / ऋण परिचालन माना जाता है। रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया नाहीं जाता है। जैसा भी मामला हो, लागत और राजस्व को ब्याज व्यय / आय में हिसाब में लाया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ

(i) अचला आस्तियों को लागत में से मूल्यह्रास को कम करके दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य तथा अपने भावी प्रयोग के लिए आस्ति को अपनी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई भी स्त्रोतजन्य लागत शामिल है।

(ii) (क) कंप्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफटवेयर (₹0.1 मिलियन और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति पर उपलब्ध किया गया है।

आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर,सॉ फटवेयर आदि	33.33 %
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 %

(ख) 180 दिनों तक की अवधि के दौरान किए गए परिवर्धनों पर मूल्य ह्रास संपूर्ण वर्ष के लिए उपलब्ध है अन्यथा छमाही के लिए है। वर्ष के दौरान बेची गयी / निपटायी गयी आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास उपलब्ध नहीं है।

(iii) ₹0.1 मिलियन से कम लागतवाली स्थायी आस्तियाँ (लैपटॉप, मोबाईल फोन आदि जैसी पोर्टेबल इलैक्ट्रॉनिक आस्तियाँ जिनकी लागत ₹10,000 से अधिक है को छोड़कर) को आस्ति अधिग्रहण करने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा।

6. पट्टे

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को वास्तविक आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / लागत

कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, प्रतिपूरक अनुपस्थिति, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का सारा स्टाफ रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है।

8. आय पर कराधान

कराधान संबंधी देयता आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। यदि आवश्यक समझते हैं तो, आस्थगित कर आस्ति और देयता का मूल्यांकन (अनुमान), ऐसी कर दरों और कर नियमों, जिनको अधिनियमित किया जा चुका है या तुलनपत्र की तारीख तक महत्वपूर्ण अधिनियम तथा जिन्हें उपयोगी समझा गया है, के अनुसार किया जाता है।

9. आस्तियों की दुर्बलता

जब कभी परिस्थिति की माँग होती है कि किसी आस्ति की रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है तो दुर्बलता के प्रयोजन से नियत आस्तियों की समीक्षा की जाती है। आस्ति की रखाव राशि की वर्तमान वसूली योग्य मूल्य से तुलना करके रखी हुई और प्रयोगरत आस्तियों की मूल्य वसूली संबंधी योग्यता की माप की जाती है। यदि ऐसी आस्तियाँ दुर्बल होती हैं तो इस दुर्बलता का अनुमान वर्तमान आस्ति के वसूली योग्य मूल्य तथा उस आस्ति की रखाव राशि की तुलना में अधिक राशि की माप करके किया जाता है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

i) लेखा मानक 29, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुपालन में पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व प्रकट होने पर ही निगम प्रावधान की व्यवस्था करता है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।

ii) प्रावधान उनके वर्तमान मूल्यानुसार नहीं निकाले जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।

iii) प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना वास्तविक रूप से सुनिश्चित होने पर ही निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रत्याशित प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान का अनुमान किया जाता है।

iv) आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया :

ए. सेवाकर:

आकस्मिक देयता का स्वरूप	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सेवाकर	₹190.07 करोड़	₹5367.42 करोड़

स्पष्टीकरण टिप्पणी:

(क) संयुक्त आयुक्त, बड़े आयकर दाता इकाई (एलटीयू), मुंबई ने लेखापरीक्षा के आधार पर 26 जून 2014 के पत्र सं. एलटीयू / एमयूएम /सीईएक्स/ओडीट/ ग्रेडV / डीआई सीजीसी/14/2014/4433 के द्वारा निगम को 1 अक्तूबर 2011 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त सेवा कर के रूप में ₹118,64,34,956/- की राशि का भुगतान करने को कहा है। क्योंकि निगम ने प्रीमियम को सेवा कर में शामिल नहीं किया था जबकि प्रीमियम को सेवाकर में शामिल किया जाना था। निगम ने i) अक्तूबर 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए ₹18,93,80,153/- ii) अप्रैल 2012 से सितंबर 2012 तक की अवधि के लिए ₹26,50,512/- iii) अक्तूबर 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए ₹10,99,93,595/- को शामिल करते हुए ₹30,20,24,260/- की निवल जोड़ के बाद ₹88,44,10,696/- की राशि अतिरिक्त सेवाकर जमा किए जाने के रूप में "विरोध करते हुए" भुगतान किया।

(ख) सेवाकर विभाग ने 26 जून 2014 के पत्र सं. एलटीयू / एमयूएम /सीईएक्स/ओडीट/ ग्रेड V / डीआईसीजी सी/14/2014/4433 के द्वारा निगम से सेवाकर भुगतान की देय तारीख निगम द्वारा अपनाई गयी देय तारीखों के बदले अप्रैल से सितंबर की छमाही अर्थात माह आरंभ होने से पूर्व, के लिए पिछले वर्ष की 31 मार्च को और अक्तूबर से मार्च की छमाही के लिए 6 अक्तूबर को निर्धारित करते हुए विलंबित अवधि पर ब्याज के रूप में ₹51.93/- करोड़ की भी मांग की है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने सेवाकर विभाग में ₹39,46,81,068/- की राशि का "विरोध करते हुए " भुगतान किया।

(ग) उपायुक्त, बड़े आयकर दाता इकाई (एलटीयू) ने 12 फरवरी 2014 के आदेश द्वारा सेवाकर भुगतान में विलंब के लिए 1 अक्तूबर 2011 से 31 मार्च 2012 तक और 1 अप्रैल 2012 से 30 सितंबर 2012 तक की छमाही के लिए क्रमश: ₹19,38,27,885/- और ₹12,12,383/- का ब्याज निर्धारित किया। साथ ही आयुक्त ने 11 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा उसी अवधि के लिए ₹19,17,54,309/- और ₹12,12,383/- का भी ब्याज निर्धारित किया। दोनों राशियों को निगम को देय वापसी से समायोजित किया गया। निगम ने दोहरे समायोजन के लिए ब्याज लगाने के विरूद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष सुधार आवेदन/ अपील दर्ज की है।

घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर, बड़े कर दाता यूनिट (एलटीयू) के आयुक्त के 10 जनवरी 2013 के आदेश को चुनौती देने के लिए निगम की ओर से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के साथ 8 अप्रैल 2013 को दायर की गई अपील की सुनवाई मार्च 11, 2015 को हुई। निर्णय के संदर्भ में, 1 मई 2006 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए ₹ 2075.65 करोड़ की सेवाकर राशि और 1 अप्रैल 2011 से 30 सितंबर 2011 तक की अवधि के लिए ₹283.15 करोड़ की सेवाकर राशि की मांग तथा इसी अवधि के लिए निगम पर लगाया गया ₹2075.65 करोड़, ₹283.15 करोड़ और ₹650.01 करोड़ के दण्ड को 20.09.2011 के पहले की अवधि का होने के कारण रद्द कर दिया गया। हालांकि,नियत तारीख तक कर के भुगतान में देर होने के मामले में, सेवाकर पर ब्याज देय है। सीईएसटीएटी द्वारा कारण न बताए जाने के खिलाफ निगम ने माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करने का फैसला किया है।

बी) निक्षेप बीमा दावे

i). वर्ष के दौरान दावा दायित्व की मान्यता पर लेखांकन नीति को डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में अपनाई गई वास्तविक पद्धति के समरूप रखा गया और "बैंकों के विपंजीकरण पर दावों का प्रावधान" के स्थान पर "आधिकारिक परिसमापक से दावा सूची प्राप्त होने पर दावे का प्रावधान" शब्द रखा गया है। इसके परिणाम स्वरूप ₹214.96 मिलियन की छोटी राशिका व्यय अगले वित्तवर्ष के लिए स्थगित हो गया है।

ii). 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान विपंजीकृत किए गए 13 बैंकों की निक्षेप बीमा राशि ₹1,251.56 करोड़ रही।

3). भविष्य में निवेश के मूल्य में कमी मूल्सहास होने के कारण उत्पन्न होने वाले बाजार जोखिम की भरपाई करने के लिए आईएफआर को बनाए रखा गया है। तुलन पत्र की तारीख को पर्याप्तता मूल्यांकन किया जाता है। मानकीकृत अवधि के दृष्टिकोण के साथ-साथ अतरलता के लिए समायोजित वीएआर (अर्थात तरलता वीएआर) का प्रयोग करते हुए ब्याज दर जोखिम का आंकलन किया जाता है। मानकीकृत अवधि विधि और वीएआर विधि दोनों के तहत उच्च बाजार जोखिम निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफआर) निर्मित करने के लिए एक बेंचमार्क है। यह बताया जाता हैकि 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार निगम द्वारा धारित वीएआर के तहत ₹ 11376.10 मिलियन और मानकीकृत अवधि विधि के तहत ₹ 22704.90 मिलियन के बाजार जोखिम होने की गणना की गई। हालांकि, लेखांकन नीति 4 (iii) के अनुसार बाजार जोखिम से अधिक आईएफआर को बनाए रखा जाता है और आगे बढ़ाया जाता है।

4. तीनों निधियों के निवेश में ₹17,000 मिलियन की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) के अंतर्गत आंतर दिवस चलनिधि (आईडीएल) की सुविधा प्रदान की गई है।

5. **अन्य आस्तियाँ** : अन्य आस्तियाँ में विवादित सेवाकर/ सेवाकर पर ब्याज का विरोध करते हुए भुगतान की गयी ₹ 127.26 मिलियन की राशि शामिल है।

6. रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

प्रकटीकरण:

अंकित मूल्य के संदर्भ में (₹ मिलियन में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i.सरकारी प्रतिभूतियाँ	739.68	739.68	2.02*	कुछ नहीं
ii.निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
रिवर्स रिपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i.सरकारी प्रतिभूतियाँ	9.74	5000	1200.73	39.90
ii.निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

*वर्ष के दौरान केवल एक लेनदेन

7. **संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण :**

(क) प्रमुख कार्मिक प्रबंध :

(i) श्री जसबीर सिंह, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक निगम के कारोबार के प्रभारी थे। इसके लिए उन्होंने अपना वेतन और पारिश्रमिक भारतीय रिज़र्व बैंक से आहरित किया।

8. **खण्ड द्वारा रिपोर्ट**

वर्तमान में निगम बैंको को उनकी श्रेणी पर ध्यान दिए बिना प्रमुख रूप से उन्हें एक समान दर पर निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार प्रबंधन की राय में व्यवसाय अथवा भौगोलिक रूप से कोई भिन्न-भिन्न खण्ड नहीं है।

9. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों में आवश्यकतानुसार सुधार / पुनर्वर्गीकरण / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

मुद्रा यूनिट पर टिप्पणी

- प्रमुख विदेशी मुद्राओं के संबंध में भारतीय रूपये (₹) की संदर्भ दर / परिवर्तन दर www.rbi.org.in पर देखी जा सकती है ।
- ₹ 1 लाख = ₹ 100,000.00 अथवा ₹ 0.10 मिलियन
- ₹ 10 लाख = ₹ 1 मिलियन
- ₹ 1 करोड़ = ₹ 10 मिलियन
- ₹ 100 करोड़ = ₹ 1 बिलियन

बीमाकृत और पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार)
NUMBER OF INSURED AND FULLY PROTECTED ACCOUNTS
(AS ON MARCH 31, EACH YEAR)

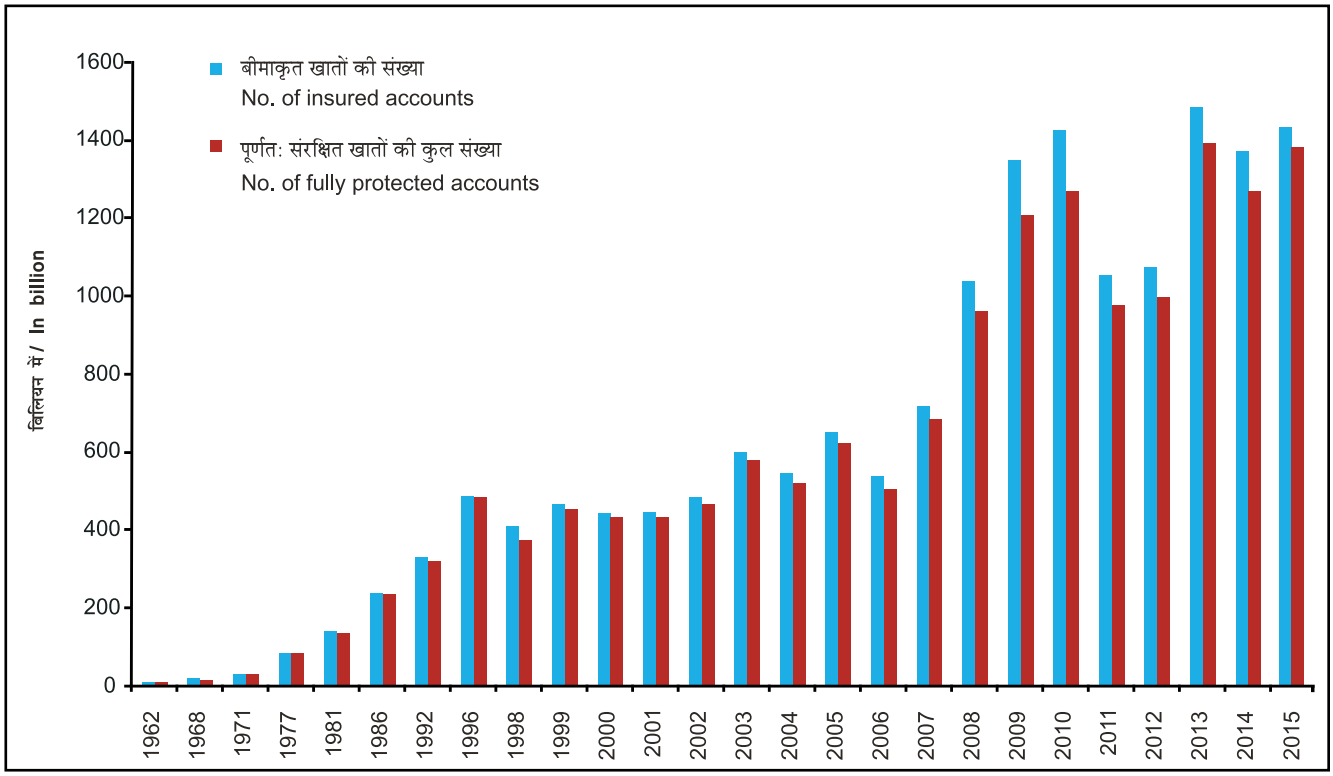

कुल निर्धारणीय और बीमाकृत जमाराशियाँ
(प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार)
AMOUNT OF ASSESSABLE AND INSURED DEPOSITS
(AS ON MARCH 31, EACH YEAR)

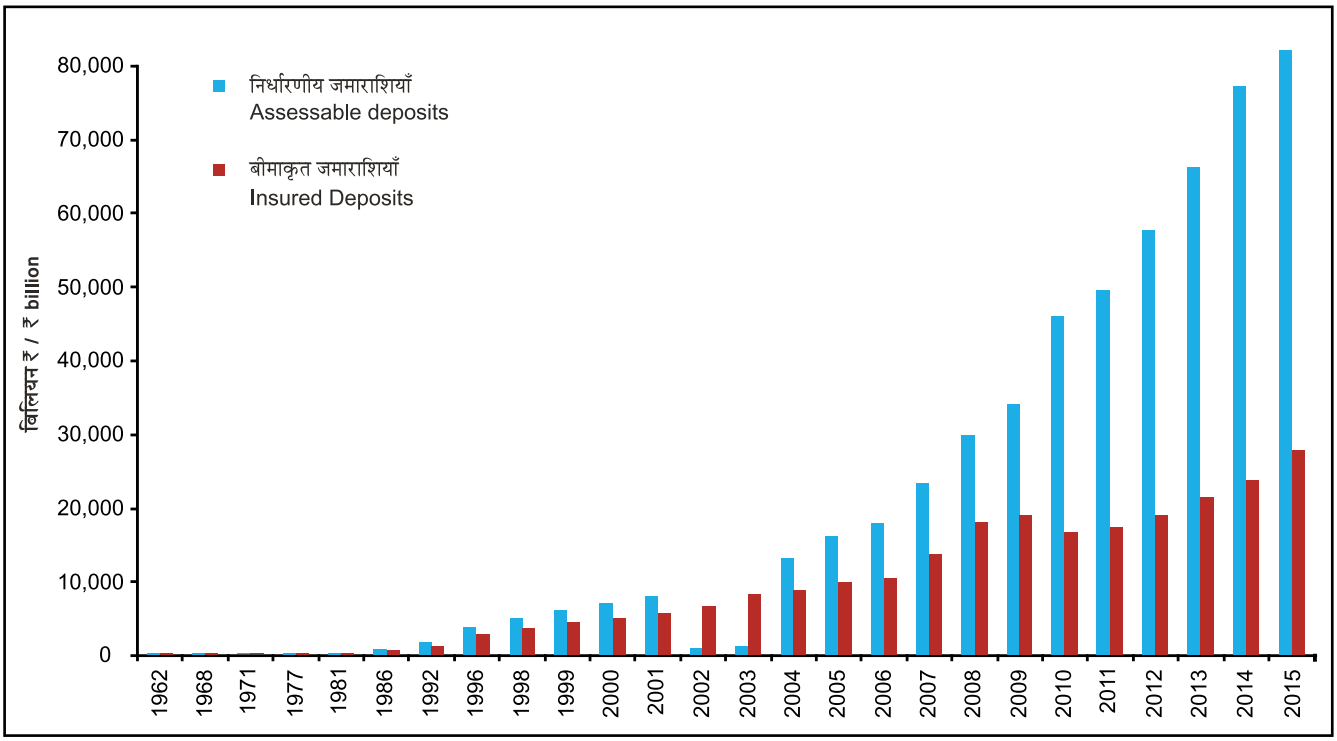

बीमाकृत बैंकों की तुलना में जमाराशि के लिए बीमा कवरेज का विस्तार

(31 मार्च 2015 को)

EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS OF INSURED BANKS

(END MARCH 31, 2015)

खातों की कुल संख्या - 1,456 मिलियन

TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS

1,456 million

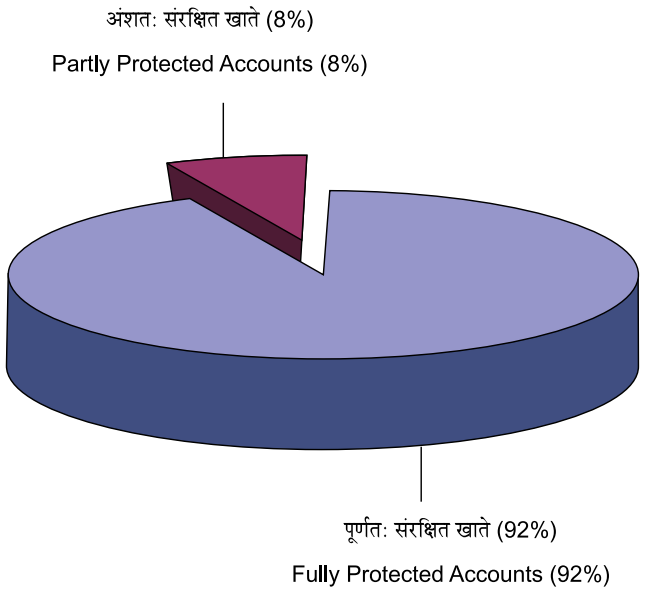

निर्धारणीय जमाराशियों की कुल राशि - ₹ 84,752 बिलियन

TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS -

₹ 84,752 billion

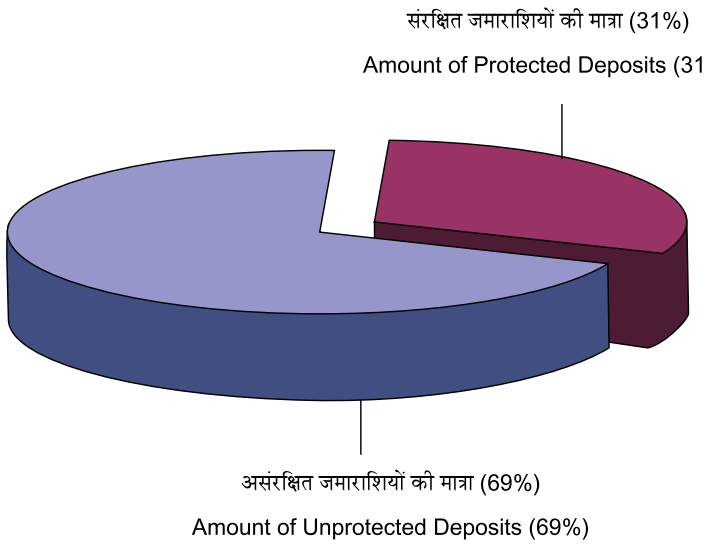

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

53rd Annual Report of the Board of Directors

Balance Sheet and Accounts

for the year ended

31st March 2015

Mission

To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors.

Vision

To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders.

Contents

		Page No.
1.	Letters of Transmittal	iv-v
2.	Board of Directors	vi
3.	Organisation Chart	vii
4.	Contact information of the Corporation.....	viii
5.	Principal officers of the Corporation	ix
6.	Abbreviations	x-xi
7.	Highlights	xii-xiv
8.	An Overview of DICGC	1-5
9.	Management Discussion and Analysis	6-13
10.	Directors' Report	14-24
11.	Annexes to Directors' Report	25-55
12.	Auditors' Report	57
13.	Balance Sheet and Accounts	58-71

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE RESERVE BANK OF INDIA)

DICGC/SD/1181 / 01.01.016 / 2015-16 June 25, 2015

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary
Secretary's Department
Reserve Bank of India
Central Office
Central Office Building
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2015

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2015 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2015.

2. Documents mentioned at (i) and (ii) have been furnished to the Government of India as required under Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

3. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

(M. Ramaiah)

Secretary

Encl: As above

निदेशक
Director

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE RESERVE BANK OF INDIA)

DICGC / SD /1182 / 01.01.016 / 2015-16 June 25, 2015

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2015

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of :

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2015 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2015.

Three extra copies thereof are also sent herewith.

2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (i.e., Balance-sheets, Accounts and Report on the Working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz., the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act ibid. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

M. Ramaiah

(M. Ramaiah)
Secretary

Encl: as above

Board of Directors

CHAIRMAN

Shri R. Gandhi **Deputy Governor, Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 21.11.2014)

DIRECTORS

Shri Jasbir Singh **Executive Director, Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 21.09.2012)
Dr. Shashank Saksena **Adviser** **Ministry of Finance** **Department of Financial Services** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.06.2008)
Dr. Harsh Kumar Bhanwala **Chairman** **National Bank for Agriculture and Rural Development**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.06.2014)
Shri R. Ramachandran	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 19.09.2014)
Shri H. N. Prasad	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 07.01.2015)

ORGANISATION CHART

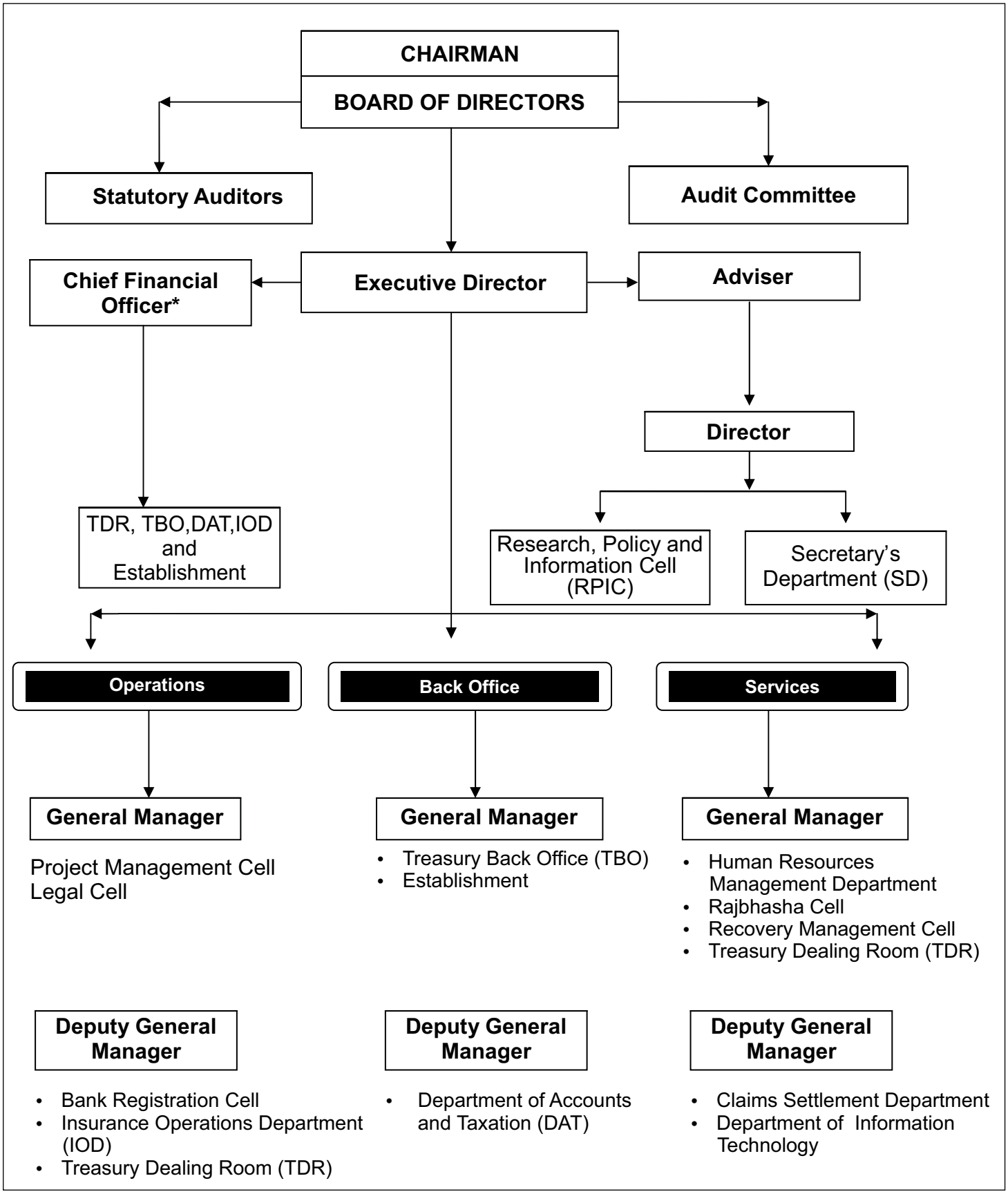

*With effect from May 30, 2014.

CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION

Fax No. **022 - 2301 5662**

022 - 2301 8165

Tel. Nos.

022-2308 4121	General
022-2306 2161	Premium
022-23021143	Claims
022-23062163	RMC
022-2301 9792	RTI
022-2301 9570	Customer Care Cell

HEAD OFFICE

Deposit Insurance and
Credit Guarantee Corporation

Reserve Bank of India,
2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008.
INDIA

(i)	Executive Director	022-2301 9460
(ii)	Adviser	022-2302 1624
(iii)	Chief Financial Officer	022-2301 9603
(iv)	General Manager	022-2301 9645
(v)	General Manager	022-2301 8840
(vi)	General Manager	022-2301 9570
(vii)	Deputy General Manager	022-2302 1150
(viii)	Deputy General Manager	022-2302 1146
(ix)	Deputy General Manager	022-2302 1149
(x)	Director	022-2301 9792

Email : dicgc@rbi.org.in
Website : www.dicgc.org.in

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Jasbir Singh

ADVISER

Smt. Jaya Mohanty

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Shri Sonjoy Sethee*

GENERAL MANAGERS

Smt. Molina Chowdhury
Shri B. K. Panda
Shri Dwijaraj Sethi

SECRETARY & DIRECTOR

Shri M. Ramaiah

DEPUTY GENERAL MANAGERS

Shri M. Krupanandam
Smt Rita Sarkar Moria
Kum Latha Radhakrishnan

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Shri M. Ramaiah

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

TAX CONSULTANTS

Sarda & Pareek
Chartered Accountants
Mahavir Apartments
3rd Floor, 598,
M. G. Road,
Near Suncity Cinema,
Vile Parle (East)
Mumbai - 400 057

SERVICE TAX CONSULTANTS

Shri. S.S.Gupta
Chartered Accountant
1009-1015, 10th floor,
Topiwala Centre,
Topiwala Theatre Compound,
Near Railway Station,
Goregaon (West),
Mumbai 400 104.

AUDITORS

M/s. Ray & Ray
Chartered Accountants
305, Eastern Court
'C' Wing, Tejpal Road
Vile Parle (East)
Mumbai 400 057

ACTUARIES

M/s. K. A. Pandit
Consultants & Actuaries
2nd Floor,
Churchgate House,
Veer Nariman Road,
Fort, Mumbai - 400 001

* With effect from May 30, 2014

ABBREVIATIONS

APRC	:	Asia Pacific Regional Committee
AS	:	Accounting Standards
BoE	:	Bank of England
B. R.Act	:	Banking Regulation Act
CA	:	Chartered Accountant
CESTAT	:	Customs Excise and Service Tax AppellateTribunal
CGCI	:	Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
CGF	:	Credit GuaranteeFund
CGO	:	Credit Guarantee Organisation
CSAA	:	Control Self-Assessment Audit
DCCBs	:	District Central Co-operative Banks
DEAF	:	Depositor Education and Awareness Fund
DIC	:	Deposit Insurance Corporation
DICGC	:	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DIF	:	Deposit Insurance Fund
EOI	:	Expression of Interest
EU	:	European Union
FDIC	:	Federal Deposit Insurance Corporation
FIMMDA	:	Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
FRA	:	Financial Resolution Authority
FSB	:	Financial Stability Board
FSDC	:	Financial Stability and Development Council
FSLRC	:	Financial Sector Legislative Reforms Commission
GF	:	General Fund
GoI	:	Government of India
IADI	:	International Association of Deposit Insurers
ICAI	:	Institute of Chartered Accountants of India
IFR	:	Investment Fluctuation Reserve
IR	:	Investment Reserve
IT	:	Information Technology
LABs	:	Local Area Banks
LTU	:	Large Taxpayer Unit
NEFT	:	National Electronic Fund Transfer
PCA	:	Prompt Corrective Action

RBI	:	Reserve Bank of India
RBIA	:	Risk Based Internal Audit
RC		Resolution Corporation
RCS	:	Registrar of Cooperative Societies
RFP	:	Request for Proposal
RR	:	Reserve Ratio
RRBs	:	Regional Rural Banks
SC	:	Scheduled Castes
SLGS	:	Small Loans Guarantee Scheme
SL-(SSI)-GS	:	Small Loans (Small Scale Industries) GuaranteeScheme
ST	:	ScheduledTribes
StCBs	:	State Co-operative Banks
TAFCUB	:	Task Force on Cooperative Urban Banks
UCBs	:	Urban Cooperative Banks
UTs	:	UnionTerritories

HIGHLIGHTS - I : DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(₹ in billion)

At year-end $	1962	1972	1982	1992-93	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1 CAPITAL*		0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 DEPOSIT INSURANCE																							
(i) Deposit Insurance Fund**	0.01	0.25	1.54	3.12	2.99	20.22	31.07	33.10	37.06	42.50	55.14	59.08	78.18	91.03	109.79	133.62	161.55	201.52	247.04	300.93	361.20	406.18	504.53
(ii) Insured Banks (Nos.)	276	476	1683	1931	2296	2438	2583	2676	2728	2715	2629	2595	2547	2531	2392	2356	2307	2249	2217	2199	2167	2145	2129
(iii) Assessable Deposits @	18.95	74.58	423.60	2443.75	4506.74	4923.80	6099.62	7040.68	8062.60	9687.52	12131.63	13182.68	16198.15	17909.19	23443.51	29847.99	33985.65	45879.67	49524.27	57674.00	66210.60	76166.40	84751.54
(iv) Insured Deposits @	4.48	46.56	317.74	1645.27	3376.71	3705.31	4396.09	4985.58	5724.34	6740.51	8288.85	8709.40	9913.65	10529.88	13725.97	18050.81	19089.51	16823.97	17358.00	19043.00	21583.65	23791.52	26067.96
(v) Total number of Accounts (in million)	7.7	34.1	159.8	354.3	435.1	410.9	464.2	441.7	446.2	481.7	600.2	544.0	649.5	537.3	716.9	1038.9	1348.9	1423.9	1051.6	1073.0	1481.75	1370.13	1456.36
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in million)	6.0	32.8	158.1	339.5	427.3	371.3	454.4	430.2	432.5	464.5	578.2	518.9	619.5	505.5	682.9	961.7	1204.0	1266.9	976.9	996.0	1393.08	1267.17	1345.09
(vii) Claims paid since inception	–	0.01	0.03	1.78	1.94	1.96	2.09	2.25	2.62	6.77	8.63	10.44	14.85	20.50	25.94	27.55	29.84	36.38	40.17	43.05	45.05	46.08	49.29

* Under General Fund of the Corporation.

** Consists of actuarial fund and fund surplus.

@ Data since 2009-10 are as per new reporting format.
$ As at end March from 1992 - 93 onwards.

HIGHLIGHTS - II : CREDIT GUARANTEE AT A GLANCE

(₹ in billion)

At year-end $	1962	1972	1982	1992-93	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
CREDIT GUARANTEE																								
(i) Credit Guarantee Fund*	–	–	0.89	9.07	17.75	29.26	6.79	7.58	11.88	11.33	12.62	13.93	15.11	2.50	3.45	3.49	3.67	3.85	2.98	3.10	3.00	3.25	3.53	3.86
(ii) Guaranteed Advances																								
a) Small Borrowers	–	2.08	48.40	263.48	172.61	39.39	32.41	2.78	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
b) Small Scale Industries	–	–	38.22	155.03	112.71	33.76	28.13	0.39	0.05	0.01	0.01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(iii) Claims Received (for the year)																								
a) Small Borrowers	–	–	0.25	8.83	18.41	18.42	1.84	2.18	2.19	0.22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Small Scale Industries	–	–	0.30	2.60	5.24	2.70	1.20	0.34	0.26	0.14	0.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) Claims Disposed off (for the year)																								
a) Small Borrowers	–	–	0.15	5.66	10.31	4.03	4.01	11.88	11.95	1.71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Small Scale Industries	–	–	0.27	2.43	3.08	2.91	2.21	2.25	1.39	0.54	0.05	0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Includes both actuarial and fund surplus.
$ As at end March from 1992 - 93 onwards..

NA : Not applicable since no credit institution is participating under the schemes.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS - III : DEPOSIT INSURANCE

(₹ in billion)

PARTICULARS	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
REVENUE STATEMENTS						
Premium Income	82.29	73.12	57.18	56.40	48.44	41.55
Investment Income	40.32	33.90	27.68	23.53	18.01	15.13
Net Claims	(0.34)	(0.93)	4.20	3.57	1.71	4.07
Revenue Surplus Before Tax	146.89	91.52	86.27	60.01	61.45	37.53
Revenue Surplus After Tax	96.96	60.72	58.27	40.54	41.32	28.93
BALANCE SHEET						
Fund Balance (Actuarial)	52.07	50.68	52.65	47.68	37.74	32.75
Fund Surplus	452.46	355.49	308.55	253.25	209.30	168.77
Outstanding Liability for Claims	3.14	3.92	9.05	6.89	6.03	7.64
PERFORMANCE METRICS						
1. Average No. of days between receipt of a claim and claim settlement@	25	15	27	52	49	54
2. Average No. of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims)@	4,856	678	410	533	388	361
3. Operating Costs as percentage of total premium income	0.24	0.22	0.25	0.27	0.35	0.26
(of which: Employee cost as percentage of total premium income)	(0.12)	(0.12)	(0.13)	(0.14)	(0.15)	(0.14)

@ Actual number of average days has been arrived at by weighting the number of days with the corresponding sanctioned amount involved.

AN OVERVIEW OF DICGC

(1) INTRODUCTION

The functions of the DICGC are governed by the provisions of "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961" (DICGC Act) and "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961" framed by the Reserve Bank in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 50 of the said Act. As no credit institution is participating in any of the credit guarantee schemes administered by the Corporation, presently it is not operating any of the schemes and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

(2) HISTORY

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949, but was held in abeyance till the Reserve Bank set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Serious thought to insuring deposits was, however, given by the Reserve Bank and the Central Government after the failure of the Palai Central Bank Ltd., and the Laxmi Bank Ltd., in 1960. The Deposit Insurance Corporation (DIC) Bill was introduced in Parliament on August 21, 1961. After it was passed by Parliament, the Bill got the assent of the President on December 7, 1961 and the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all functioning commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.

With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was extended to co-operative banks also and the Corporation was required to register "eligible co-operative banks" as insured banks under the provisions of Section 13 A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with the Reserve Bank, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, as an agent of the Central Government, under Section 17 (11 A)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organisation (CGO) for guaranteeing the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank also promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by the RBI.

With a view to integrating the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organisations, *viz.,* the DIC and the CGCI, were merged and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was thoroughly amended and it was renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee scheme.

With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances.

(3) INSTITUTIONAL COVERAGE

(i) All **commercial banks** including the branches of foreign banks functioning in India, Local Area Banks (LABs) and Regional Rural Banks (RRBs) are covered under the Deposit Insurance Scheme.

(ii) All eligible **co-operative banks** as defined in Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under the Deposit Insurance Scheme. All State, Central and Primary co-operative banks functioning in the States/Union Territories (UTs), which have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act, 1961, empowering Reserve Bank to order the Registrar of Co-operative Societies of the respective States/UTs to wind up a co-operative bank or to supersede its committee of management and requiring the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the Reserve Bank, are treated as eligible co-operative banks. At present all co-operative banks are covered under the Scheme. UTs of Lakshadweep and Dadra & Nagar Haveli do not have any co-operative Bank.

(4) REGISTRATION OF BANKS

(i) In terms of Section 11 of the DICGC Act, 1961, all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by the Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. All Regional Rural Banks are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment, in terms of Section 11A of the DICGC Act, 1961.

(ii) A new eligible co-operative bank is required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by the Reserve Bank.

(iii) When the owned funds of a primary co-operative credit society reach the level of ₹1 lakh, it has to apply to the Reserve Bank for a licence to carry on banking business as a primary co-operative bank and is to be registered with the Corporation within 3 months from the date of its application for licence.

(iv) A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a co-operative bank will not be registered, if it has been informed by the Reserve Bank, in writing, that a licence cannot be granted to it.

In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation in writing to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, *viz.*, the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, the returns to be furnished to the Corporation, *etc*.

(5) INSURANCE COVERAGE

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was

originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits held by him in "the same capacity and in the same right" at all the branches of a bank taken together. However, the Act also empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time as follows:

Effective from	Insurance Limit ₹
May 1, 1993	1,00,000/-
July 1, 1980	30,000/-
January 1, 1976	20,000/-
April 1, 1970	10,000/-
January 1, 1968	5000/-

(6) TYPES OF DEPOSITS COVERED

The Corporation insures all bank deposits, such as savings, fixed, current, recurring, *etc*. except the (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central/ State Governments; (iii) deposits of State Land Development Banks with the State co-operative banks; (iv) inter-bank deposits; (v) deposits received outside India, and (vi) deposit specifically exempted by the Corporation with the previous approval of the Reserve Bank.

(7) INSURANCE PREMIUM

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system. The premia to be paid by the insured banks are computed on the basis of their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the beginning of each financial half year, based on their deposits as at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and is not passed on to the depositors. For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment.

PREMIUM RATES PER DEPOSIT OF ₹100

Date from	Premium (in ₹)
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) CANCELLATION OF REGISTRATION

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank may be cancelled if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; or its licence is cancelled or a licence is refused to it by the Reserve Bank; or it is wound up either voluntarily or compulsorily; or it ceases to be a banking company or a co-operative bank within the meaning of Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; or it has transferred all its deposit liabilities to any other institution; or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration also gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

(9) SUPERVISION AND INSPECTION OF INSURED BANKS

The Corporation is empowered to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. On Corporation's

request, the Reserve Bank is required to undertake / cause the inspection / investigation of an insured bank.

(10) SETTLEMENT OF CLAIMS

(i) In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled to payment of an amount equal to the deposits held by him at all the branches of that bank put together in the same capacity and in the same right, standing as on the date of cancellation of registration (*i.e.,* the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, the payment to each depositor is subject to the limit of the insurance coverage fixed from time to time.

(ii) When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by a competent authority, and the scheme does not entitle the depositors to get credit for the full amount of the deposits on the date on which the scheme comes into force, the Corporation pays the difference between the full amount of deposit and the amount actually received by the depositor under the scheme or the limit of insurance cover in force at the time, whichever is less. In these cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the same capacity and in the same right at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any, [Section 16(2) and (3) of the DICGC Act].

(iii) Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Typical claim settlement process in Chart I).

(iv) In the case of a bank/s under scheme of amalgamation/reconstruction, *etc.* sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted by the chief executive officer of the concerned transferee bank or insured bank, as the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation/reconstruction, *etc.* comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].

(v) The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the Corporation and complete / correct in all respects. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants which conducts on-site verification.

(vi) The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount to the liquidator/ chief executive officer of the transferee/ insured bank for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are held back till such time as the Liquidator/Chief Executive Officer is in a position to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

(11) RECOVERY OF SETTLED CLAIMS

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, as the case may be, is required to repay to the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after making provision for the expenses incurred.

(12) FUNDS, ACCOUNTS AND TAXATION

The Corporation maintains three distinct Funds, *viz.*, (i) Deposit Insurance Fund (DIF); (ii)

Chart 1: Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

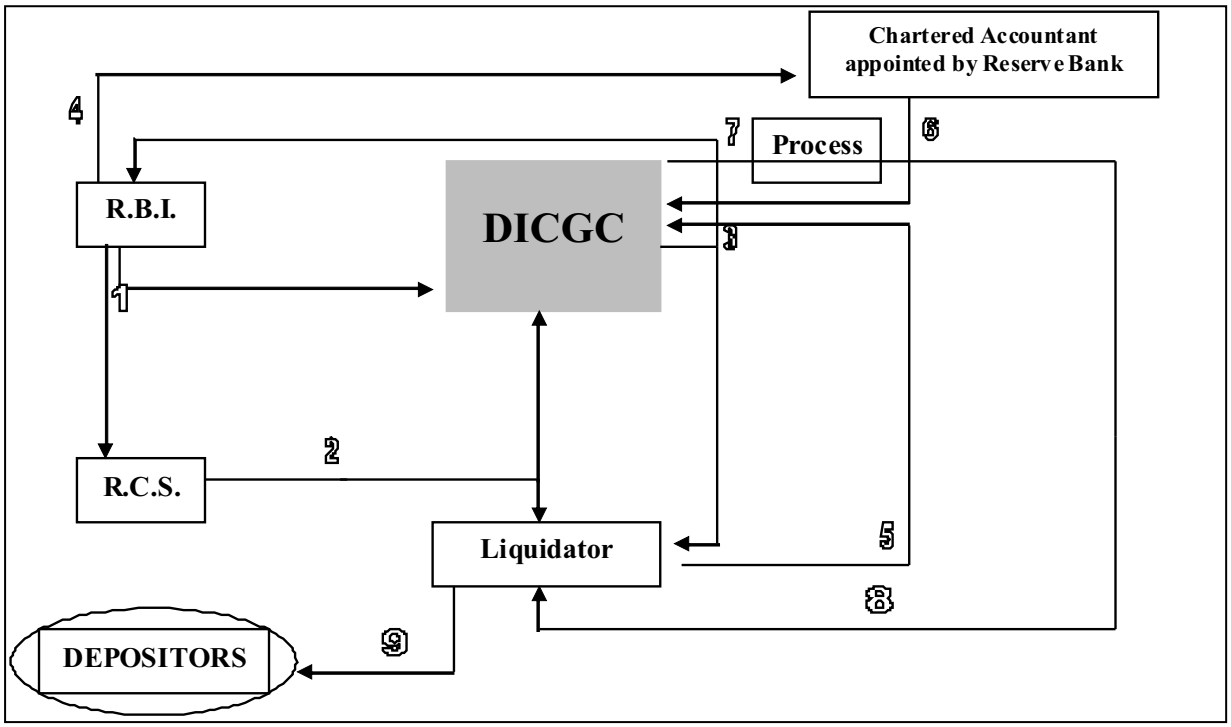

1. The Reserve Bank cancels the licence/rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Society (RCS) with endorsement to the DICGC.
2. The RCS appoints a Liquidator for the liquidated bank with endorsement to the DICGC.
3. The DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines for submission of the claim list by the liquidator within 3 months and requests Reserve Bank to appoint an external auditor [Chartered Accountant (C.A.)] for on-site verification of the list.
4. The Reserve Bank appoints C.A. and the DICGC conducts briefing and orientation session for C.A. to check the claim list.
5. The Liquidator submits the claim list for payment to the depositors (both hard and soft forms).
6. The external auditors (C.As.) submit their report on the aspects of the claim list.
7. The claim list is computer-processed and payment list is generated.
8. Consolidated payment is released to the Liquidator and further information sought on incomplete/doubtful claims. The release of claims is announced through the website of the Corporation.
9. The liquidator releases the payment to the depositors.

Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two Funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees respectively and are applied for settlement of the respective claims. The authorised capital of the Corporation is ₹500 million which is entirely subscribed to by the Reserve Bank. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Inter-Fund transfer is permissible under the Act.

The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the previous approval of Reserve Bank. The audited accounts together with Auditor's report and a report on the working of the Corporation are required to be submitted to Reserve Bank within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament. The Corporation follows mercantile system of accounting and it has been adopting the system of actuarial valuations of its liabilities from the year 1987 onwards.

The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88. The Corporation is assessed to Income Tax as a 'company' as defined under the Income Tax Act, 1961. Moreover, the Corporation has obtained service tax registration and has started paying service tax on premium income accrued as on October 1, 2011.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

OPERATING A DEPOSIT INSURANCE SYSTEM - MORAL HAZARD, DIFFERENTIAL PREMIUM SYSTEM AND FUNDING

INTRODUCTION

Banks serve as financial intermediaries by accepting deposits from the public for the purpose of lending funds to the borrowers. They help the savers to transfer their surplus income into the future and enable the borrowers to access their future earnings now. These savers and borrowers, through the medium of banking system, constitute the real sector economic agents and hence play a key role in the functioning, development and growth of an economy. However, the borrowers can also be a source of risk to the lender bank, due to their incapacity or absence of will to pay back the loans. This risk can transmit to the savers too. An elaborate system of regulation and supervision of banking system has evolved over time to steer and monitor the activities of banking system and minimise the risk to manageable levels. The regulation and supervision act as a first line of defense against the risk to depositors. In the context of containing the risk to the savers, particularly the small ones, the regulation and the supervision are supplemented by the Deposit Insurance Systems (DISs) in a majority of the jurisdictions; these together constitute important components of a financial system safety net.

DEPOSIT INSURANCE AND MORAL HAZARD

1. Deposit Insurance, primarily, is an insurance product. As typical of any insurance product, deposit insurance is also a source of moral hazard. According to research by Dembe and Boden, the term 'moral hazard' dates back to the 17th century and was widely used by English insurance companies by the late 19th century. Moral Hazard is a situation in which one party gets involved in a risky event knowing that it is protected against the risk as the other party will incur the cost. Paul Krugman described moral hazard as "any situation in which one person makes the decision about how much risk to take, while someone else bears the cost if things go badly." In the context of deposit insurance, moral hazard describes the existence of a situation in which insured banks have incentive to accept more risks, while the depositors loosen their monitoring of risk in the banks they hold the deposits with – both believing that costs emanating from excess risk would be borne by DIS or even by the exchequer believing that the depository institution will not normally be allowed to fail.

2. Despite these issues, there is merit in providing deposit insurance since it instills among depositors, a sense of confidence in the banking system, helps banking system to carry out its intermediation function and thus contributes to financial stability and prosperity. As per an International Monetary Fund (IMF) Paper on Deposit Insurance Database (2014), out of 190 nations catalogued, 112 had explicit deposit insurance systems as on December 31, 2013; with 14 countries introducing the explicit deposit insurance since 2008. Thus more and more jurisdictions continue to set up deposit insurance systems, China being among the latest entrants.

3. Therefore, recognizing the significance of deposit insurance, what is important is to deal with the problem of moral hazard. A good body of work on moral hazard issue has been done at the International Association of Deposit Insurers (IADI) since its inception in 2002. In the paper titled "Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems; Mitigating Moral Hazard" (2013), the IADI remarked that observing market discipline by depositors in monitoring the activities of depository institutions, is a good tool for mitigating moral hazard and it would come mostly from large depositors as small depositors would not have the required sophistication nor access to the market information to gauge risks in the depository institutions. The IADI therefore identified regulatory discipline and prudential supervision, as important

supplements to the observance of market discipline by depositors. The IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (2014) indicates that a well-designed safety net contributes to stability of financial system; however, if poorly designed, may increase risks, notably moral hazard. The deposit insurance design therefore should influence the behavior of shareholder, bank managements, and depositors so as to wean them away from the impact of moral hazard. The Core Principles *ibid* recommend that the key design features aimed at limiting moral hazard should provide (a) a limited coverage level and scope of deposit insurance (cover for a large majority of depositors but leave a substantial amount of deposits exposed to market discipline), (b) differential premiums (linked to the risk profile of insured bank), and (c) timely intervention and resolution of a troubled bank by the deposit insurer and other safety net participants viz. supervisors and regulators. The financial system safety net too should support appropriate incentives to mitigate moral hazards through several mechanisms like (a) promotion of good corporate governance, (b) sound risk management at individual banks, (c) holding parties at fault responsible for losses, (d) effective market discipline, (e) strong prudential regulation and supervision, and (f) resolution and related laws and regulations.

MANAGING MORAL HAZARD THE DIFFERENTIAL-PREMIUM WAY

4. In practice, deposit insurers collecting premiums from member financial institutions choose between adopting a flat-rate premium or a system that seeks to differentiate premiums on the basis of individual bank's risk profiles. Although flat-rate premium systems have the advantage of being relatively easy to understand and administer, they do not take into account the level of risk that a bank poses to the deposit insurance system and can be perceived as unfair in that the same premium rate is charged to all banks regardless of their risk profile (IADI 2011). In the context of moral hazard, adoption of Differential Premium System (DPS) has come to be recognised as an important mitigant. A premium system based on the risk profile of a bank can enforce market discipline and provide an incentive to the high risk bank to improve its risk profile and thus upgrade to a lower premium paying category.

5. Keeping in view the relative advantages of risk-based premium, a number of countries adopted risk based premium in their jurisdictions in lieu of flat premium, beginning with the US in 1993. Currently twenty-six countries are estimated to have adopted risk based premium. However, there are challenges in developing risk-based premium in terms of devising an appropriate method of pricing of deposit insurance, unlike the flat rate premium, which is relatively easier to enforce and administer.

Measurement of Risk Based Premium

6. The literature on pricing of deposit insurance identifies broadly two different approaches for determining risk-based premium, viz., the option pricing model and the expected loss pricing method. The option pricing theory is used to estimate the probability of default by a company. The expected loss pricing approach is centred on the expected default probability of a bank, which can be estimated using either fundamentals, rating or market analysis. The key aspect to deposit insurance pricing method is to estimate the risk of the value of a bank's assets. In order to estimate the bank risk and to set the deposit insurance premiums, regulators in many jurisdictions use a combination of qualitative indicators along with CAMEL (Capital, Asset Quality, Management Quality, Earnings, and Liquidity) indicators.

Option Pricing Model

7. The principle of option pricing model of Black-Scholes (1973) was applied by Merton (1977) to estimate the probability of default by a company. The default process of a company is determined by the value of its assets and the risk of a default is an explicit function of the fluctuation in the value of firm's assets. Under option pricing approach deposit insurance is modelled as a put option on the bank's assets by linking the value of the deposit insurance contract and the value of the bank's assets. Merton used corporate debt as surrogate for

bank deposits and treated the deposit insurance as a third party guarantee on deposits, where there is no uncertainty about the obligation of the guarantee being met. Merton showed that the payoff structure to the bank of this guarantee was exactly the way it was of a put option on the value of the bank's assets with exercise price being equal to the bank's insured deposits.

8. In order to measure the costs of guarantor, Merton (1977) proposed a isomorphic correspondence between a put option and the deposit insurance guarantee, and then used Black-Scholes formula to discover the fair price of deposit insurance. The reason behind the isomorphic correspondence was that at the end of the period, if the bank is solvent, then the deposit insurance is worthless. But if the bank is insolvent, the insurer must infuse funds to meet the liabilities.

9. Many studies have been undertaken subsequent to the Merton's work to improve the measurement related aspects of pricing of risk of deposit insurance. An important application of Merton (1977) is to validate whether the deposit insurance premium is fairly assessed. Markus and Shaked (1984) pointed out that the deposit insurance charged in the US was excessive even after considering the administration costs of the FDIC. However, Ronn and Verma (1986) claimed that the deposit insurance was under-priced. The main reason was that the forbearance policy employed by the regulator is ignored in Markus and Shaked (1984). Pennacchi (1987) argues that the question as to deposit insurance being under or over charged depends on the level of insurer's degree of influence over the banking industry.

10. The most significant disadvantage of these option pricing models is the absence of market information for many credit institutions which makes the model difficult to implement in practice (Pilar Gomez-Fernandez-Aguado, 2014).

Expected Loss Pricing

11. "Expected Loss Pricing" is another approach of pricing deposit insurance. Credit risk modelling based on the expected default probability of a bank, can be estimated using fundamental or market analysis. In countries with well-developed capital markets, market based models are preferred over accounting based models of deposit insurance. The principle of expected loss pricing can be represented by the following formulation:

*Expected Loss: Expected default probability*Exposure*Loss given default.*

12. The expected loss represents the size of the loss to the deposit insurer as a percentage of insured deposits, and values the cost of deposit insurance. Therefore, to break even, the deposit insurer should set a premium per insured deposit equal to the expected loss price. Expected default probability is the expected probability that the bank will default on its debt and can be estimated based on historical default data, where available, using fundamental analysis, market analysis or rating analysis. Fundamental analysis relies on the use of CAMEL rating. Market analysis uses interest rates or yields on uninsured bank debt such as inter-bank deposits, sub-ordinated debt and debentures. Rating analysis indicates the use of credit rating of rating agencies. Historical data on bank defaults, for instance, in the US for the period 1934-2001 suggests an average default probability for US banks was 0.24.

13. Exposure is the liabilities that are to be covered in case of bank failure. The exposure equals the amount of insured deposits for a deposit insurer. Loss given default measures the size of loss to the deposit insurer as a percentage of the total defaulted exposure. The loss given default is arrived at by netting the present value of assets recovered from bank resolution from that insured liabilities. Therefore, the higher the recovery rate on failed assets, the lower the loss given default. The historical average loss rate in the United States was estimated to be 25 percent of bank assets. The recovery rate of bank assets would be smaller in jurisdiction with less efficient and less speedy bank resolution. Although the three components to the expected loss pricing are equally important for

estimating expected loss of a bank to the deposit insurance fund, the emphasis is on estimating default probability, because other two are relatively easy to compute as the bank specific information is available on uninsured deposits and the historical losses incurred by the deposit insurance fund (Luc Laeven, 2008).

14. The main advantage of this methodology is that it can be adapted to fit country circumstances. Most of the countries, which use risk based premium follow some sort of expected loss pricing method in the determination of risk based premium.

15. Although the risk based premium is gaining primacy in the recent past, there are certain difficulties relating to the execution of an equitable system of risk-adjusted premiums such as: measuring bank risk, access to reliable and timely data, ensuring that rating criteria are transparent, and examining the potential destabilising effects of imposing high premiums on troubled banks. The most commonly used measures of bank risk include capital adequacy, CAMEL and supervisory rating. Only a few countries use complex methods for assessing risk. Against the backdrop of the description of broad approaches for pricing deposit insurance, the practice in select jurisdictions is presented in the following paragraphs.

Risk Based Premium - Cross-Country Practice

16. Beginning with the US in 1993, a number of countries have adopted risk based premium in their jurisdictions in lieu of flat premium. This has grown steadily, and is currently estimated to be in practice in twenty-six countries. The salient features of risk based premium system in select countries are presented in the following paragraphs. For the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), the premium rate was set by statute and could be changed only by action of the U.S. Congress. The premium rate was expressed as a percent of assessable deposits. Till 1993, it charged a flat-rate insurance premium from all insured banks. A surge in bank failures in the 1980s and early 1990s, raised the concerns and legislation was passed that required the FDIC to establish a system of risk-based premium. The FDIC implemented the differential premium system effective January 1, 1993; significant refinements to the risk-related premium system were implemented pursuant to financial reform legislation enacted in 2010.

17. Canada amended its Deposit Insurance Corporation (CDIC) Act in 1995 to replace CDIC's flat rate premium with a system, which would classify member institutions into different risk categories, in a large part reflecting the risks posed and charging varying premium rates based on these categories. The design, development and consultation process associated with CDIC's Differential Premium System underwent an elaborate process during a three-year period spanning 1996 to 1999. Premium rates set across the categories rise in geometric progression along the rating scale. Colombian Deposit Insurance Agency FOGAFIN charged a flat rate premium from all its member banks from inception to 1998. In the year 1998, FOGAFIN introduced an element of risk based component of premium, based on the ratings from the credit rating agencies, as mark up over the flat (base) premium rate. Presently, FOGAFIN has a hybrid premium scheme comprising of a flat rate premium and a variable premium component based on the risk profile of the member institution. Malaysia Deposit Insurance Corporation (MDIC) had adopted an *ex ante* funding approach where the premiums charged to the member institutions had been based on a flat-rate premium system since the introduction of the deposit insurance system in September 2005. Under this system, the annual premium rate of 0.06% was applied to all members. Malaysia switched over to the DPS in 2008 by replacing the flat-rate system. However Malaysia has revisited and reviewed its premium system in 2011 and recently in 2015 and has improved it further. MDIC uses a combination of quantitative and qualitative inputs in scoring individual banks. The Central Deposit Insurance Corporation of Taiwan followed a flat rate premium system from 1985 to mid-1999 when it switched over to risk based premium in July 1999. Under the Risk-based Premium System, premium rate for an individual insured institution is set based on each insured institution's risk level.

INDIA

18. In India, there have been periodic recommendations for the application of risk-based premium for banks. The Narasimham Committee Report on the Banking Sector Reforms (1998), while focusing on structural issues recommended introduction of a risk-based premium system in lieu of the flat rate premium system. This view was reiterated by the Capoor Committee on Reforms in Deposit Insurance in India (RBI,1999). The Committee on Credit Risk Model (2006) constituted by DICGC also recommended the introduction of risk-based premium, to begin with for SCBs and UCBs. Notwithstanding the recommendations of various committees in the past, the implementation of risk-based premium could not be operationalised, inter alia, due to co-operative and regional rural banks (forming over 90 per cent of insured banks) being under restructuring until recently, lack of robust supervisory rating for all insured banks especially co-operative banks which serves as an important input for rating model. However, there has been a persistent demand from stakeholders and public representatives for a hike in the deposit insurance cover from the current level of Rs.0.1 million. A hike in cover without calibrating premium rates to the risk profiles of insured banks only exacerbates the risks of an inherent moral hazard. Recognising this, it has been felt that introduction of RBP may be taken up for considering to facilitate the examination of raising the insurance cover from the present ceiling of Rs. 0.1 million. Keeping this in view, a Committee on Differential Premium for Banks (Chairman, Shri Jasbir Singh) was constituted in March 2015 to make recommendations for the introduction of risk-based premium in India.

FUNDING FOR DEPOSIT INSURANCE

19. There are three financing modes available to a deposit insurance system. These are *ex ante, ex post* and hybrid. Under *ex ante*, the required money is collected in advance to face the bank failures. The sources of funds are premiums collected from member institutions and the returns earned by investing these funds. Besides, pre-determined mechanisms for funding under contingencies also form part of *ex ante* mode. Under *ex post* mode, banks contribute the required money after the occurrence of the bank failure(s). Hybrid mode combines both *ex ante* and *ex post* methods.

20. A comparative analysis of *ex ante* and *ex post* modes weighs in favour of the former, i.e., *ex ante*. First, *ex ante* mode enables adoption of differential premium system, thereby reducing the moral hazard, as the higher risk-taking is offset by higher premium. Second, under *ex ante*, all banks including those having the potential to fail, contribute through premium at prevailing rates on their assessable deposits. This reduces the cross-subsidisation and brings fairness to the system, because under *ex post*, the riskiest banks, which actually fail, never contribute to the fund. Third, *ex ante* reduces the pro-cyclicality of the funding system. The fund created in good times turns useful in crisis times and hence the deposit insurer does not require the mobilization of additional funds from member banks in an adverse financial scenario. Fourth, *ex-ante* funding has a showcase effect and instills confidence among the depositors that the DIA has war chest to lean on during the time a bank goes into problem. On the other side, *ex ante* mode involves an opportunity cost, as those resources could be used by banks for alternate productive, more efficient or higher return-giving purposes. However, the benefits from building insurance fund *ex-ante* far outweigh than those from instituting *ex post* method given the uncertainty of funding involved. This substantiates the case for the adoption of *ex ante* system by deposit insurance agencies.

21. A deposit insurance entity requires adequate funds, which are readily available, to perform the functions of protecting the depositors and maintaining financial stability. Inadequacy of funds and its non-availability leads to decline in confidence of depositors and also to the non-protection of their deposits. Core Principles *ibid* recommend that funding the deposit insurance system is the responsibility of the member banks. The deposit insurance fund should be sufficient to cover for

serious difficulties in banking sector but it is not expected to be large enough to cover systemic banking crisis. Sufficiency of deposit insurance fund should be taken in the context of a moving target. Movement in deposit liability requires the constant review of sufficiency of deposit insurance fund at appropriate intervals.

22. There are often concerns about the adequacy of deposit insurance fund held, as there have been instances when the fund had turned negative while discharging the insurance liabilities. IMF Working Paper *ibid* commented that many DISs appeared underfunded especially in countries with large financial systems. The inadequacy in funding was observed in availability of funds vis-à-vis the amount of coverage promised. The paper also commented that deposit insurance coverage increased sharply during the recent financial crisis and was subsequently reduced, but on average, the coverage levels have remained above pre-crisis levels. Higher coverage levels tell on the ability of the system to honor its commitments. Technically, the size of deposit insurance fund represents the DIA's probable portfolio loss and would normally be less than the insured liabilities (the DIA steps into the shoes of insured depositors after payment to them and gets subrogation rights on the estate of the failed bank to balance with the insurance liabilities discharged). However, the cash outgo by way of payment to depositors would be immediate while the recoveries would accrue over a period of time, leading to cash flow mismatches. To deal with this situation, the DIAs would need government backstop facilities to meet the emergency shortfall in readily available funds, for the success of deposit insurance system. The Core Principles *ibid* recommend that emergency funding arrangements including pre-arranged and assured sources of liquidity funding, should be explicitly set out or permitted in law or regulation. Source may include a funding agreement with the government, the central bank or the market borrowing. IMF observed in this respect that only 38% of jurisdictions had some sort of backstop facility from committed sources.

23. In this context therefore, the determination of the quantum of optimum target fund is important for a deposit insurer. Use of appropriate methodology for this purpose is imperative. A variety of methods have been used across the world by deposit insurers for determining the level of target fund. As per IADI survey (2011), of 33 institutions, 9 deposit insurers (Canada, Hong Kong, Indonesia, Nigeria, Russia, Philippines, USA, Singapore and Zimbabwe) use the probability of default (PD) of insured institution for calculating the expected losses of the deposit insurer and thus the target level of funds. Some others use statistical methods and external ratings for calculating PD and performed Monte Carlo simulations to decide target level. Indonesia uses internal ratings on basis of quantitative models and then a model is built up on transition matrices to calculate PD. Russia uses methods and models on basis of market prices of bonds issued by insured institutions.

24. The Corporation has not yet set up a Target for Reserve Fund in the form of Reserve Ratio. There are a good number of jurisdictions, which have set up Reserve Fund Targets for their deposit insurance operations, which vary from as low as 0.25% (Hongkong) to 5% (Argentina). Internationally, the work is still on for refining the process of determining the size of Target Fund. IADI has set up a Sub Group under its Research and Guidance Committee for developing a Guidance Note for the member banks on setting up Target Funds. As of now, the Corporation is informally moving towards a Reserve Ratio of 2.5%.

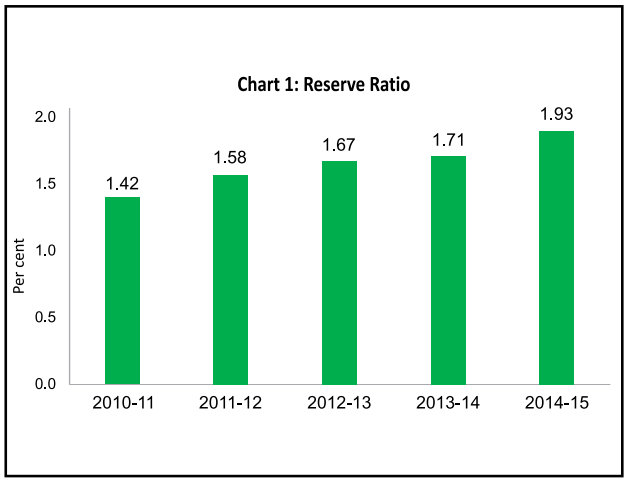

The Reserve ratio as on 31 March 2015 was 1.93%. The movement in the Reserve Ratio in past 5 years is depicted in Chart 1.

25. Going by the past record of failures, the fund maintained by DICGC appears adequate. But it is not clear that the fund will be able to meet claims arising from the putative failure of a couple of small or medium size commercial banks. As said earlier, no deposit insurer can maintain enough liquid funds to face a widespread financial crisis. In an extraordinary situation of systemic failure of banks, it is imperative that the deposit insurer is armed with unlimited and quick access to funds from the central bank and/or the government so that financial stability is not jeopardized. As we all know, it was arrangements such as this that played a crucial role in containing panic among depositors during the 2008 crisis. As of now DICGC is entitled to just ₹ 50 million as a backstop facility from the Reserve Bank of India and therefore there is imperative need for augmenting this type support to the level of international standards.

CONCLUSION

26. The introduction of deposit insurance system in addition to distinct benefits, brings with it the moral hazard problem in the financial system. This is sought to be addressed through a set of measures including regulatory measures and the imposition of risk based premium on member institutions of deposit insurance agencies. The pertinent issue in instituting a risk-based differential premium system is the pricing of deposit insurance. There are broadly two approaches for pricing deposit insurance, viz. option pricing model and the expected loss pricing. The literature on option pricing model is largely confined to academic empirical work. Given the limitations and complexities involved in the measuring premium based on option pricing models, and also difficulties associated with the implementation; none of the countries which switched over to risk based premium have adopted this methodology. On the other hand, the expected loss pricing approach is relatively easy to understand and compute both from the point of view of simplicity and availability of data on different parameters. In practice countries use some form of expected loss pricing approach in the measurement of deposit insurance depending upon the country specific circumstances. Cross-country practices suggest that differential premium system is equitable and incentivizes the performance and sound risk management systems. However there is no uniform approach in the assessment of risk among countries. The risk rating process ranges from fairly simple like that of Colombia, Canada, and Malaysia to a complex one of US which has introduced a forward looking risk measure for large institutions. The funding of deposit insurance fund has become an important aspect in meeting the deposit insurance liabilities in case of default, without relying on the funding from the Government as Core Principles for Effective Deposit Insurance prescribe. In this context, some countries have also devised appropriate target funds for meeting the obligations of deposit insurance liabilities in case of default.

REFERENCES

Asli Demirgüç-Kunt, Edward Kane, and Luc Laeven (2014), Deposit Insurance Database, IMF Working Paper No.118

Cheng-Few Lee, Alice C.Lee and John Lee (2010) Ed. 'Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, Springer.

DICGC (2006), Report of the Committee on Credit Risk Model.

Dembe, A.E and Boden, L.I (2000), Moral Hazard: A Question of Morality?, New Solutions, Vol. 10 No.3.

European Commission (2008), Risk-Based Contribution in EU Deposit Guarantee Schemes: Current Practices, Joint Research Centre.

FSB (2012), Thematic Review on Deposit Insurance Systems, February.

Luc Laeven (2008), Pricing Deposit Insurance, In 'Deposit Insurance Around the World: Issues of Design and Implementation', Ed. Asli Demirguc-Kunt et al MIT Press, World Bank.

IADI (2009), Funding of Deposit Insurance Systems

- Guidance Paper, May

IADI (2011), Funding Mechanisms of Deposit Insurance Systems in the Asia-Pacific Region - Research Paper, July

IADI (2011), General Guidance for Developing Differential Premium Systems, October.

IADI (2011), Evaluation of Deposit Insurance Fund Sufficiency on the Basis of Risk Analysis, Discussion Paper.

IADI (2013), Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Deposit Insurance Coverage', March.

IADI (2014), IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance, November.

Marcus A.J and I. Shaked (1984), The Valuation of FDIC Deposit Insurance using Option Pricing Estimates, Journal of Money, Credit and Banking 16.

Merton, Robert (1977), An Analytical Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees. Journal of Banking and Finance.

Merton R.C (1978), On the Cost of Deposit Insurance when there are Surveillance Costs, Journal of Business 51.

Patricia A. McCoy (2007), The Moral Hazard Implications of Deposit Insurance: Theory and Evidence, IMF, February.

Paul Krugman (2009), The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008.

Pennacchi, G.G (1987), A Re-examination of the Over-or Under – Pricing of Deposit Insurance, Journal of Money, Credit and Banking 19.

Pilar Gomez-Fernandez-Aguado, Antonio Parta-Urena and Antonia Trujillio-Ponce (2014), Moving towards Risk Based Deposit Insurance in the European Union: the Case of Spain, Applied Economics, No.13.

Ronn, Ehud and Avinash Verma (1986), Pricing Risk-Adjusted Deposit Insurance: An Option-Based Model, Journal of Finance. 41.

Susanna Walter and Matthias Schaller (2012), 'An Alternative way of Calculating Pragmatic Risk-Based Premiums. In New Paradigms in Banking, Financial Markets and Regulation? Ed. Morten Balling, et al . SUERF.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

(Submitted in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

1.1 REGISTRATION / DE-REGISTRATION OF INSURED BANKS

The number of registered insured banks as on March 31, 2015 stood at 2,129 comprising 92 commercial banks, 56 regional rural banks (RRBs), 4 local area banks (LABs) and 1,977 co-operative banks. Year–wise particulars showing the number of registered banks since inception of the deposit insurance scheme in 1962 are furnished in ***Annex I*** and category-wise and state-wise particulars of co-operative banks are given in ***Annex II***. During the year 2014-15, 2 RRBs and 3 commercial banks were registered as insured banks and 4 RRBs and 17 co-operative banks were deregistered, the details of which are furnished in ***Annex III***.

1.2 EXTENSION OF DEPOSIT INSURANCE SCHEME

At present, the deposit insurance provided by the Corporation covers all commercial banks, including LABs and RRBs, and co-operative banks in all the States and Union Territories (UTs). However, UTs of Lakshadweep and Dadra Nagar Haveli do not have any co-operative bank.

1.3 INSURED DEPOSITS

The number of accounts and the amount of deposits insured by Corporation as also the extent of protection accorded to depositors at the end of 2014-15 and 2013-14 are furnished in Table 1.

The extent of protection accorded to depositors since the introduction of deposit insurance and bank group-wise break-up for last three years are furnished in ***Annex IV*** and ***V***, respectively. Extent of protection accorded to the depositors over the years is shown in Chart 1. The current level of insurance cover at ₹100,000 works out to 1.2 times per capita income as on March 31, 2015.

1.4 DEPOSIT INURANCE PREMIUM

The Bank category wise break up of premium (including interest on overdue premium) collected from insured banks during 2014-15 and 2013-14 is presented in Table 2. Premium received (excluding service tax) from banks increased by 12.5 per cent during the year.

Table 1: Insured Deposits*

Particulars		As at the end of	
		2014-15	2013-14
1	Total No. of Accounts (in million)	1,456.36	1,370.13
2	Fully Protected Accounts (in million)	1,345.09	1,267.17
3	Percentage of 2 to 1	92.3	92.4
4	Assessable Deposits (₹ in billion)	84,751.54	76,166.40
5	Insured Deposits (₹in billion)	26,067.94	23,791.52
6	Percentage of 5 to 4	30.8	31.2

*Based on returns as on last working day of September 2013 & September 2014 for the years 2013-14 and 2014-15 respectively.

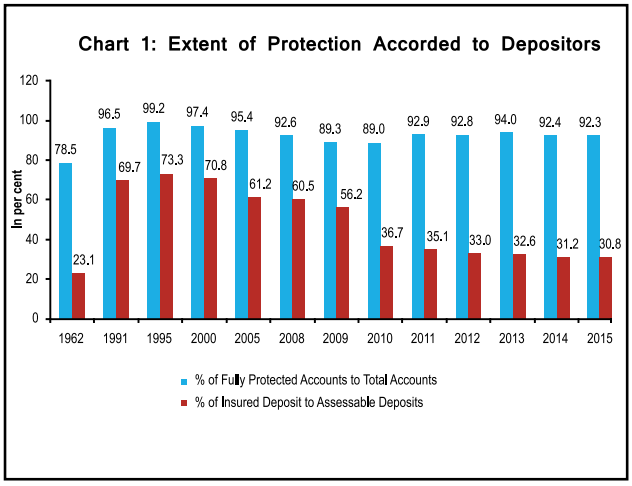

Table 2: Premium Received

₹ million

Year	Commercial Banks including LABs & RRBs	Co-operative Banks	Total
2014-15	76,469	5,817	82,286
2013-14	68,025	5,103	73,128

1.4.1 PENAL INTEREST ON DELAYED PREMIUM

In terms of Section 15(3) of DICGC Act,1961, if any insured bank makes default in payment of any amount of premium, it shall for the period of such default, be liable to pay to the Corporation interest on such amount at such rate not exceeding eight per cent over and above the Bank Rate, as may be prescribed. Further, in terms of Section 20 of the DICGC General Regulations, 1961, the rate of interest is fixed at 8 per cent above the Bank Rate. During the year 2014-15, the Bank Rate was revised two times. Accordingly, the penal rate of interest was also revised two times during the year under review. The movement of Bank rate and penal rate of interest during the period under review is furnished in Table 3.

Table 3: Movement in the Bank Rate and Penal Rate of Interest

From	To	Bank Rate (%)	Penal Interest Rate (%)	Interest Rate payable by Defaulting Banks (%)
01.04.2014	14.01.2015	9.00	8	17.00
15.01.2015	03.03.2015	8.75	8	16.75
04.03.2015	31.03.2015	8.50	8	16.50

1.5 DEPOSIT INSURANCE FUND

The Deposit Insurance Fund (DIF) is sourced out of the premium paid by the insured banks and the coupon income received from (and reinvested in) the Central Government securities. There is also an inflow of small amounts into this fund out of the recoveries made by the liquidators / administrators / transferee banks. Thus, the Corporation builds up its DIF through transfer of excess of income over expenditure, mainly consisting of payments made in respect of insured depositors each year. This fund is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation / reconstruction / amalgamation, etc. The size of DIF stood at ₹504.5 billion including a surplus of ₹452.4 billion as on March 31, 2015 (up from ₹406.2 billion as on March 31, 2014) yielding a Reserve Ratio (RR) (ratio of Deposit Insurance Fund to Insured Deposits) of 1.9 per cent. The position of DIF and RR since 2000-01 is furnished in Chart 2.

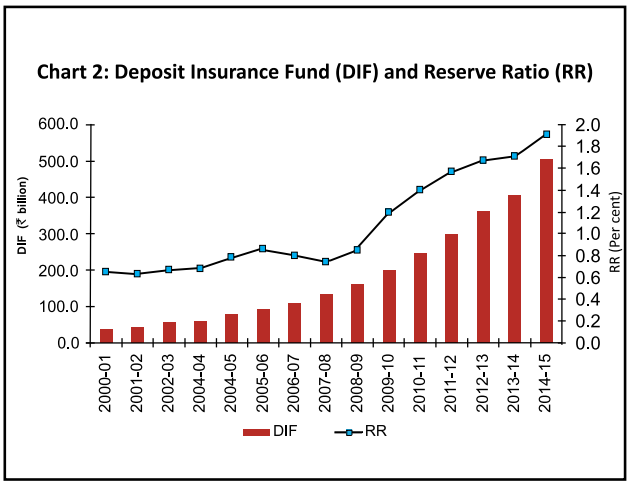

1.6 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

During the year 2014-15, the Corporation settled aggregate claims for ₹3,213 million in respect of 30 co-operative banks (5 original claims and 36 supplementary claims) as detailed in ***Annexure VI.*** There was no claim from commercial banks.

State-wise number of failed banks along with the amount of claims settled for the year 2014-15 is furnished in Chart 3. Majority of the claims were for banks in Gujarat and Maharashtra.

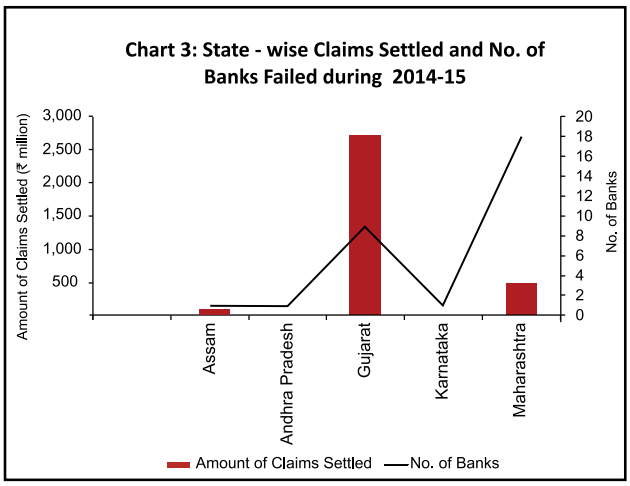

A provision of ₹ 4,523 million was held towards the estimated claim liability in respect of depositors of 201 banks which are under amalgamation/ liquidation and whose licence / application for licence to carry on banking business has been cancelled/rejected by Reserve Bank of India. In addition to the above, the Corporation was holding a provision of ₹ 1,824 million for the claims admitted but remain unclaimed by the depositors concerned.

The total number of pending claims as on March 31, 2015 (where the banks have been de-registered but the claim lists have not been submitted to the Corporation) is 22. The number of pending claims as on March 31, 2014 was 25. During the year 2014-15, the Corporation made efforts to settle claims that were pending for a long time. Claim in respect of one bank deregistered in December 2002 (Silchar Co-operative Bank Ltd.), was settled in this year. During the year the Corporation has also reversed the provision in respect of Dadasaheb Rawal Co-operative Bank Ltd.) (de-registered in January 2011), which has been merged with Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd. The age-wise break-up of banks under liquidation where the liquidators are yet to submit the claim lists to the Corporation is given in Table 4. There is a compositional shift in terms of period-wise break-up.

The average period for settlement of claims has increased from 15 days during 2013-14 to 25 days during the year 2014-15 (Table 5), but has stayed within 2 months, the period prescribed in the DICGC Act, 1961.

Table 5: Average Period for Settlement of Claims

Financial Year	Average Number of days for Claim Settlement
2014-15	25
2013-14	15
2012-13	27
2011-12	52
2010-11	49

1.7 CLAIMS SETTLED / REPAYMENTS RECEIVED (CUMULATIVE POSITION)

Up to March 31, 2015, a cumulative amount of ₹2,959 million was paid and provided towards claims, in respect of 27 commercial banks since the inception of deposit insurance. Cumulative repayment received in case of commercial banks from the liquidators/transferee banks aggregated ₹1,485 million. There was no repayment from any commercial bank during 2014-15.

The cumulative amount of claims paid/ provided for in respect of 328 co-operative banks since inception amounted to ₹46,330 million (including ₹3,213 million paid during the year under review). In the case of co-operative banks, cumulative repayments received from the liquidators/transferee banks aggregated ₹12,103 million (including ₹1,470 million received during the year 2014-2015) (Chart 4). The particulars of banks in respect of which claims have been paid/provided for and repayments received/ written off till March 31, 2015 are furnished in ***Annex VII.***

Table 4: Position of Period-wise Break-up of Pending Claims

Pending Claims	Age-wise break-up				
	More than 10 years old	5-10 years old	1-5 years old	Less than 1 year old	Total number of Claims
As on March 2015	8	2	11	1	22
As on March 2014	8	3	7	7	25

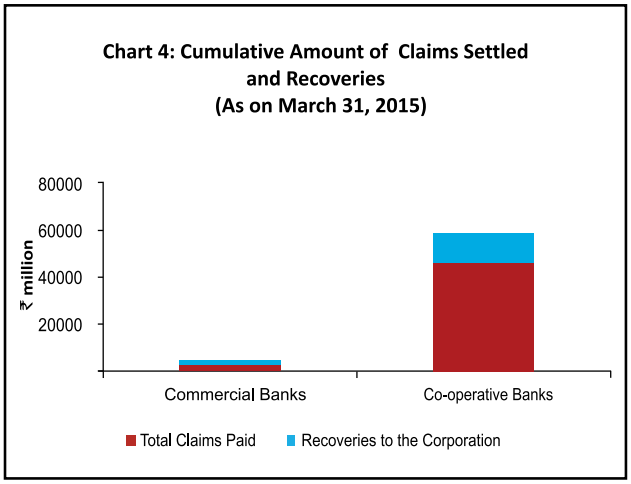

The details of banks for which provision for settlement of claims as on March 31, 2015 has been made are presented in ***Annex VIII.*** Number of liquidated banks along with amount of claims settled from 1999 onwards is shown in Chart 5.

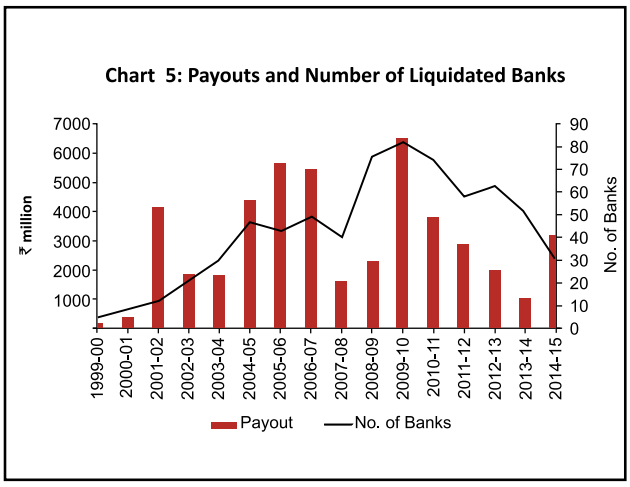

1.8 COURT CASES

As on March 31, 2015, the number of court cases relating to deposit insurance activity of the Corporation, pending in various courts stood at 196 the same as that in the preceding year. Out of 196 cases, 32 were filed by the Corporation and 164 were filed against the Corporation. Court-wise break-up of cases is given in Chart 6 and depicted in Table 6.

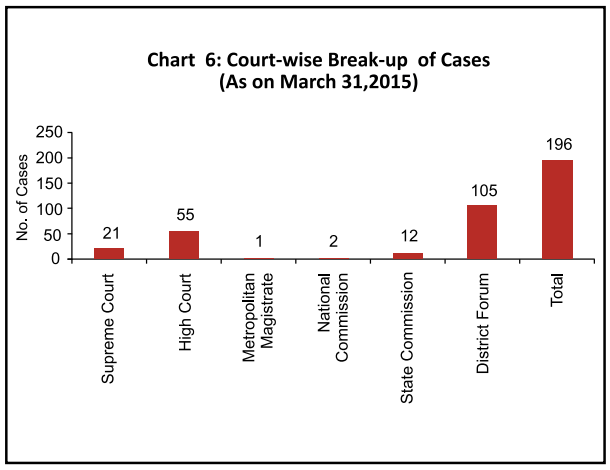

The higher number of outstanding court cases was on account of a large number of banks being placed under liquidation or directions under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS) by Reserve Bank of India, resulting in restrictions on withdrawal of deposits. Aggrieved by non-payment of deposits, depositors approach Consumer Courts and implead the Corporation as one of the respondents. Sometimes, such cases have been filed before liquidation of the banks or submission of claim list by the liquidators in which the Corporation is not liable to pay any amount to the depositors. The issues raised in the cases mainly relate to demand for payment of amounts in excess of maximum permissible limit or those inadmissible under DICGC Act, 1961, dispute over Corporation's preferential right of repayment in terms of Section 21 of DICGC Act, 1961 read with Regulation 22 of DICGC General Regulations, 1961, and payment of claims when a bank is placed under directions, etc.

1.9 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

As on March 31, 2015 no credit institution was participating in any of the Credit Guarantee Schemes of the Corporation and no claim was received during the year 2014-15. Subsequent to

Table 6: Number of Court-Cases

As at end-March	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
No. of Cases	196	196	193	188	201	174	122	124	128	126	126	89	66

2003-04, no guarantee fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid ***(Annex IX)***.

By virtue of Corporation's subrogation rights, recoveries received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (SLGS 1971) during 2014-15 aggregated ₹ 0.7 million as against ₹0.6 million received during the previous year. The recoveries under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 (SL (SSI) GS-1981) aggregated ₹ 2.5 million as against ₹ 1.5 million received during the previous year.

PART II: OTHER IMPORTANT INITIATIVES / DEVELOPMENTS

2.1 MEETINGS WITH THE REGISTRARS OF COOPERATIVE SOCIETIES OF STATE GOVERNMENTS AND WORKSHOP FOR LIQUIDATORS

During the year under review, high level meetings were arranged between the Executive Director and Registrar of Cooperative Societies in five major states which cover large number of liquidated urban co-operative banks where the Corporation had settled the claims of depositors. During these meetings, important issues such as non-refund of undisbursed amount, non-submission / delayed submission of statements / returns to the Corporation, slow progress in liquidation process and non-repayment of Corporation's share in recoveries by the liquidated urban co-operative banks were discussed. On the sidelines of these meetings, separate workshops were also organised for liquidators of failed banks in six centers namely Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Nagpur, Bhopal and Pune to sensitize them on the same aspects and help them better understand the nuances and the Corporation's expectations from them.

A high level meeting was also arranged between the Executive Director and Registrar of Co-operative Societies of respective states in Eastern Zone (Assam, Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal) followed by a workshop for the liquidators at Kolkata. As a result, a perceptive improvement has been observed in all the areas. The Corporation has been able to recover an amount of ₹1016.1 million during the year 2014-15.

2.2 HAND-HOLDING FACILITY FOR NEWLY APPOINTED LIQUIDATORS OF FAILED BANKS

In addition to the workshops being conducted for the liquidators, the Corporation, in the interest of expediting payment to the depositors of failed banks, has decided to invite the liquidators, immediately on their appointment, to the Corporation to explain them in detail, the Corporation's requirements in respect of various aspects of claims submission. The exercise is expected to enable the liquidators to commence their work in right earnest and economise on the time for submission of claims without discrepancies.

2.3 DIRECT SETTLEMENT OF SUPPLEMENTARY CLAIMS

In order to further provide prompt access to insured funds, the Corporation has since decided to make payment of eligible amount in respect of the supplementary claims directly to the Depositors' account through NEFT/NECS by avoiding to route the money through liquidators or banks. The Liquidators were advised to provide bank account details of the depositors while submitting the supplementary claims after March 31, 2014. Corporation started crediting the eligible claim amount in respect of supplementary claims directly into the respective depositors' accounts. Depositors numbering 2,983 were reimbursed ₹74.40 million for the supplementary claims under the new procedure.

2.4 MEMBERSHIP OF THE NATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE

The DICGC Act, 1961 allows the Corporation to make reimbursement of deposits of failed banks

directly to the depositors concerned. The Corporation has since adopted the procedure of direct payment to depositors in respect of supplementary claims. In order to develop capabilities within the Corporation to make payments directly to depositors based on main claims as well, the Corporation has decided to take the membership of National Automated Clearing House system run by National Payments Corporation of India to handle bulk transactions in respect of select banks based on the liquidators' preparedness to submit the claims in electronic form. The scheme would be expanded progressively to cover more and more banks under its fold.

2.5 COMMITTEE ON RISK BASED PREMIUM FOR BANKS

In India, there have been periodic recommendations for the application of risk based premium for banks. The Narasimham Committee Report on the Banking Sector Reforms (1998), while focusing on the structural issues recommended introduction of risk based premium system in lieu of the flat rate premium system. This view was echoed by the Reserve Bank's Capoor Committee on 'Reforms in Deposit Insurance in India' (1999). The Committee on Credit Risk Model (2006) constituted by the DICGC also recommended the introduction of risk based premium, to begin with, for Scheduled Commercial Banks (SCBs) and Urban Co-operative Banks (UCBs). Notwithstanding the recommendations of these committees, the implementation of risk based premium could not be operationalised, inter alia, due to Co-operative and Regional Rural Banks (forming over 90% of insured banks) being under restructuring until recently, lack of robust supervisory rating for all insured banks specially Co-operative Banks which serves as an important input for rating model. However, there has been a persistent demand from stakeholders and public representatives for a hike in deposit insurance cover from the current level of ₹0.1 million. A hike in cover without calibrating the premium rates to the risk profile of the insured banks covered only exacerbates the risks of inherent moral hazard. Keeping this in view, a Committee on Differential Premium for Banks (Chairman: Shri Jasbir Singh) has been constituted in March 2015 to make recommendations for the introduction of risk based premium in India.

2.6 TASK FORCE ON RESOLUTION CORPORATION

It may be recalled that the Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) had recommended the creation of a Resolution Corporation (RC), which would resolve financial firms before they reach the state of insolvency. Under the Indian Financial Code, the RC would have a wide range of powers that would enable it to pursue many alternative paths to ensure prompt and orderly resolution of failing financial firms. At a meeting of the financial Stability and Development Council (FSDC), it was decided that action should be taken for finalising the road map for creation of the RC. In order to support the establishment of the RC, the Government of India set up a Task Force (Chairman: Shri Damodaran) on September 30, 2014. The Terms of Reference of the task force among others, included:

(a) to review international best practices on resolution; (b) to develop organisation design for a RC that would implement the draft Indian Financial Code; (c) to develop an administrative plan that includes a design of the physical infrastructure required for the RC; (d) to develop specifications of Information Technology system for the RC, with sufficient level of detail that can be used for a formal contract with service providers to build such system; (e) to develop a risk management system for the RC – a framework for assessing, monitoring and mitigating risks emerging from its activities; and (f) to develop a plan for transition of deposit insurance function from Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) to RC.

The Task Force is expected to complete its task within one year.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS[1]

3.1. INSURANCE LIABILITIES

(a) During the year 2014-15, an amount of ₹3,212.89 million (₹1,030.92 million in previous year) was paid towards insurance claims indicating an increase of 211.7 per cent. The ascertained liabilities towards deposit insurance claims outstanding as on March 31, 2015, have been estimated at ₹3,138.22 million (₹3,921.26 million as on March 31, 2014), indicating a decrease of 19.97 per cent. These have been fully provided for.

(b) The Balance of Fund (i.e., actuarial liability) as at the end of the year under review stood at ₹52,075.40 million (₹50,683.40 million) as per assessment by approved Actuaries M/s. K. A. Pandit & Co.

(c) There is no likely claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund.

3.2. REVENUE DURING THE YEAR

(a) The pre-tax revenue surplus in the Deposit Insurance Fund (DIF) during the year 2014-15 increased by ₹55,367.63 million from ₹ 91,523.37 million to ₹ 146,891.00 million, i.e., by 60.50 per cent. This was mainly on account of increase in premium income by ₹9,158.47 million, increase in income from investments by ₹6,419.36 million, and write back of depreciation on investments by ₹23,821.19 million partly offset by an increase in net actuarial liability charged to revenue by ₹1,392.00 million.

(b) The pre-tax revenue surplus in the Credit Guarantee fund (CGF) during 2014-15 increased by ₹ 368.88 million, i.e., by 302.58 per cent over the previous year from ₹121.91 million to ₹ 490.79 million. This was mainly on account of write back of depreciation on investments by ₹174.17 million in the investments.

(c) The pre-tax revenue surplus in General Fund (GF) for the year under review was higher at ₹377.07 million as against revenue surplus of ₹218.38 million in the previous year. This was mainly on account of higher write back of depreciation on investments by ₹193.23 million in the investments (₹85.03 million in the previous year) and lower loss on sale/ redemption of on securities of ₹ 83.03 million (₹158.30 million in the previous year).

3.3. ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2015, the accumulated surpluses/reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹452,458.59 million (₹355,495.85 million), ₹3,863.89 million (₹3,539.92 million), and ₹4,906.29 million (₹4,657.39 million), respectively.

3.4. INVESTMENTS

The book (at cost) value of investments of the three Funds, viz., DIF, CGF and GF stood at ₹521,388.81 million (₹ 444,775.61 million), ₹4,393.47 million (₹4,200.63 million) and ₹5,646.64 million (₹5,559.99 million), respectively, as at the end of year. The accumulated depreciation in the value of dated securities in the above three funds stood at ₹2,926.06 million (₹26,747.25 million); ₹411.19 million (₹585.36 million) and ₹188.24 million (₹381.48 million), respectively as on March 31, 2015. The investment reserve has come down on account of write back of depreciation on investments.

3.5. TAXATION

3.5.1 INCOME TAX

As on March 31, 2015, the accumulated balance in advance income tax account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹111,985.18 million (₹108,880.77 million), ₹378.14 million (₹375.38 million) and ₹448.62 million (₹365.90 million), respectively. The accumulated balance in provision for taxation account in the DIF, CGF and GF stood at ₹109,030.11 million (₹98,987.92 million), ₹328.53

1. Figures in bracket pertain to previous year.

million (₹279.92 million) and ₹332.11 million (₹258.46 million), respectively, as on that date.

3.5.2 SERVICE TAX

Government of India imposed service tax on the Corporation from September 2011 onwards in respect of the premium collected by it. The Corporation made a representation to the Government, submitting that service tax is not leviable on Corporation. In this connection, the final clarification was received in March 2012, to the effect that the Corporation is liable to paying service tax. Accordingly, service tax registration was obtained and the Corporation started paying service tax for the premium due on October 1, 2011. The service tax refundable account represents the excess service tax paid to the Government. The total refundable amount stood at ₹1,115.54 million from the Service Tax Department in respect of financial year 2011-12 and onwards. Out of the same, an amount of ₹494.70 million has been adjusted by the Department against interest demand raised (₹384.80 milion) and ₹109.90 million in respect of rejection of refund claim, which are being contested. An amount of ₹338.24 million stands received on April 18, 2015 and refund of ₹267.31 million is being persuaded.

PART IV: TREASURY OPERATIONS

4.1 In terms of section 25 of the DICGC Act, 1961, the Corporation invests its surplus in the Central Government Securities. The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹531.43 billon as on March 31, 2015 representing an increase of ₹76.89 billon (16.92 per cent) over the previous year. Portfolio return during the year was 17.37 per cent. A large part to the return was contributed by appreciation in the portfolio. Adjusting for appreciation, the return amounts to 8.81 per cent.

4.2 The Central Government securities are valued at model prices published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). While the appreciation is ignored, the depreciation is being fully provided for and booked under the Investment Reserve (IR). As on March 31, 2015 the balance in IR was ₹3.53 billion. Further, the Corporation maintains the Investment Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2015 IFR of ₹28.96 billon was maintained, being the higher of IFR booked as on March 31, 2014, quantum of market risk calculated by both Value at Risk (₹11.37 billion) and Standardised Duration method (₹22.70 billion).

PART V: ORGANISATIONAL MATTERS

5.1 BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and does all acts and things which may be exercised or done by the Corporation.

5.1.1 In terms of Regulation 6 of the DICGC General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. During the year ended March 31, 2015, four meetings of the Board were held.

5.1.2 NOMINATION/RETIREMENT OF DIRECTORS

The Governor has nominated Shri R. Gandhi, Deputy Governor, as Chairman on the Board of the Corporation from November 21, 2014. Shri R. Ramachandran was appointed as a Director on Board of the Corporation on September 19, 2014 under section 6(1)(d) of the DICGC Act 1961. Shri H. N. Prasad was appointed as Director on Board of the Corporation on January 7, 2015 under section 6(1)(e) of the DICGC Act 1961.

Consequent to the completion of the tenure Shri Kamlesh Vikamsey, Director of the Board of the Corporation and also a Chairman of Audit Committee, retired on September 4, 2014. Prof G. Sivakumar retired as a Director from the Board of the Corporation on September 19, 2014 and Shri B. L. Patwardhan, Director of the Board of the Corporation and also a member of Audit Committee, retired on October 11, 2014.

5.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of Board was reconstituted as follows:

1.	Dr. Harsh Kumar Bhanwala	Chairman
2.	Dr. Shashank Saksena	GOI nominee Director
3.	Shri R. Ramachandran	Director
4.	Shri Jasbir Singh	Director

During the year ended March 31, 2015, four meetings of the Audit Committee of the Board were held.

5.2.1 IT COMMITTEE

A Committee to guide the Corporation on the information technology (IT) adoption and development was constituted in December 2011. The composition of the same as on March 31, 2015 was as under:

1.	Prof. G. Sivakumar	Chairman
2.	Shri Kamlesh Vikamsey	Member
3.	Shri Jasbir Singh	Member
4.	Shri Sonjoy Sethee	Member
5.	Shri P. Parthasarathi	Invitee

During the year ended March 31, 2015, four meetings of the IT Committee were held.

5.3 INTERNAL CONTROLS

5.3.1 BUDGETARY CONTROL

The Corporation has devised a system of exercising control over revenue and expenditure under its three Funds viz., Deposit Insurance Fund (DIF), Credit Guarantee Fund (CGF) and General Fund (GF). The yearly budget for the expenditure under DIF and GF are prepared by the Corporation, based on various parameters, viz., cancellation of licence / liquidation of insured banks, staff and establishment related payments, etc. The budget is approved by the Board before commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds, viz., premium receipts, recoveries and investment income are also included in the budget. The budgeted expenditure and receipts vis-a-vis actual expenditure / receipt are reviewed at quarterly intervals in the Corporation. A half-yearly review is also placed before the Board.

5.3.2 RISK BASED INTERNAL AUDIT (RBIA) BY RBI

Risk Based Internal Audit (RBIA) 2013 of the DICGC was conducted by Inspection Department of Reserve Bank of India from June 17, 2013 to July 03, 2013. The audit report contained observations on Functional as well as Information System of the Corporation. Only those observations which were rated High (H), Medium (M), Low (L) and Affirmative Positive (AP) were incorporated in the audit report. The risk based audit categorised 54 paragraphs as Functional and 11 paragraphs as relating to Information System. All the audit paragraphs relating to Functional areas and Information System have been complied with. Incidentally the Risk Based Internal Audit (RBIA) 2015 was conducted from April 09, 2015 to April 23, 2015. 11 paragraphs categorised as Low Risk and 15 paragraphs categorised as Medium Risk were recorded in the audit report.

5.3.3 CONCURRENT AUDIT

The Corporation has introduced the system of Concurrent Audit (on site) on ongoing basis of all its areas of operation by a firm of Chartered Accountants since the year 2004-05. The monthly audit findings are placed before the Audit Committee of the Board. M/s Jain Chowdhary & Sons have been appointed as Concurrent Auditors of the Corporation for the year 2015- 16.

5.3.4 CONTROL & SELF- ASSESSMENT AUDIT (CSAA)

The Corporation has additionally put in place the Control and Self Assessment Audit (CSAA) system (peer review) whereby officers of the Corporation are required to conduct audit of areas with which they are not functionally associated and submit report to General Manager.

5.4 TRAINING & SKILL DEVELOPMENT

In order to upgrade the skills of its human resources, the Corporation deputes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops. These programmes are mostly conducted by various training establishments of RBI, reputed training institutions in India as well as abroad, International Association of Deposit Insurers (IADI) and other Foreign Deposit Insurance Institutions. During 2014-15, 74 employees comprising 47 officers, 19 Class III and 8 Class IV staff were deputed to RBI training establishments and external training institutes in India. Apart from these, eight officers were deputed to participate in trainings/conferences organised by IADI and other foreign deposit insurance institutions.

5.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation except the Chief Financial Officer (CFO) is on deputation from Reserve Bank of India. CFO was taken on board under a three year contract commencing May 30, 2014. The Staff strength of the Corporation as on March 31, 2015 stands at 81 against 79 as on March 31, 2014. Category – wise position of staff is as under:

Of the total staff, 65.43 per cent were in Class I, 18.51 per cent in Class III and the remaining 16.04 per cent in Class IV. Of the total staff, 18.51 per cent belonged to Scheduled Castes and 7.40 per cent belonged to Scheduled Tribes as on March 31, 2015 (Table 7).

Table 7: Category–wise Position of Staff

Category	Number	Of which		Percentage %	
		SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6
Class I	53	10	05	18.86	9.43
Class III	15	01	-	6.66	-
Class IV	13	04	01	30.76	7.69
Total	81	15	06	18.51	7.40

SC: Scheduled Castes. ST: Scheduled Tribes.

5.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Government of India enacted the Right to Information Act, 2005 in June 2005. The Act came into effect from October 12, 2005. The Corporation, as a public authority, as defined in the Act, is obliged to provide information to the members of public. During the year 2014-15, a total of 35 requests were resolved including 3 cases under Appellate Authority.

5.7 PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the year 2014-15, the Corporation continued with its efforts to promote the use of Hindi in its working. The Corporation ensures compliance of Section 3(3) of the Official Languages Implementation Act. The Head Office of the Corporation has been notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976. The Corporation prepares quarterly progress reports on use of Hindi. The Corporation also organises 'Hindi Fortnight' every year in the month of September. Many programmes including competitions were conducted at the time of 'Hindi fortnight' observed from the second week of September 2014 and the main Hindi Day programme was conducted under the chairmanship of Executive Director. The Official Languages Implementation Committee meets regularly once in a quarter to monitor and promote the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation.

5.8 CUSTOMER CARE CELL IN THE CORPORATION

The Corporation is a public institution and its main function is to settle the claims of depositors of failed insured banks. The Corporation operates a customer care cell for prompt redressal of complaints from the members of public against the Corporation.

5.9 ROLE IN IADI

5.9.1 The Corporation has continued to retain its membership of IADI. The Executive Director is a

member (by election), of the Executive Committee, the decision taking and executive body under IADI. Shri Jasbir Singh, Executive Director attended IADI Annual General Meeting and Annual Conference, Port of Spain, Trinidad, during October 2014, besides Executive Council Meeting held in June and October 2014 and March 2015.

5.9.2 The Corporation has been providing support through participation in surveys conducted by IADI.

5.10 AUDITORS

In terms of Section 29(1) of the DICGC Act, 1961, M/s. Ray & Ray, Chartered Accountants were appointed as Auditors of the Corporation for the financial year 2014-15 with approval of the Reserve Bank.

The Board appreciates the efforts put in by the staff of the Corporation for maintaining its operational efficiency.

For and on behalf of Board of Directors

DEPOSIT INSURANCE AND
CREDIT GUARANTEE
CORPORATION, MUMBAI

Dated: June 24, 2015

(R Gandhi)
Chairman

ANNEX - I

BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME: NUMBER

Year/Period	At the beginning of the year/ period	Registered during the year/ period	De- registered during the year / period where Corporation's Liability			At the end of the year/ period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	7	16	13	29	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

* Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

ANNEX - II

A. INSURED BANKS: CATEGORY-WISE

Year (as at end March)	No. of Insured Banks				
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total
2014-15	92	56	4	1,977	2,129
2013-14	89	58	4	1,994	2,145
2012-13	89	67	4	2,007	2,167
2011-12	87	82	4	2,026	2,199

RRBs: Regional Rural Banks LABs: Local Area Banks

B. INSURED CO-OPERATIVE BANKS: STATE WISE (AS AT END MARCH 2015)

Sr. No.	State / Union Territory	Apex	Central	Primary	Total
1	Andhra Pradesh	1	22	101	124
2	Assam	1	0	8	9
3	Arunachal Pradesh	1	0	0	1
4	Bihar	1	22	4	27
5	Chhattisgarh	1	6	12	19
6	Goa	1	0	6	7
7	Gujarat	1	18	226	245
8	Haryana	1	19	7	27
9	Himachal Pradesh	1	2	5	8
10	Jammu & Kashmir	1	3	4	8
11	Jharkhand	0	8	2	10
12	Karnataka	1	21	265	287
13	Kerala	1	14	60	75
14	Madhya Pradesh	1	38	51	90
15	Maharashtra	1	28	510	539
16	Manipur	1	0	3	4
17	Meghalaya	1	0	3	4
18	Mizoram	1	0	1	2
19	Nagaland	1	0	0	1
20	Odisha	1	17	8	26
21	Punjab	1	20	4	25
22	Rajasthan	1	29	37	67
23	Sikkim	1	0	1	2
24	Tamil Nadu	1	24	129	154
25	Tripura	1	0	1	2
26	Uttar Pradesh	1	50	67	118
27	Uttarakhand	1	10	5	16
28	West Bengal	1	16	43	60
Union Territory					
1	NCT Delhi	1	0	15	16
2	Andaman & Nicobar Islands	1	0	0	1
3	Daman & Diu	0	0	0	0
4	Puducherry	1	0	1	2
5	Chandigarh	1	0	0	1
TOTAL		**31**	**367**	**1,579**	**1,977**

ANNEX - III

BANKS REGISTERED/ DE-REGISTERED DURING THE YEAR 2014-15

Bank Type / State	Sr. No.	Name of the Bank
A. REGISTERED (05)		
Commercial Banks (03)	**1**	BHARATIYA MAHILA BANK LTD
	2	DOHA BANK QSC
	3	KOREA EXCHANGE BANK
Co-operative Banks (0)	**Nil**	
Regional Rural Banks (02)	**1**	SARVA HARYANA GRAMIN BANK,ROHTAK,HARYANA
	2	RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK
B. DE-REGISTERED (21)		
Commercial Banks (0)	**Nil**	
Co-operative Banks (17)		
Andhra Pradesh (01)	**1**	VASAVI CO-OPERATIVE URBAN BANK LTD.
Gujarat (03)	**1**	SURAT NAGRIK SAHAKARI BANK LTD
	2	CO-OPERATIVE BANK OF BARODA.
	3	ANKLESHWAR UDHYOGNAGAR CO-OPERATIVE BANK LTD
Maharashtra (05)	**1**	NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP BANK LTD.
	2	BULDANA DISTRICT CENTRAL CO-OP BANK LTD.
	3	WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.
	4	SHRI SHIVAJI SAHAKARI BANK LTD
	5	MERCHANTS CO-OPERATIVE BANK LTD.
Odisha (02)	**1**	THE URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.BHUBANESHWAR
	2	THE BARIPADA URBAN CO-OP BANK LTD.
Rajasthan (01)	**1**	AJMER URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.
West Bengal (02)	**1**	THE BIRBHUM DISTRICT CENTRAL CO-OP BANK LTD.
	2	BARANAGAR CO-OPERATIVE BANK LTD.
Uttar Pradesh (02)	**1**	THE MIRZAPUR URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.
	2	UNITED COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LTD.
Karnataka (01)	**1**	KARNATAKA RAJYA KAIGARIKA SAHAKARITA BANK NIYAMITHA
Regional Rural Banks (04)	**1**	GURGAON GRAMIN BANK, HARYANA
	2	HARYANA GRAMIN BANK, HARYANA
	3	MARUDHARA GRAMIN BANK, RAJASTHAN
	4	MEWAR ANCHALIK GRAMIN BANK,RAJASTHAN

ANNEX - IV

DEPOSIT PROTECTION COVERAGE

Year	Fully Protected Accounts (number in million)*	Total Accounts (number in million)	Percentage of Fully Protected Accounts to Total Accounts	Insured Deposits* (₹ billion)	Assesable Deposits (₹ billion)	Percentage of Insured Deposits to Total Deposits
1	2	3	4	5	6	7
2014-15	1,345	1,456	92.3	26,068	84,752	30.8
2013-14	1,267	1,370	92.4	23,792	76,166	31.2
2012-13	1,393	1,482	94.0	21,584	66,211	32.6
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2007-08	962	1,039	92.6	18,051	29,848	60.5
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
1999-2000	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1962	6	7	78.5	4	17	23.1

* Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards and ₹1,00,000 from May 1, 1993 onwards.
Note: Data from 2009-10 are as per new reporting format.

ANNEX - V

DEPOSIT PROTECTION COVERAGE : BANK - CATEGORYWISE

Year	Category of Banks	Insured Banks (in nos.)	Insured Deposits (₹ billion)	Assessable Deposits (₹ billion)	Percentage of Insured Deposits to Assessable Deposits
1	2	3	4	5	6
2014-15	I. Commercial Banks (i to v)	96	21,360	76,544	27.9
	i) SBI Group	6	5,885	17,376	33.9
	ii) Public Sector	21	12,110	39,872	30.4
	iii) Foreign Banks	45	138	3,636	3.8
	iv) Private Banks	20	3,222	15,642	20.6
	v) Local Area Banks	4	5	18	27.8
	II. RRBs	56	1,486	2,299	64.6
	III. Co-operative banks	1,977	3,222	5,909	54.5
	TOTAL (I+II+III)	**2,129**	**26,068**	**84,752**	**30.8**
2013-14	I. Commercial Banks (i to v)	93	18,783	67,810	27.7
	i) SBI Group	6	5,325	15,436	34.5
	ii) Public Sector	20	10,183	35,855	28.4
	iii) Foreign Banks	43	217	3,179	6.8
	iv) Private Banks	20	3,052	13,326	22.9
	v) Local Area Banks	4	6	14	42.9
	II. RRBs	58	1,888	2,998	63
	III. Co-operative banks	1,994	3,120	5,358	58.2
	TOTAL (I+II+III)	**2,145**	**23,791**	**76,166**	**31.2**
2012-13	I. Commercial Banks (i to v)	89	17,635	59,707	29.5
	i) SBI Group	6	5,365	13,513	40.0
	ii) Public Sector	20	9,286	31,521	29.5
	iii) Foreign Banks	43	235	2,851	8.0
	iv) Private Banks	20	2,749	11,822	23.0
	v) Local Area Banks	4	5	12	41.0
	II. RRBs	67	1,324	1,889	70.0
	III. Co-operative banks	2,007	2,619	4,602	57.0
	TOTAL (I+II+III)	**2,167**	**21,584**	**66,211**	**33.0**

ANNEX - VI

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2014-15

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of Depositors	Amount of Claims (₹ thousand)
1	2	3	4	5
	Co-operative Banks			
	Assam (01)			
1	Silchar Urban Co-operative Bank Ltd.	Main	2,707	6,999.75
	Total (Assam)	**Main (1)**	**2,707**	**6,999.75**
	Andhra Pradesh (01)			
2	The Srikakulam Cooperative Urban Bank Ltd.	Main	7,077	10,444.41
	Total (Andhra Pradesh)	**Main (1)**	**7,077**	**10,444.41**
	Gujarat (09)			
3	Suvidha Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	4	39.90
4	The Prantij Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	23.66
5	The Surendranagar Peoples Co-operative Bank Ltd	Supplementary (1)	1	80.37
6	Ahmedabad Peoples Co-operatve Bank Ltd.	Supplementary (1)	2	57.75
7	Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	20.11
8	Anyonya Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (2)	7	282.54
9	Shree Bhadran Mercantie Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	3	124.68
10	Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd.	Main , Supplementary (3)	124,586	2,713,842.46
11	Charottar Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	21.00
	Total (Gujarat)	**Main (1), Supplementary (12)**	**124,606**	**2,714,492 .47**
	Karnataka (01)			
12	Raichur Zilla Mahila Pattana Sahakari Bank Niyamit	Supplementary (2)	37	328.90
	Total (Karnataka)	**Supplementary (2)**	**37**	**328.90**

ANNEX - VI *(Concld.)*

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of Depositors	Amount of Claims (₹ thousand)
1	2	3	4	5
	Maharashtra (18)			
13	The Konkan Prant Sahakari Bank Ltd.	Main	28,759	301,759.34
14	Solapur Nagari Audhyogik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	10	107.68
15	The Nagpur Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	3	37.18
16	The Akot Urban Cooperative Bank Ltd.	Supplementary (1)	3	159.84
17	Bhusawal Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	20.70
18	Indira Shramik Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	7.09
19	Swami Samarth Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	168	5314.91
20	Shree Siddivinayak Nagri Sahakari Bank Ltd.	Main	20,401	157,616.06
21	Arjun Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	95.62
22	Siddharth Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	12	1,445.53
23	Shree Laxmi Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	18	499.14
24	Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	9	173.96
25	Krishna Valley Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (1)	404	3,465.45
26	Vishwakarma Nagari Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	16	1,695.98
27	Abhinav Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (2)	1,644	7,355.55
28	The Ichalkaranji Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary (3)	8	272.41
29	P.K. Anna Patil Sahakari Bank Ltd.	Supplementary (1)	15	506.51
30	Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd.	Supplementary (1)	1	93.38
	Total (Maharashtra)	**Main (2), Supplementary (22)**	**51,474**	**480,626.30**
	Total (All States)	**Main (5), Supplementary (36)**	**178,824**	**3,212,891.85**

Note: Figures in bracket indicate the number of claims.

ANNEX - VII

INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED / AMALGMATED / RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31, 2015

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
I	**COMMERCIAL BANKS**				
	i) Full repayment received (A)				
	1) Bank of China, Kolkata (1963)		925.00	925.00	-
	2) Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)*		11.51	11.51	-
	3) Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*		4,631.66	4,631.66	-
	4) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*		704.06	704.06	-
	5) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*		208.50	208.50	-
	6) Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)		370,000.00	370,000.00	-
	7) Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*		14,659.08	14,659.08	-
	TOTAL 'A'		**391,139.79**	**391,139.79**	-
	ii) Repayment received in part and balance due written off (B)				
	8) Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*		253.35	137.77 (115.58)	-
	9) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*		108.08	31.32 (76.76)	-
	10) Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*		18.28	14.55 (3.74)	-
	11) Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Kolkata (1964)*		880.08	441.55 (438.53)	-
	12) Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*		734.28	372.93 (361.35)	-
	13) Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*		27.60	18.07 (9.53)	-

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	14) Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*		1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	15) National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*		99.26	88.12 (11.13)	-
	16) Parur Central Bank Ltd., North Parur, Maharashtra (1990)*		26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-
	17) United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*		350,150.63	32,631.51 (317,519.13)	-
	TOTAL 'B'		**380,018.32**	**58,605.47 (321,412.86)**	-
	iii) Part repayment received (C)				
	18) National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*		968.92	968.92	-
	19) Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*		116,278.09	116,278.46	(0.38)
	20) Lakshmi Commercial Bank Ltd., Banglore*		334,062.25	91,358.30	242,703.95
	21) Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*		219,167.10	105,374.96	113,792.14
	22) Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*		30,633.77	13,482.20	17,151.57
	23) Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N. (1990)*		107,836.01	103,755.98	4,080.03
	24) Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N. (1990)*		76,449.75	75,897.32	552.43
	25) Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*		72,577.39	9,760.37	62,817.02
	26) Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*		172,956.25	-	172,956.25
	27) Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*		1,056,442.08	518,649.11	537,792.97
	TOTAL 'C'		**2,187,371.62**	**1,035,525.63**	**1,151,845.99**
	TOTAL (A+B+C)		**2,958,529.74**	**1,485,270.89 (321,412.86)**	**1,151,845.99**

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
II	**CO-OPERATIVE BANKS**				
	i) Full repayment received (D)				
	1) Malvan Co-op. Bank Ltd., Malvan (1977)		184.00	184.00	-
	2) Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)		1,072.00	1,072.00	-
	3) Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)		1,837.46	1,837.46	-
	4) Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)		218.99	218.99	-
	5) Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)		573.33	573.33	-
	6) Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992)		12,500.00	12,500.00	-
	7) Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (1996)		121.97	121.97	-
	8) Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd.,A.P. (2005)		629.80	629.80	-
	TOTAL 'D'		**17,137.55**	**17,137.55**	-
	ii) Repayment received in part and balance due written off (E)				
	9) Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1977)		276.50	-	-
			-	(276.50)	-
	10) Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd., Bhadravati (1994)		26.10	-	-
			-	(26.10)	-
	11) Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd, Mumbai (1978)		60.31	-	-
			-	(60.31)	-
	12) Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P. (2003)		708.44	527.64	-
			-	(180.80)	
	13) Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri, Maharashtra (1978)*		4,642.36	1,256.95	-
			-	(3,385.41)	
	14) The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		2,114.71	549.18	-
			-	(1,565.53)	
	TOTAL 'E'		**7,828.42**	**2,333.77**	**-**
				(5,494.65)	

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	iii) Part repayment received (F)				
	15) Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,156.70	604.14	552.56
	16) Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		701.51	412.14	289.37
	17) Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*		1,317.25	335.53	981.72
	18) Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore, Karnataka (1982)*		9,130.83	1,294.66	7,836.17
	19) Kollur Parvati Co-op. Bank Ltd., Kollur, A.P. (1985)		1,395.93	707.86	688.08
	20) Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore, Karnataka (1985)		274.30	65.50	208.80
	21) Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (1986)*		484.89	400.91	83.99
	22) Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1986)		2,285.04	1,341.05	943.99
	23) Manihal Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1987)		961.85	227.60	734.25
	24) Hind Urban Co-operative Bank Ltd.,Lucknow, U.P. (1988)		1,095.23	-	1,095.23
	25) Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (1990)		436.10	51.62	384.48
	26) Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P. (1991)		388.82	48.56	340.26
	27) Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)		1,736.62	963.02	773.60
	28) Manoli Shri Panchligeshwar Co-operative Urban Bank Ltd., Karnataka (1991)		1,744.13	1,139.44	604.69
	29) Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Baroda, Gujarat (1991)		7,485.62	1,944.01	5,541.60
	30) Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*		3,710.54	273.78	3,436.76
	31) Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)		1,983.68	102.37	1,881.31

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	32) Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P (1994)		22,020.57	1,727.77	20,292.80
	33) Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1995)		87,548.52	758.00	86,790.52
	34) Bijapur Dist. Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)		2,413.42	1,474.44	938.99
	35) Peoples Co-operative Bank Ltd., Ichalkaranji, Maharashtra (1996)		36,545.52	-	36,545.52
	36) Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		22,662.97	-	22,662.97
	37) Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)		80,117.45	-	80,117.45
	38) Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)		915.79	915.79	0.00
	39) Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		51,803.37	49,313.08	2,490.29
	40) Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)		18,067.90	-	18,067.90
	41) Trimoorti Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (1999)		28,556.47	23,970.53	4,585.94
	42) Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		46,239.88	5,500.00	40,739.88
	43) Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		62,293.89	260.58	62,033.31
	44) Gudur Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		6,736.99	964.46	5,772.53
	45) Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2000)		2,447.07	137.15	2,309.92
	46) Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)		157,012.94	53,783.98	103,228.96

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	47) Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2000)		2,242.01	-	2,242.01
	48) Siddharth Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2000)		5,398.65	1,100.00	4,298.65
	49) Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd, Maharashtra (2000)		27,494.76	16,100.00	11,394.76
	50) The Sami Taluka Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2000)		2,017.30	-	2,017.30
	51) Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari, Kalamnuri, Maharashtra (2001)		1,696.09	-	1,696.09
	52) Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar., M.P. (2001)		7,013.59	1,000.00	6,013.59
	53) Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Maharashtra (2001)		21,862.77	465.72	21,397.05
	54) Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit,Bilaspur, M.P. (2001)		26,135.83	15,000.00	11,135.83
	55) Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2001)		5,068.09	3,358.92	1,709.18
	56) Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)		3,946.61	3,781.44	165.18
	57) Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		30,168.26	3,265.44	26,902.82
	58) Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2001,2013@)#)	3,160	4,015,185.54	5,785.54	4,009,400.00
	59) Krushi Co-operative Urban Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2001)		232,429.22	40,858.33	191,570.89
	60) Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd), M.P. (2002)		19,486.49	15,071.90	4,414.59
	61) Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		140,667.57	24,339.29	116,328.28
	62) Maratha Market Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		37,959.73	-	37,959.73

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	63) Latur Peoples Co-operative Bank Ltd., (Dergd), Maharashtra (2002)		3,048.95	2.00	3,046.95
	64) Sri. Lakshmi Mahila Co-op. Urban Bank, (Dergd), A.P. (2002)		7,821.24	-	7,821.24
	65) Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)		48,456.66	120.02	48,336.64
	66) Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd. Drgd, A.P. (2002)		9,697.12	9,363.62	333.50
	67) Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd), Orissa (2002)		7,032.61	-	7,032.61
	68) The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd., (Degrd), Gujarat (2002)		26,553.64	32.91	26,520.73
	69) Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah. Bank(Dergd), Gujarat (2002)		25,866.18	-	25,866.18
	70) Sravya Co op. Bank Ltd., A.P. (2002)		74,376.82	2,421.29	71,955.53
	71) Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)		14,779.44	427.30	14,352.14
	72) Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd), Maharashtra (2003)		22,448.41	-	22,448.41
	73) Shree Labh Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2003)		47,507.25	341.41	47,165.84
	74) Khed Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2003)		46,368.34	1,000.00	45,368.34
	75) Janta Sahakari Bank Maryadit.,Dewas, M.P. (2003)		71,741.71	66,141.14	5,600.57
	76) Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		11,289.66	10,038.32	1,251.34
	77) The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		16,197.58	14,678.15	1,519.43
	78) Kurnool Urban Co-operative Credit Bank Ltd., A.P. (2003)		47,432.57	46,556.10	876.46
	79) Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Hariyana (2003)		30,046.64	2,800.00	27,246.64

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	80) Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		9,254.48	8,614.31	640.17
	81) Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)#		1,432,344.30	852,344.30	580,000.00
	82) Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)		16,345.12	7,325.00	9,020.12
	83) Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		34,033.48	3,600.00	30,433.48
	84) Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		46,781.03	43,631.77	3,149.27
	85) The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		12,873.23	11,243.66	1,629.57
	86) Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		48,880.14	25.00	48,855.14
	87) Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)		33,329.35	955.83	32,373.53
	88) Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)		33,177.94	6.98	33,170.96
	89) The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P. (2003)		141,139.81	140,798.15	341.66
	90) Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P. (2003)		57,245.59	1,400.00	55,845.59
	91) Dhana Co op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		23,855.34	-	23,855.34
	92) Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)		37,343.88	2,203.57	35,140.31
	93) The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		2,626.79	-	2,626.79
	94) The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd.,Ahmedabad, Gujarat (2003)		41,281.62	6,922.64	34,358.98
	95) Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		21,677.67	17,300.00	4,377.67
	96) Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		35,508.21	-	35,508.21
	97) Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)		3,038.47	2,521.79	516.67
	98) Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2003)		7,697.97	7,691.33	6.64

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	99) Shree Adinath Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)		42,971.17	30,815.27	12,155.90
	100) Santram Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)		115,872.42	2,818.21	113,054.22
	101) Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)		22,952.19	21,790.57	1,161.61
	102) Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat (2004)		25,531.20	-	25,531.20
	103) General Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2004)		715,200.69	23,359.41	691,841.28
	104) Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2004)		44,086.21	57.31	44,028.90
	105) Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)		2,064,852.52	302,913.73	1,761,938.79
	106) Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2004)		34,192.33	21,229.00	12,963.33
	107) Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Gujarat (2004)		3,846,162.46	38,723.44	3,807,439.02
	108) Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		1,794.45	130.00	1,664.45
	109) Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd., Orissa (2004)		9,799.51	-	9,799.51
	110) The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)		10,170.18	6,170.18	4,000.00
	111) The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P. (2005)		13,509.83	900.00	12,609.83
	112) Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		19,306.12	6,198.81	13,107.31
	113) Gulbarga Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2005)		25,441.21	1,018.11	24,423.10
	114) Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		12,224.74	9,500.00	2,724.74
	115) Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P. (2005)		7,387.17	2,000.00	5,387.17
	116) Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd., Rajasthan (2005)		4,787.55	4,787.55	(0.00)
	117) Sitara Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		3,741.01	-	3,741.01

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	118) Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)		41,999.65	394.50	41,605.15
	119) Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank Ltd., Akola, Maharashtra (2005)		13,351.57	3,000.00	10,351.57
	120) Partur People's Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2005)		15,836.61	500.00	15,336.61
	121) Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)		107,561.91	24,447.83	83,114.08
	122) Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		584,048.60	22,063.73	561,984.87
	123) The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)		49,437.88	2,924.37	46,513.51
	124) Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		86,530.52	2,604.19	83,926.34
	125) Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		5,725.86	500.00	5,225.86
	126) Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		318,925.24	32,730.58	286,194.65
	127) Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		30,892.41	4,388.28	26,504.13
	128) Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)		606,403.31	606,403.31	-
	129) Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		74,035.72	8,296.04	65,739.68
	130) Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		299,340.86	12,578.31	286,762.55
	131) Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		223,150.28	10,256.27	212,894.01
	132) Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		53,755.25	2,554.76	51,200.49
	133) Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		130,437.03	16,314.57	114,122.46
	134) Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)		15,706.37	-	15,706.37
	135) Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		17,573.42	719.22	16,854.20
	136) Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P. (2005)		3,031.51	-	3,031.51

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	137) Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P. (2005)		8,501.09	-	8,501.09
	138) Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)		18,999.84	-	18,999.84
	139) Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)		7,503.14	500.00	7,003.14
	140) Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		80,214.81	5,759.72	74,455.09
	141) Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)		579,896.95	32,783.03	547,113.93
	142) Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		10,898.73	162.00	10,736.73
	143) Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)		24,741.48	4,088.97	20,652.51
	144) Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)		120,659.85	100.00	120,559.85
	145) Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		30,697.47	-	30,697.47
	146) Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)		29,932.80	13,432.80	16,500.00
	147) Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)		16,479.04	1,913.89	14,565.15
	148) Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)		40,828.18	727.69	40,100.49
	149) The Century Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		67,739.63	7,399.13	60,340.50
	150) Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)		181,637.44	-	181,637.44
	151) Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		65,053.51	-	65,053.51
	152) Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)		301,592.15	28,337.47	273,254.68
	153) Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)		266,452.45	52,636.90	213,815.55

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	154) Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P. (2006)		304,703.46	28,027.51	276,675.95
	155) Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P. (2006)		145,661.51	67,986.80	77,674.71
	156) Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		82,529.98	-	82,529.98
	157) Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		92,989.37	1,746.86	91,242.50
	158) Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)		434,217.98	21,637.39	412,580.59
	159) Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		323,292.67	37,629.70	285,662.97
	160) Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		552,716.70	23,166.76	529,549.94
	161) Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)		120,686.51	212.98	120,473.53
	162) The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat,Gujarat (2006)		91,577.38	1,131.49	90,445.89
	163) Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)		118,895.88	95,819.17	23,076.71
	164) Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)		257,956.99	186,562.29	71,394.70
	165) Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)		29,757.64	2,182.55	27,575.09
	166) Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		371,586.77	37,835.43	333,751.34
	167) Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd.,Tamil Nadu (2006)		25,021.00	12,480.19	12,540.81
	168) The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)		11,614.90	217.05	11,397.85
	169) Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)		4,846.70	-	4,846.70
	170) Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		12,825.48	612.28	12,213.20

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	171) Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)		165,896.38	4,603.90	161,292.48
	172) Dhansura Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		58,798.44	5,398.44	53,400.00
	173) Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)		116,051.52	15,236.66	100,814.86
	174) Prudential Co-operative Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2007)		755,959.06	490,959.06	265,000.00
	175) Lok Vikas Urban Co-operative Bank Ltd., Jaipur, Rajasthan (2007)		6,606.11	200.00	6,406.11
	176) Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ratlam, M.P. (2007)		20,393.50	-	20,393.50
	177) Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		103,903.73	18,700.00	85,203.73
	178) Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)		323,215.02	295,856.18	27,358.84
	179) Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)		367,807.52	47,520.48	320,287.04
	180) Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit, Maharashtra (2007)		47,576.03	17,825.70	29,750.33
	181) Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)		5,938.96	5,937.81	1.15
	182) The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)		29,749.48	765.66	28,983.82
	183) Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)		4,305.77	442.19	3,863.58
	184) Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)		124,758.68	1,875.54	122,883.14
	185) Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)		31,232.28	276.97	30,955.31
	186) Lord Balaji Co-op. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2007)		27,287.76	560.00	26,727.76

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	187) Vasundharam Mahila Co-op. Bank Ltd., Warangal, A.P. (2007)		2,304.21	-	2,304.21
	188) Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)		5,937.89	-	5,937.89
	189) Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P. (2007)		1,486.00	-	1,486.00
	190) Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)		12,974.81	76.52	12,898.29
	191) Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)		22,078.93	259.24	21,819.69
	192) Sarvodaya Nagrik Sah. Bank Ltd., Visnagar, Gujarat (2007)		160,286.13	697.69	159,588.44
	193) Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P. (2007)		2,476.52	-	2,476.52
	194) Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd., Chitradurga, Karnataka (2007)		54,847.11	158.36	54,688.75
	195) The Vikas Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		10,262.36	344.00	9,918.36
	196) Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2007)		11,238.00	6,097.16	5,140.84
	197) Anand Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2008)	3,793	184,558.65	203.86	184,354.80
	198) Rajkot Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,600	68,218.16	4,009.30	64,208.85
	199) Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd., Mandrup, Maharashtra (2008)	678	666.32	-	666.32
	200) Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd., Assam (2008)	12,804	6,130.96	-	6,130.96
	201) Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd.,Burhanpur, M.P. (2008)	4,117	8,391.32	-	8,391.32
	202) Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2008)	7,240	7,442.90	7,442.90	0.00

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	203) Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd., Basaganj, Karnataka (2008)	1,787	2,673.13	177.00	2,496.13
	204) Indian Co-op. Development Bank Ltd., Meerut, U.P. (2008)	10,418	38,553.70	330.02	38,223.67
	205) Talod Janata Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	5,718	24,522.91	1,037.00	23,485.91
	206) Challakere Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2008)	5,718	32,641.34	223.44	32,417.90
	207) Dakor Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	1,865	6,375.13	1,587.85	4,787.28
	208) Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P. (2008)	67,098	454,367.84	255.92	454,111.91
	209) Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	30,483	185,521.69	66,713.74	118,807.95
	210) Shree Janta Sahkari Bank Ltd, Radhanpur, Gujarat (2008)	8,841	47,517.84	1,094.67	46,423.18
	211) Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2008)	11,350	184,735.21	38,652.98	146,082.23
	212) Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd., Raipur, Chhattisgarh (2008)	20,793	164,573.59	32,868.99	131,704.61
	213) Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd., Maharashtra (2008)	2,602	24,167.12	23,449.87	717.25
	214) Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	6,499	22,849.90	721.82	22,128.08
	215) Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,779	99,668.73	28,151.46	71,517.27
	216) Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2009)	5,605	36,446.49	4,436.43	32,010.07
	217) Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi, Karnataka (2009)	2,613	25,242.02	5,377.72	19,864.30
	218) Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur, Maharashtra (2008)	25,627	169,225.78	10,726.52	158,499.26
	219) Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op. Bank Ltd., Kopergaon, Maharashtra (2008)	16,723	268,254.02	186,590.00	81,664.02

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	220) Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)	16,467	1,242.00	1,242.00	-
	221) Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	19,141	112,933.28	42,713.28	70,220.00
	222) Shri B. J. Khatal Janata Shahakari Bank ltd., Maharashtra (2009)	11,542	79,008.26	65,758.22	13,250.04
	223) Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole- Alur, Karnataka (2009)	3,256	25,288.48	2,000.00	23,288.48
	224) The Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,512	67,660.45	3,000.00	64,660.45
	225) Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Latur,Maharashtra (2009)	11,129	65,792.83	24,201.77	41,591.06
	226) Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P. (2009)	679	3,625.81	-	3,625.81
	227) Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad, U.P. (2009)	3,225	10,030.16	2,700.73	7,329.43
	228) Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P. (2009)	514	4,015.07	-	4,015.07
	229) Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	8,512	37,184.46	2,591.76	34,592.70
	230) Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (2009)	21,603	128,916.02	29,462.21	99,453.81
	231) Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	35,466	374,582.84	169,295.62	205,287.22
	232) Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	16,092	101,964.31	28,963.81	73,000.50
	233) Shri S. K. Patil Co-op. Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	9,658	133,059.30	6,896.56	126,162.75
	234) Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	13,521	51,821.99	29,985.78	21,836.21
	235) Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	4,746	16,670.80	8,151.16	8,519.64

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	236) Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	4,641	53,127.98	21,027.76	32,100.22
	237) Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	38,913	370,674.45	36,019.05	334,655.40
	238) South Indian Co-operative Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2009)*	56,816	359,773.78	26,829.28	332,944.50
	239) Ankleshwar Nagric Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	26,364	238,314.86	164,908.02	73,406.85
	240) Ajit Co-operative Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	26,286	292,978.03	99,748.12	193,229.91
	241) Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	1,892	20,818.79	20,818.79	-
	242) Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	16,539	137,345.44	-	137,345.44
	243) Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	67,791	566,173.61	10,021.55	556,152.06
	244) Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	21,503	300,915.66	246,118.10	54,797.56
	245) Deendayal Nagrik Sahakari Bank ltd., Kandwa, M.P (2009)	15,453	97,541.55	32,096.16	65,445.39
	246) Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	3,923	19,584.61	12,895.04	6,689.57
	247) Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	141,317	1,672,059.89	1,140,355.48	531,704.41
	248) The Haliyal Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,684	43,375.25	35,246.17	8,129.08
	249) Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	32,763	420,266.21	189,657.60	230,608.61
	250) Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	2,803	33,463.64	28,561.40	4,902.24
	251) Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	23,933	93,927.24	53.33	93,873.91
	252) Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	14,598	125,438.26	10,885.55	114,552.71

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	253) The Akot Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	18,352	144,067.26	36,385.28	107,681.98
	254) Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2010)	43,934	436,184.64	89,156.53	347,028.11
	255) Anubhav Co-op. Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	10,590	8,748.57	-	8,748.57
	256) Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	9,082	116,808.19	47,543.83	69,264.36
	257) Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	11,446	70,182.85	32,822.06	37,360.79
	258) Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	56,768	487,087.84	179,734.46	307,353.38
	259) Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	56	58.72	-	58.72
	260) Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	5,289	51,243.07	7,686.88	43,556.19
	261) Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,386	15,629.02	3,778.19	11,850.83
	262) Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	3,710	64,921.83	7,338.10	57,583.73
	263) Shri Kamdar Sahakari Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat, (2010)	14,263	54,165.54	-	54,165.54
	264) Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P, (2010)	27,123	232,261.93	232,261.93	-
	265) Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	21,235	115,186.90	101,990.02	13,196.88
	266) Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	2,400	4,314.54	-	4,314.54
	267) Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	36,652	448,117.96	202,736.63	245,381.33
	268) Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	44,393	260,370.86	102,014.25	158,356.61
	269) Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	39,912	146,202.60	36,405.85	109,796.75
	270) Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	35,219	403,741.10	153,741.10	250,000.00

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	271) Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	54,034	476,597.62	293,973.44	182,624.18
	272) Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,424	25,845.79	4,163.44	21,682.35
	273) Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	4,866	49,312.44	6,951.39	42,361.05
	274) Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	3,479	49,352.46	655.71	48,696.75
	275) Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P. (2010)	6,948	71,141.10	26,062.14	45,078.96
	276) Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	5,289	23,839.86	1,376.98	22,462.88
	277) Annasaheb Patil Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	6,296	27,996.78	10,275.28	17,721.50
	278) Kupwad Urban Cooperative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	12,948	114,105.44	73,729.74	40,375.70
	279) Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	13,833	167,648.97	164,139.34	3,509.63
	280) Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	4,501	14,769.68	-	14,769.68
	281) Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	14,811	145,596.66	133,805.66	11,791.00
	282) Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	9,208	84,041.98	55,562.91	28,479.07
	283) Rajwade Mandal People's Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	26,422	133,960.02	4,241.66	129,718.36
	284) Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	174	179.27	-	179.27
	285) Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat,2011	71,262	591,664.24	261,615.68	330,048.56
	286) Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	9,336	86,764.47	5,593.14	81,171.34
	287) Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	10,462	67,393.38	34,835.21	32,558.17
	288) Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	1,640	2,569.75	-	2,569.75
	289) The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd.,Karnataka (2011)	6,075	38,149.77	13,751.77	24,398.00

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	290) The Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	54,925	403,178.78	139,538.88	263,639.90
	291) Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	33,500	422,834.49	44,144.98	378,689.51
	292) Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	9,798	112,964.84	181.29	112,783.55
	293) Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	2,337	35,973.20	1,925.71	34,047.49
	294) Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	16,324	199,311.58	41,090.58	158,221.00
	295) Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	11,322	160,023.77	24,318.84	135,704.93
	296) Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	43,821	557,603.91	220,198.22	337,405.69
	297) Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	2,733	12,287.99	11,775.25	512.74
	298) Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	1,012	4,158.75	1,136.33	3,022.42
	299) Shri Jyotiba sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	7,596	22,002.44	-	22,002.44
	300) Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	6,058	11,488.33	6,901.82	4,586.51
	301) Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	10,264	71,269.83	64,882.49	6,387.34
	302) The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,712	33,560.01	5,431.20	28,128.81
	303) Shri Balaji Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	927	9,476.72	9,476.72	-
	304) Siddhartha Sahakari Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	18,509	243,448.39	-	243,448.39
	305) Boriavi Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)	5,408	45,494.11	30,077.57	15,416.54
	306) Memon Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)*	85,990	237,520.12	82,817.00	154,703.12
	307) National Co-op. Bank Ltd., Andhra Pradesh (2012)	3,042	4,317.79	-	4,317.79

ANNEX - VII *(Contd.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	308) Bhandari Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	42,553	548,927.62	286,187.54	262,740.08
	309) Bharat Urban Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	5,696	20,904.79	6,879.40	14,025.39
	310) Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	6,951	32,018.71	16,309.55	15,709.16
	311) Shree Bhadran Mercantile Bank Ltd.,Gujarat (2012)	6,599	45,780.63	25,258.61	20,522.02
	312) Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd.,Odisha (2012)	14,925	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	313) Bhimashankar Nagari sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	3,437	4,102.06	-	4,102.06
	314) Bhusawal Peoples Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	12,201	101,665.47	52,643.03	49,022.44
	315) Solapur Nagari Audyogik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	64,684	459,649.45	134,859.89	324,789.56
	316) Vaso Co-op. Bank Ltd. Gujarat (2012)	34,672	72,219.38	12,446.00	59,773.38
	317) Krishna Valley Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)	1,213	16,993.25	16,993.25	-
	318) Abhinav Sahakari Bank Ltd. (2013)	12,449	25,307.40	2,344.45	22,962.95
	319) Agrasen Co-op. Bank Ltd. (2013)*	19,631	52,967.42	-	52,967.42
	320) Swami Samarth Sahakari Bank Ltd. (2014)	11,463	91,738.28	60,782.93	30,955.35
	321) Arjun Urban Co-op.Bank Ltd. (2014)	3,530	61,654.61	8,601.30	53,053.31
	322) Vishwakarma Nagari Sahakari Bank Ltd. (2014)	6,134	42,156.92	5,820.89	36,336.03
	323) Veershaiva Co-op. Bank Ltd. (2014)	40,373	727,615.26	727,615.26	-
	324) Silchar Urban Co-operative Bank Ltd. (2014)	2,707	6,999.75	-	6,999.75
	325) Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd. (2014)	124,587	2,713,842.46	-	2,713,842.46
	326) The Srikakulam Cooperative Urban Bank Ltd. (2014)	7,077	10,444.41	7,820.53	2,623.88

ANNEX - VII *(Concld.)*

(Amount in ₹ thousand)

Sr No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
1	2	3	4	5	6
	327) Shree Siddivinayak Nagari Sahakari Bank Ltd. (2014)	20,401	157,616.06	138,002.37	19,613.69
	328) The Konkan Prant Sahakari Bank Ltd. (2015)	28,759	301,759.34	301,759.34	-
	TOTAL 'F'		**46,304,980.46**	**12,083,485.02**	**34,221,495.44**
	TOTAL (D+E+F)		**46,329,946.42**	**12,102,956.34**	**34,221,495.44**
				(5,494.65)	
	TOTAL (A+B+C+D+E+F)		**49,288,476.16**	**13,588,227.23**	**35,373,341.44**
				(326,907.51)	

*Scheme of Amalgmation/Merger

Scheme of Reconstruction.

@ claim settled on liquidation of the bank.

Notes:

1. The year in which original claims were settled are given in brackets.
2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31,2015.
3. Repayments received are inclusive of Liquid Fund Adjusted at the time of sanction and approval of claims
4. Number of depositors is given for claims settled 2008 onwards.
5. Accuracy of number of depositors ensured up to hundredth place.

ANNEX - VIII

PROVISION FOR DEPOSIT INSURANCE CLAIMS-AGE-WISE ANALYSIS (AS ON MARCH 31, 2015)

Sr. No.	Date of de-registration/ liquidation of the Bank	Name of the Bank	Amount (₹ million)	Banks which have slipped to higher time bucket (w.r.t. March 31, 2014
1	2	3	4	5
A	**More than 10 years old**			
1	August 3, 1999	Jhargram People's Co-op. Society Ltd.	29.23	
2	May 27, 2002	Madhepura Urban Development Co-op. Bank Ltd.	0.54	
3	July 22, 2002	Nalanda Urban Co-op. Bank Ltd.	6.86	
4	August 6, 2002	Pranabananda Co-op. Bank Ltd.	225.71	
5	September 23, 2002	Manipur Industrial Co-op. Bank Ltd.	18.13	
6	September 28, 2002	Federal Co-op. Bank Ltd.	13.69	
7	June 3, 2003	Lamka Urban Co-op. Bank Ltd.	0.27	
8	June 19, 2003	Sibsagar Dist Central Co-op. Bank	188.67	
	Total (A)	**(8 Banks)**	**483.10**	**0**
B	**Between 5 and 10 years old**			
1	December 29, 2006	Guwahati Co-op. Town Bank Ltd.	82.43	
2	April 10, 2007	Rohuta Urban Co-op. Bank Ltd.	145.68	
	Total (B)	**(2 Banks)**	**228.12**	**0**
C	**Between 1 and 5 years old**			
1	March 31, 2010	Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd.	26.60	
2	April 9, 2010	Rajeshwar Yuvak Vikas Sah Bank Ltd.	26.29	
3	June 17, 2010	Ramkrishnapur Co-op. Bank Ltd.	750.24	
4	December 16, 2010	Golghat Urban Co-op. Bank Ltd.	5.22	
5	July 23, 2012	Premier Automobiles Employees' Co-op. Bank	39.25	
6	August 30, 2012	Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd.	16.96	√
7	November 15, 2012	Ghaziabad Urban Co-op.	402.00	√
8	June 7, 2013	Vaishali Urban Co-op. Bank Ltd.	164.13	√
9	August 24, 2013	Mahatma Phule Urban Co-op. Bank Ltd.	127.68	√
10	September 6, 2013	Kasundia Co-op. Bank Ltd.	432.76	√
11	February 3, 2014	Muncipal Co-op. Bank Ltd.	280.18	√
	Total (C)	**(11 Banks)**	**2,271.31**	**6**
D	**Less than 1 year old**			
1	July 15, 2014	Vasavi Co-op. Bank Ltd., Hyderabad	155.69	
	Total (D)	**(1 Bank)**	**155.69**	**0**
	Grand Total (A+B+C+D)	**(22 Banks)**	**3,138.22**	**6**

ANNEX - IX

CREDIT GUARANTEE FEES / CLAIMS PAID

(₹ million)

Year	Credit Guarantee fee	Credit Guarantee claims	Credit Guarantee Claims paid	Gap (2)-(3)	Gap (2)-(4)
1	2	3	4	5	6
1991-92	5,659	6,272	4,623	(-) 614	(+) 1,036
1992-93	7,028	11,433	6,436	(-) 4,405	(+) 692
1993-94	8,461	14,908	8,900	(-) 6,447	(-) 439
1994-95	8,291	17,268	11,790	(-) 8,977	(-) 3,499
1995-96	7,046	23,652	10,423	(-) 16,606	(-) 3,376
1996-97	5,640	21,124	3,786	(-) 15,484	(+) 1,854
1997-98	1,649	4,973	3,714	(-) 3,324	(-) 2,065
1998-99	1,232	2,522	6,019	(-) 1,290	(-) 4,787
1999-00	220	2,455	4,031	(-) 2,235	(-) 3,811
2000-01	0.7	361	473	(-) 360	(-) 473
2001-02	0.2	12.4	13.3	(-) 12.2	(-) 13.1
2002-03	2.1	2.6	1.4	(-) 0. 5	(-)0.7
2003-04	0.2 *	–	–	-	-
2004-05 to 2014-15	-	-	-	-	-

*Note: Presently no credit institution is participating in the various credit guarantee schemes operated and administered by the Corporation. Subsequent to 2003-04, no guarantee fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid.

RAY & RAY
CHARTERED ACCOUNTANTS

305, Eastern Court, "C" Wing, Tejpal Road,
Vile Parle (East), Mumbai - 400 057.INDIA.
E-mail : admln@raynraymumbai.com
Tel.:26146080/2815 0621 Fax :26131586

Independent Auditors' Report

To
the Board of Directors

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ('the Corporation'), which comprise the balance sheets as at 31 March 2015 of Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and the General Fund, the revenue accounts and the cash flow statement for the year then ended of the said three funds, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Corporation's Board of Directors is responsible for the matters stated in the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corpflration Act, 1961 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Corporation, in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records In accordance with the provisions of the Act for the three funds; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters that are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder .

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment , including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Corporation's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Corporation has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Corporation's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the three funds of the Corporation as at 31 March 2015 and its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

We report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books;

(c) The balance sheet, the revenue account and the cash flow statement of the three funds dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

(d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 wherever applicable;

(e) The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer note 1 to the financial statements.

For Ray & Ray
Chartered Accountants
Firm's registration number: 301072E

Anil P.Verma
Partner
Membership number: 090408

Mumbai
24th June 2015

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year			Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	LIABILITIES				
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
50,683.40	-	**1. Fund :** (Balance at the end of the year)		52,075.40		
		2. Surplus as per Revenue Account:				
308,553.81	3,250.95	Balance at the beginning of the year	355,495.85		3,539.92	
	0.00	Add Transferred to/from other Funds	0.00			
46,942.04	288.97	Add :Transferred to/from Revenue Account	96,962.74		323.97	
355,495.85	3,539.92	Balance at the end of the year		452,458.59		3,863.89
		3. (a) Investment Reserve :				
5,226.96	406.56	Balance at the beginning of the year	26,747.25		585.36	
21,520.29	178.80	Less : Transferred to Revenue Account	(23821.19)		(174.17)	
26,747.25	585.36	Balance at the end of the year		2,926.06		411.19
		(b) Investment Fluctuation Reserve				
14,543.39	278.99	Balance at the beginning of the year	28,322.00		278.99	
13,778.61	-	Transferred from Revenue Account	0.00		0.00	
28,322.00	278.99	Balance at the end of the year		28,322.00		278.99
4,154.50		**4. Claims intimated and admitted but not paid**		1,384.66		
2,780.19		**5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted**		2,024.38		
1,141.07		**6. Insured deposits in respect of Banks De-registered**		1,113.83		
1,670.28		**7 Insured deposits remaining unclaimed**		1,823.45		
		8. Other liabilities				
375.76	0.00	i) Sundry Creditors	322.71			
98,987.92	279.92	ii) Provision for Income Tax	109,030.11		328.53	
124.97	0.00	iii) Sundry Deposit Account	0.00			
0.00	0.00	iv) Service tax Payable A/C	0.00			
49.99	0.00	v) Securities deliverable under Reverse Repo A/C	39.90			
99,538.64	279.92			109,392.72		328.53
570,533.18	**4,684.19**	**TOTAL**		**651,521.11**		**4,882.60**

For M/S Ray & Ray
Chartered Accountants
Regn No. FRN. 301072E

Anil P.Verma
Partner
M No. 090408

Mumbai
24th June 2015

R. Gandhi
Chairman

R Ramachandran
Director

Jasbir Singh
Executive Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on 31st March 2015
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in million)

Previous Year			Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	ASSETS				
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
281.79	0.07	**1. Balance with the Reserve Bank of India**		32.86		0.66
		2. Cash in Transit				
		3. Investment in Central Government Securities (At cost)				
607.46	0.00	Treasury bills	95.38		0.00	
444,168.15	4,200.63	Dated Securities	521,293.43		4393.47	
444,775.61	4,200.63			521,388.81		4,393.47
442,491.55	3,995.34	Face Value	525,955.01		4,125.26	
418,269.67	3,615.26	Market Value	529,985.56		3,904.96	
8,987.83	103.87	**4. Interest accrued on Investment**		9,927.29		110.33
		5. Other Assets				
1,285.32	4.24	i) Sundry Debtors	0.00		0.00	
108,880.77	375.38	ii) Advance Income Tax / TDS	111,985.18		378.14	
50.04		iii) Reverse Repo/Reverse Repo Interest Receiveable	39.92			
49.99		iv) Securites Purchased under Reverse Repo	39.90			
982.43		v) Service Tax refundable A/C	1,115.54			
5,239.40		vi) Service Tax Receiveable	5,712.52			
0.00		vii) Disputed Service Tax/Interest Paid Account	1,279.09			
116,487.95	379.62			120,172.15		378.14
570,533.18	**4,684.19**	**TOTAL**		**651,521.11**		**4,882.60**

Dr. Shashank Saksena
Director

Dr. Harsh Kumar Bhanwala
Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

M. Krupanandam
Dy. General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year					
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	EXPENDITURE	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount		Amount
		1.To Claims -			
1,030.92	-	(a) Paid during the year		3,212.89	
3,167.16	-	(b) Admitted but not paid		(2769.84)	
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted			
2,780.19		At the end of the year	2,024.38		
(7912.22)		Less: at the end of the previous year	(2780.19)		
(5132.03)		(d) Insured Deposits in respect of Banks De-registered		(755.80)	
1141.07	-	At the end of the year	1,113.83		
(1141.07)	-	Less: at the end of the previous year	(1141.07)		
0.00			(27.24)		
(933.95)		**Net Claims**		(339.99)	
50,683.40		**2.To Balance of Fund at the end of the year** (as per Actuarial Valuation)		52,075.40	
21,520.29	178.80	**3.To investments credited to Investment Reserves**	0.00		0.00
0.00	0.00	**4. To Service Tax Paid**		16.15	0.00
91,523.37	121.91	To Net Surplus Carried Down		146,890.99	490.79
162,793.11	**300.71**	**TOTAL**		**198,642.56**	**490.79**
		To Provision for taxation			
31,108.79	41.44	Current Year		49,928.25	166.82
0.00	0.00	Earlier years- Short (Excess)		0.00	0.00
13,778.61	0.00	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)		0.00	0.00
46,942.04	288.97	To Balance carried to Surplus Account		96,962.74	323.97
91,829.44	**330.41**	**TOTAL**		**146,890.99**	**490.79**

For M/S Ray & Ray
Chartered Accountants
Regn No. FRN. 301072E

Anil P.Verma
Partner
M No. 090408

Mumbai
24th June 2015

R. Gandhi
Chairman

R Ramachandran
Director

Jasbir Singh
Executive Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
year ended 31st March 2015
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in million)

Previous Year		INCOME		
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
52,649.60	0.00	**1.By Balance of Fund at the beginning of the year**	50,683.40	0.00
73,128.01	0.00	**2.By Deposit Insurance premium (including interest on overdue premium)**	82,286.48	0.00
0.00	0.00	**3.By Guarantee Fees (including interest on overdue Guarantee fees)**	0.00	0.00
873.77	4.24	**4.By Interest received on refund of Advance Tax**	56.15	1.85
2,239.29	2.21	**5.By Recoveries in respect of claims paid / settled (including interest on overdue repayment)**	1,470.22	3.27
0.00	0.00	**6.By Excess provision for claims written back(per contra)**	3.32	0.01
		7.By Income from Investments		
33,497.77	294.65	a) Interest on Investment	40,548.61	311.79
295.58	(0.39)	b) Profit/(Loss) on Sale / Redemption of Securities	(388.86)	(0.30)
109.09	0.00	c) Reverse Repo Interest Income A/C	162.05	0.00
33,902.44	294.26		40,321.80	311.49
		8.By Depreciation in value of investment written back		
0.00	0.00	transferred to Investment Reserves	23,821.19	174.17
162,793.11	**300.71**	**TOTAL**	**198,642.56**	**490.79**
91,523.37	121.91	By Net Surplus Brought Down	146,890.99	490.79
306.07	208.50	By Income Tax Refunds for Earlier Years	0.00	0.00
0.00	0.00	By Balance transferred from Surplus A/C	0.00	0.00
91,829.44	**330.41**	**TOTAL**	**146,890.99**	**490.79**

Dr. Shashank Saksena
Director

Dr. Harsh Kumar Bhanwala
Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

M. Krupanandam
Dy. General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
II. GENERAL

Previous Year Amount	LIABILITIES	Amount	Amount
500.00	**1 CAPITAL : (Authorised, issued and Paid up) Provided by the Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4 of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI)**		500.00
	2 RESERVES :		
	A) General Reserve		
4,573.30	Balance at the beginning of the year	4,657.39	
0.00	Add transferred from/to CGF	0.00	
84.09	Add(Less) - Surplus/(Deficit) transferred from Revenue Account	248.90	
4,657.39			4,906.29
	B) Investment Reserve		
466.78	Balance at the beginning of the year	381.47	
(85.30)	Transferred from Revenue Account	(193.23)	
381.48			188.24
	C) Investment Fluctuation Reserve		
304.90	Balance at the beginning of the year	356.02	
51.12	Transferred to / from IFR of GF	0.00	
356.02			356.02
	3 CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
0.00	Outstanding Employees' Cost	0.00	
11.88	Outstanding Expenses	11.95	
0.44	Sundry Creditors	4.23	
258.46	Provision for Income Tax	332.11	
0.00			
270.78			348.29
6,165.67	**TOTAL**		**6,298.84**

For M/S Ray & Ray
Chartered Accountants
Regn No. FRN. 301072E

Anil P.Verma
Partner
M No. 090408

Mumbai
24th June 2015

R. Gandhi
Chairman

R Ramachandran
Director

Jasbir Singh
Executive Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A')
of business on 31st March 2015
FUND (GF)

(₹ in million)

Previous Year Amount	ASSETS	Amount	Amount
	1 CASH		
0.01	i) In hand	0.00	
3.59	ii) With Reserve Bank of India	2.90	
3.60			2.90
	2 Investments in Central Government Securities (At cost)		
0.00	Treasury Bills	0.00	
5,105.71	Dated Securities	5,195.63	
454.28	Dated Securities deposited with CCIL	451.01	
5,559.99	(Face Value 4500)		5,646.64
5,385.84	Face Value:	5,408.47	
5,178.51	Market Value:	5,433.96	
157.77	**3 Interest accrued on investments**		121.82
	4 Other Assets		
4.17	Furniture, Fixtures & Equipment	2.02	
	(Less depreciation)		
0.95	Stock of Stationery/Lounge Coupons	1.11	
5.45	Sundry Debtors	0.56	
3.01	Interest accrued on Staff Advances	3.37	
14.06	Staff Advances	14.84	
	Advance Income Tax and TDS at source		
365.90	pending final assessment / adjustments	448.62	
50.00	Margin Deposit with CCIL	50.00	
0.77	Service Tax Recievable	1.78	
0.00	Project Cost	5.18	
444.31			527.48
6,165.67	**TOTAL**		**6,298.84**

Dr. Shashank Saksena
Director

Dr. Harsh Kumar Bhanwala
Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

M. Krupanandam
Dy. General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Form 'B')
Revenue Account for the year ended 31st March 2015
II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in million)

Previous Year	EXPENDITURE	Amount	Previous Year	INCOME	Amount	
86.94	**To Payment to / Reimbursement of Staff Cost**	97.21		By Income from investments		
0.15	**To Directors & Committee members fees**	0.08	448.95	a) Interest on Investments	454.10	
	To Directors & Committee members Travelling			b) Profit(Loss) on Sale / Redemption of		
0.11	**& Others Allowances/Expenses**	0.23	(158.13)	Securities	(83.03)	
9.82	**To Rent, Taxes, Insurances, Lighting, etc.**	10.02	290.82			371.07
37.01	**To Establishment, travelling & halting allowances**	38.53	85.30	By Depreciation in value of investment written back		193.23
1.76	**To Printing, Stationery & Computer consumables**	13.68		By Miscellaneous Receipts		
2.27	**To Postage, telegrams & telephones**	2.88		Share of recoveries under GOI - Credit		
0.31	**To Auditors' Fees**	1.65		Guarantee Scheme - SSI	0.00	
4.95	**To Legal Charges**	5.46	0.69	Interest on Advances to Staff	0.78	
0.87	**To Advertisements**		0.03	Profit on sale of dead stock(net)	0.03	
	To Provision for depreciation in value of		4.59	Interest on Refund of Income Tax	6.08	
	investments credited to Investment Reserve	0.00	0.00	Other Misc Receipts	0.12	
	To Misc. Expenses		5.31			7.01
0.62	- Professional charges	0.27				
3.73	- Service Contract / Maintenance	3.32				
0.37	- Books, Newspaper, Periodicals	0.42				
0.31	- Book Grant	0.55				
0.26	- Repair of office property-dead stock	0.20				
2.85	- Transaction Charges - CCIL	3.90				
7.72	- Others	13.69				
15.86		**22.35**				
3.00	To Depreciation	2.16				
218.38	To Balance being excess of Income over expenditure for the year c/d	377.07	0.00	By Balance being excess of Expenditure over Income		0.00
381.43	**TOTAL**	**571.31**	**381.43**	**TOTAL**		**571.31**
0.00	To Balance being excess of Expenditure over Income b/d		218.38	By Balance being excess of Income over expenditure for the year b/d		377.07
	To Provision for Income Tax					
8.94	- Earlier Years		0.00	By Income Tax refund for earlier years		0.00
74.23	- Current Year	128.17				
51.12	**To Investtment Fluctuation Reserve(IFR)**	0.00				
84.09	**To General Reserve Account**	248.90	0.00	By General Reserve Account		0.00
218.38	**TOTAL**	**377.07**	**218.38**	**TOTAL**		**377.07**

For M/S Ray & Ray
Chartered Accountants
Regn No. FRN. 301072E

Anil P.Verma
Partner
M No. 090408

Mumbai
24th June 2015

R. Gandhi
Chairman

Dr. Harsh Kumar Bhanwala
Director

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

Jasbir Singh
Executive Director

Dr. Shashank Saksena
Director

R Ramachandran
Director

M Krupanandam
Dy General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
I. Deposit Insurance Fund (DIF) & Credit Guarantee Fund (CGF)
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2015

(₹ in million)

Previous Year Deposit Insurance Fund Amount	Previous Year Credit Guarantee Fund Amount			Deposit Insurance Fund Amount	Credit Guarantee Fund Amount
		Cash Flow from Operating Activities			
91523.37	**121.91**	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	**146890.99**	**490.79**
		Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :			
(33606.85)	(294.65)	Interest on Investments		(40710.65)	(311.79)
(295.58)	0.39	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		388.86	0.30
(1966.20)	0.00	Increase in Fund balance (Actuarial Valuation)		1392.00	0.00
21520.29	178.80	Transfer to Investment Reserve		(23821.19)	(174.17)
0.00	0.00	Taxes		0.00	0.00
(14348.34)	**(115.46)**		**(b)**	**(62750.98)**	**(485.66)**
		Changes in Operating Assets and Liabilities :			
		ASSETS :			
		Decrease (Increase) in			
(31183.12)	(33.09)	Increase in Advance Income Tax /TDS		(42990.47)	(120.97)
(1039.36)	(4.04)	Sundry Debtors		1285.32	4.24
(5239.40)	0.00	Service Tax receivable		(473.12)	0.00
(705.06)	0.00	Other Assets		(1391.99)	0.00
(38166.94)	(37.13)		**(c)**	(43570.26)	(116.73)
		LIABILITIES :			
		(Decrease) Increase in			
(1964.88)	0.00	Estimated Liability in respect of claims intimated but not admitted		(3552.88)	0.00
229.68	0.00	Unclaimed Deposits		153.17	0.00
(165.75)	0.00	Sundry Creditors		(53.05)	0.00
83.05	0.00	Sundry Deposit Accounts		(124.97)	0.00
0.00	0.00	Service Tax Payable A/C		0.00	0.00
0.00	0.00	Securities Deliverable under Reverse Repo A/C		(10.09)	0.00
(1817.90)	0.00		**(d)**	(3587.82)	0.00
37190.19	(30.68)	**Net Cash Flow from Operating Activites: (a+b+c+d)**	**(A)**	36981.93	(111.60)
		Cash Flow from Investing Activities			
32294.16	289.42	Interest on Investments Received		39771.21	305.33
295.58	(0.39)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(388.86)	(0.30)
0.00	0.00	Transferred to GF		0.00	0.00
		Decrease (Increase) in			
(69783.55)	(258.76)	Increase in Investments in Central Government Securities		(76613.20)	(192.84)
(37193.81)	30.27	**Net Cash Flow from Investing Activites**	**(B)**	(37230.86)	112.19
0.00	0.00	**Cash Flow from Financing Activites**	**(C)**	0.00	0.00
(3.62)	(0.41)	**Net Increase/decrease in Cash**	**(A+B+C)**	(248.93)	0.59
285.41	0.48	Cash Balance at the Beginning of year		281.79	0.07
281.79	**0.07**	**Cash Balance at the end of year**		**32.86**	**0.66**

For M/S Ray & Ray
Chartered Accountants
Regn No. FRN. 301072E

Anil P.Verma
Partner
M No. 090408

Mumbai
24th June 2015

Jasbir Singh
Executive Director

M. Krupanandam
Dy. General Manager

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
II. General Fund
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2015

(₹ in million)

Previous Year Amount			Amount
	Cash Flow from Operating Activities		
218.38	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	377.07
	Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :		
3.00	Depreciation		2.16
(448.95)	Interest on Investments		(454.10)
158.13	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		83.03
(85.30)	Transfer to Investment Reserve		(193.23)
0.00	Excess Provision written back		0.00
(0.69)	Interest on Advances to Staff		(0.78)
(0.03)	Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock		0.03
4.59	Others -Misc Receipts		0.12
0.00	Income Tax		0.00
(369.25)		**(b)**	**(562.77)**
	Changes in Operating Assets and Liabilities :		
	ASSETS :		
	Decrease (Increase) in		
(0.17)	Stock of Stationery/Officers Lounge Coupons		(0.16)
(0.77)	Prepaid Expenses/Service Tax receivable		(1.01)
0.16	Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI etc.		(0.78)
(10.99)	Advance Income Tax		(136.94)
0.00	Margin Deposit with CCIL		0.00
0.32	Interest accured on Staff Advances		(0.36)
0.00	Project Cost		(5.18)
(4.58)	Sundry Debtors		4.89
(16.03)		**(c)**	**(139.54)**
	LIABILITIES :		
	Increase (Decrease) in		
0.00	Outstanding Employees' Cost		0.00
3.19	Outstanding Expenses		0.07
(0.11)	Sundry Creditors		3.79
0.00	Other Deposits/ TDS		(0.30)
3.08		**(d)**	**3.56**
(163.82)	**Net Cash Flow from Operating Activities (a+b+c+d)**	**(A)**	**(321.68)**
	Cash Flow from Investing Activities		
432.81	Interest on Investments Received		490.04
(158.13)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(83.03)
0.69	Interest on Advances to Staff		0.78
0.00	Funds received from DIF		0.00
(4.56)	Others		(0.12)
	Decrease(Increase) in		
(1.47)	Fixed assets		(0.04)
	Investments in Central Government Securities :		
0.00	Treasury Bills		0.00
(98.70)	Dated Securities		(89.92)
(6.28)	Dated Securities deposited with CCIL		3.27
164.36	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**320.98**
0.00	**Cash Flow from Financing Activities**	**(C)**	**0.00**
0.54	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	(0.70)
	Cash Balance at the Beginning of Year		
0.01	In Hand		0.01
3.05	With RBI		3.59
3.60	**Cash Balance at the end of year**		**2.90**

For M/S Ray & Ray
Chartered Accountants
Regn No. FRN. 301072E

Anil P.Verma
Partner
M No. 090408

Jasbir Singh
Executive Director

M. Krupanandam
Dy. General Manager

Sonjoy Sethee
Chief Financial Officer

Mumbai
24th June 2015

Significant Accounting Policies

Basis of Accounting

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the country. The Corporation follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. Revenue Recognition

Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(i) Premium

(a) Deposit insurance premia are recognised as per Regulation 19 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

(b) In case premia payment by an insured bank is in default for two consecutive periods, in view of uncertainty of collection of income, premia income are recognised on receipt basis. Provision is made for uncollected premia income, if any, already recognised for such insured banks.

(c) Penal interest for delay in payment of premia is recognised only on actual receipt.

(ii) Deposit Insurance Claims

(a) Provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.

(b) The provision for claims liability is made on receipt of claim list from Official Liquidator.

(c) In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the provisions for deposit insurance claim liabilities are made and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process, whichever is earlier.

(d) Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process, whichever is earlier.

(iii) Repayments

The recovery by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled & paid is accounted in the year in which it is confirmed by the liquidators. Recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realized/ adjusted.

(iv) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(v) Profit/Loss on sale of investment is accounted on settlement date of transaction.

4. Investments

(i) All investments are current investments. Government Securities are valued scrip-wise at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates. Treasury Bills are valued at carrying cost

(ii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet, but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.

(iii) The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus / General Reserve.

(iv) Inter fund transfer of securities is made at book value as on the date of the transfer.

(v) Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

5. Fixed Assets

(i) Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use.

(ii) (a) Depreciation on computers, microprocessors, software (costing ₹ 0.1 million and above), motor vehicles, furniture, etc. is provided on straight-line basis at the following rates.

Asset Category	**Rate of depreciation**
Computers, microprocessors, software, etc.	33.33%
Motor vehicles, furniture, etc.	20%

(b) Deprecation on additions during the period up to 180 days is provided for full year otherwise half year. No depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

(iii) Fixed Assets, costing less than ₹0.1 million, (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., costing more than ₹10,000) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition.

6. Leases

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

7. Employees'Benefits / Cost

Employees' cost such as salaries, allowances, compensated absences, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, as the employees of the Corporation are on deputation from the Reserve Bank of India.

8. Taxation on Income

Liability in respect of taxation is provided for in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and rules framed there under. Deferred Tax Asset and Liability are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date and recognized, if material.

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(i) In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Corporation recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

(iii) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) Contingent Assets are not recognized.

NOTES TO ACCOUNTS

1.Contingent Liabilities not provided for:

A.Service Tax:

Nature of Contingent Liability	Current year	Previous year
Service Tax	₹190.07cr	₹5367.42cr

Explanatory Notes:

a). The Joint Commissioner, LTU, Mumbai vide letter No.LTU/ MUM/ CEX/ AUDIT/GR.V/ DICGC/14/2014/4433 dated June 26, 2014, based on audit asked the Corporation to pay ₹118,64,34,956/- as additional service tax liability for the period from October 1, 2011 to March 31, 2013 by treating the premium received as exclusive of Service Tax as against treatment of premium being inclusive of Service Tax by the Corporation. An amount of ₹.88,44,10,696/- after netting ₹30,20,24,260/- comprising i) ₹18,93,80,153/ for the period from October 2011 to March 2012; ii) ₹26,50,512/- for the period from April 2012 to September 2012; iii) ₹10,99,93,595/- for the period from October 2012 to March 2013 being excess service tax deposited, has been paid 'under protest' by the Corporation.

b). Vide letter No.LTU/ MUM/ CEX/ AUDIT/GR.V/ DICGC/14/2014/4433 dated June 26, 2014 Service Tax Department also raised a demand of ₹51.93cr towards interest on delayed period, by determining due date of service tax payment as March 31st of the previous year for the half year from April to September, i.e., prior to commencement of half year and October 6th for the half year from October to March as against due dates followed by the Corporation. An amount of ₹39,46,81,068/- was deposited 'under protest' with the Service Tax Department during the current financial year

c). The Deputy Commissioner, LTU, vide orders dated February 12, 2014, determined interest of ₹19,38,27,885/- and ₹12,12,383/- for the half years October 1, 2011 to March 31, 2012 and April 1, 2012 to September 2012 respectively towards delay in service tax payment.

Further, the Commissioner vide order dated April 11, 2014 also determined interest of ₹19,17,54,309/- & ₹12,12,383/- for the same period. Both the demands have been adjusted against refunds due to the Corporation. The Corporation has filed rectification application/ appeal against the double adjustment and also against levy of interest before the Commissioner (Appeals).

d) The Appeal filed by the Corporation on April 8, 2013 with the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) challenging the orders of Commissioner of Central Excise and Service Tax, Large Taxpayer Unit (LTU) dated January 10, 2013 was heard on March 11, 2015. In terms of the decision, demand of service tax amounting to ₹2075.65 crore for the period from May 01, 2006 to March 31, 2011and ₹283.15 crore from April 01, 2011 to September 30, 2011 and penalty of ₹2075.65 crore, ₹283.15 crore and penalty of ₹650.01 crore for the same period raised on the Corporation was set aside being the demand for the period prior to 20.9.2011. Interest on service tax, in case, there is any delay in payment of tax by the due date is, however, payable. The Corporation has decided to file an appeal in Hon'ble High Court against the cause not granted by the CESTAT.

B). **Deposit Insurance Claims**

i). During the year, the accounting policy on recognition of claim liability was aligned with the actual practice being followed in terms of provisions in DICGC Act and reworded as 'provision of claim on receipt of claim list from Official Liquidator' in place of 'provision of claim on de-registration of banks'. This has resulted in deferring the expenditure of small amount of ₹214.96 million to the next financial year.

ii). The insured deposits in respect of 13 banks which were de-registered during the year stood at ₹1251.56 crore as at March 31, 2015.

3. The IFR is maintained to meet the market risk arising on account of diminution in value of investments in future. The adequacy is assessed on Balance Sheet date. The Interest Rate Risk is computed using the Standardized Duration Approach as well as VaR as adjusted for illiquidity (i.e liquidity VAR). The higher of the market risk under both Standardized Duration method and VaR methods is bench mark for creating Investment Fluctuation Reserve (IFR). It may be informed that the market risk to the position held by Corporation as on 31 March, 2015 worked out to ₹11376.10 million under VaR and ₹22704.90 million under Standardized Duration method. However, in terms of accounting policy 4(iii) IFR held in excess of the market risk is retained and carried forward.

4. The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹17000 million earmarked by RBI towards Intra Day Liquidity (IDL) facility under RTGS extended to the Corporation.

5. **Other Assets:** Other Assets include Disputed Service Tax /Interest on service tax paid under protest of ₹127.26 million.

6. Repo transactions (As per RBI prescribed format)

Disclosure:

In Face Value Terms (₹ in million)

	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2015
Securities Sold under Repo				
i.Government Securities	739.68	739.68	2.02*	Nil
ii.Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities Purchased under Reverse Repo				
i.Government Securities	9.74	5000	1200.73	39.90
ii.Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil

* Only one transaction during the year

7. Related Party Disclosure:

(a) Key Management Personnel:

(i) Shri. Jasbir Singh, Executive Director, Reserve Bank of India was in-charge of the affairs of the Corporation from April 1, 2014 to March 31, 2015 and he drew his salary and perquisites from Reserve Bank of India.

8. Segment Reporting

The Corporation is at present primarily engaged in providing deposit insurance to Banks at a uniform rate of premium irrespective of the category of the bank. Thus, in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either Business or Geographical.

9. The figures of previous year have been recast/ regrouped/ rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.

Note on Currency Unit

- The reference / conversion rate for Indian Rupee (₹) with respect to major foreign currencies can be observed from www.rbi.org.in.
- ₹ 1 lakh = ₹ 100,000.00 or ₹ 0.10 million
- ₹ 10 lakh = ₹ 1 million
- ₹ 1 crore = ₹ 10 million
- ₹ 100 crore = ₹ 1 billion

Printed at : Onlooker Press ✆ 2218 3544 / 2218 2939